

अध्याय 3

अनुपालन लेखापरीक्षा

अध्याय – 3

अनुपालन लेखापरीक्षा

कृषि विभाग

(हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड)

3.1 भूमि की लागत की अवसूली

73 एकड़ भूमि की लागत के रूप में ₹ 28.96 करोड़ की राशि तथा उपर्युक्त राशि पर ₹ 12.35 करोड़ ब्याज के रूप में हैफेड से वसूल किए जाने थे।

हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (हरा.कृ.वि.बो.) (अचल संपत्ति की बिक्री) नियम, 2000 के नियम 3 (2)(ii) के प्रावधान के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, सरकारी समितियों तथा हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं मार्केटिंग फैडरेशन लिमिटेड (हैफेड) की सहकारी मार्केटिंग समितियों, जो कृषि उत्पाद अथवा इनपुट से संबंधित हैं, को एक स्थल का आबंटन आरक्षित मूल्य के 35 प्रतिशत से अधिक पर किया जा सकता है।

सरकार ने हरा.कृ.वि.बो. से भूमि उपलब्ध करवाने के द्वारा खाद्य भंडारण गोदाम/स्तंभ के निर्माण द्वारा हैफेड के अंतर्गत अतिरिक्त भंडारण क्षमता स्थापित करने का निर्णय लिया (अगस्त 2009)। मुख्य प्रशासक (मु.प्र.), हरा.कृ.वि.बो. ने 12¹ मार्किट कमेटियों (मा.क) की प्रारंभिक 95 एकड़ भूमि हस्तांतरित करने हेतु स्वीकृति प्रदान की (नवंबर 2009) तथा संबंधित मार्किट कमेटियों के कार्यकारी अधिकारियों को इस संबंध में प्रस्ताव पास करने तथा भूमि का कब्जा तुरंत सौंपने हेतु निदेश दिए। भूमि की लागत के संबंध में यह निदेश दिए गए थे कि बोर्ड की संपत्ति नियम/नीति के अनुसार इसकी गणना की जाएगी तथा बाद में सूचित की जाएगी। तथापि, भूमि की लागत हरा.कृ.वि.बो. से मांग करने के बाद हैफेड के द्वारा 15 दिनों के अंदर संबंधित मार्किट कमेटी के पास जमा की जानी थी तथा न जमा करवाए जाने पर, 15 प्रतिशत की दर से ब्याज प्रभार्य था।

लेखापरीक्षा के दौरान (दिसंबर 2012), यह देखा गया कि सितंबर 2009 और फरवरी 2010 के मध्य 12 मार्किट कमेटियों ने ₹ 33.57 करोड़ की लागत की 97 एकड़ 2 कनाल 4 मरला भूमि हैफेड को हस्तांतरित कर दी थी (परिशिष्ट 3.1)। हरा.कृ.वि.बो. ने दिसंबर 2009 तथा 2011 के मध्य 10 मार्किट कमेटियों से संबंधित 76 एकड़ 6 कनाल 5 मरला भूमि के लिए केवल ₹ 31.30 करोड़ की मांग की थी जिसके विरुद्ध हैफेड ने दो मार्किट कमेटियों² की 24 एकड़ एक कनाल तीन मरला भूमि के लिए केवल ₹ 4.61 करोड़ जमा करवाए। ₹ 2.27 करोड़ के लिए दो मार्किट कमेटियों³ द्वारा मांग इस तर्क पर नहीं की गई थी कि हरा.कृ.वि.बो. मुख्यालय ने भूमि के रेट तय नहीं किए थे तथा बिल मुख्यालय स्तर पर जारी किए जाने थे। इस प्रकार ₹ 28.96 करोड़ की

¹ (i) बरवाला (बरवाला), (ii) नारनौंद (नारनौंद), (iii) शाहबाद (अजगरना कलां), (iv) कालांवाली (बड़ा गुड़ा), (v) सोनीपत (दीपालपुर), (vi) सोनीपत (पुंगथला), (vii) गन्नौर (गन्नौर), (viii) बहल (बहल), (ix) थानेसर (किरमच), (x) मडलौडा (छिछराना), (xi) (रानिया) (खारिया), (xii) डबवाली (चौटाला)।

² खारिया: 8 एकड़ 2 कनाल 13 मरला तथा चौटाला: 15 एकड़ 6 कनाल 10 मरला।

³ किरमच: 10 एकड़ 3 कनाल 19 मरला तथा छिछराना: 10 एकड़।

राशि की 73 एकड़ 1 कनाल तथा 1 मरला माप की भूमि की लागत तथा इस राशि पर ₹ 12.35 करोड़⁴ के रूप में उपार्जित ब्याज हैफेड से वसूलनीय था।

नियंत्रक, वित्त एवं लेखा, हराकृष्णबो. ने सूचित किया (जून 2014) कि संबंधित मार्किट कमेटियों द्वारा हैफेड के साथ भूमि की लागत ब्याज सहित जमा करवाने हेतु जैसा कि हराकृष्णबो. नियमों के अंतर्गत उदगृहीत किया जाना था, मार्च 2013 से मई 2014 तक के बीच मामला लगातार उठाया गया था। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि भूमि के हस्तांतरण के चार वर्षों के बाद भी भूमि की लागत के रूप में हराकृष्णबो. द्वारा शीघ्र कार्रवाई न किए जाने के कारण ₹ 41.31 करोड़ ब्याज सहित वसूलनीय थे (जनवरी 2015)।

मामला अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग को संदर्भित किया गया (जुलाई 2014); उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2015)।

विकास एवं पंचायत विभाग

3.2 संपूर्ण स्वच्छता अभियान/निर्मल भारत अभियान

22 ग्राम पंचायतों में 28 संस्थागत शौचालयों का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया था या अधूरा पड़ा रहा। ठोस एवं द्रव्य कचरा प्रबंधन परियोजनाएं आरंभ नहीं की गई थीं। 196 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के लक्ष्य के विरुद्ध केवल 113 शौचालयों का ही निर्माण किया गया, 133 लाभर्थियों को शौचालयों का निर्माण सुनिश्चित किए बिना ₹ 3.46 लाख की प्रोत्साहन राशि दी गई तथा ₹ 3.10 लाख की प्रोत्साहन राशि का दो बार भुगतान किया गया।

भारत सरकार (भा.स.) ने ग्रामीणों के जीवन की गुणवत्ता में उचित स्वच्छता सुविधाओं के द्वारा, सुधार हेतु तथा महिलाओं को गोपनीयता तथा गरिमा प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (कें.ग्रा.स्व.का.) 1986 में आरंभ किया। कार्यक्रम को 1999 में संशोधित किया गया तथा इसे संपूर्ण स्वच्छता अभियान (सं.स्व.अ.) का नाम दिया गया जिसे आगे अप्रैल 2012 में निर्मल भारत अभियान (नि.भा.अ.) का नाम दिया गया। व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों (व्य.घ.शौ.) के निर्माण एवं प्रयोग हेतु गरिबी रेखा से नीचे के परिवारों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए गए। ठोस एवं द्रव्य कचरा प्रबंधन (ठो.द्र.क.प्र.) के अंतर्गत गतिविधियों के अतिरिक्त स्कूल शौचालयों, आंगनबाड़ी शौचालयों तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसरों (सा.स्व.प.) के निर्माण हेतु भी सहायता को बढ़ाया गया था। 2009-14 के दौरान ₹ 250.66 करोड़ की निधियों की उपलब्धता के विरुद्ध ₹ 119.18 करोड़ का व्यय किया गया जिससे ₹ 131.48 करोड़ का अव्ययित शेष रह गया जिसने स्कीम पर प्रतिकूल प्रभाव डाला।

जून 2014 से सितंबर 2014 के दौरान राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन तथा पांच⁵ चयनित जिला जल एवं स्वच्छता मिशन जो कि जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों (जि.ग्रा.वि.ए.) के कार्यालय में स्थित हैं, 96 ग्राम पंचायतों (ग्रा.प.) के साथ 10 खण्ड संसाधन केंद्रों के अभिलेखों की जांच-पड़ताल की

⁴ मई 2014 तक 15 प्रतिशत की दर पर।

⁵ (i) करनाल (ii) यमुनानगर (iii) हिसार (iv) फतेहाबाद तथा (v) सिरसा।

गई। पांच नमूना - जांच किए गए जिलों में कुल 882 लाभार्थियों को भी संयुक्त भौतिक सत्यापन हेतु चुना गया। महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

लेखापरीक्षा परिणाम

(i) आयोजना

वर्ष 2012 में किए गए सर्वेक्षण के आधार पर वार्षिक कार्यान्वयन योजनाएं तैयार की जा रही थी, जिसमें व्यक्तिगत घेरेलू शैचालय रहित परिवारों की पहचान की गई। तथापि, सर्वेक्षण के बाद अस्तित्व में आए अतिरिक्त परिवारों को शामिल करने हेतु कोई प्रक्रिया नहीं थी तथा योजना के अंतर्गत निर्मित सामुदायिक शैचालयों के रख - रखाव हेतु कोई रणनीति नहीं थी।

(ii) सामुदायिक स्वच्छता परिसर

निर्मल भारत अभियान दिशा - निर्देशों के अनुच्छेद 5.7 के अनुसार, गांव में एक स्थान पर, जो सभी को स्वीकार्य एवं सुगम हो, एक उचित संरच्या वाले शैचालय सीट, स्नानघर, कपड़े धोने वाले प्लेटफार्म, वाश बेसिन इत्यादि से समायुक्त सामुदायिक स्वच्छता परिसर बनाए जा सकते हैं। सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के रख - रखाव की लागत पी.आर.आईज द्वारा उचित प्रक्रिया जैसे उपभोगता प्रभार द्वारा पूरी की जानी थी। नमूना - जांच किए गए पांच जिलों में से नमूना - जांच किए गए चार⁶ जिलों में 196 के लक्ष्य के विरुद्ध 2009 - 14 के दौरान 113⁷ स्वच्छता परिसरों के निर्माण पर ₹ 2.26 करोड़ का व्यय किया गया। इस प्रकार, 83 सामुदायिक स्वच्छता परिसर निर्मित नहीं किए जा सके।

अपर मुख्य सचिव, विकास एवं पंचायत विभाग (अ.मु.स., वि.पं.वि.) ने बताया (नवंबर 2014) कि सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के संचालन तथा रख - रखाव हेतु निधियों का प्रावधान नहीं था तथा कुछ ग्राम पंचायतों के पास रख - रखाव के लिए अपनी निधियां नहीं थी, अतः, वे सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के निर्माण को नहीं अपना रहे थे। उत्तर तर्कसंगत नहीं था, क्योंकि यह दिशानिर्देशों में पहले ही वर्णित किया गया था कि भारत सरकार द्वारा रख - रखाव हेतु कोई निधियां प्रदान नहीं की गई थी तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के रख - रखाव की लागत पी.आर.आईज द्वारा उपभोगता प्रभार द्वारा पूरी की जानी थी। आगे, 83 गांवों की ग्रामीण जनसंरच्या को योजना में दर्शाएं गए सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के लाभ से वर्चित रखा गया।

(iii) संस्थागत शैचालय (स्कूल/आंगनबाड़ी)

निर्मल भारत अभियान दिशा - निर्देशों के अनुच्छेद 5.8 के अनुसार, राजकीय भवनों में स्थित सभी प्रकार के राजकीय स्कूलों तथा आंगनबाड़ियों में शैचालय निर्मित किए जाने चाहिए।

2009 - 14 के दौरान 45 ग्राम पंचायतों को 85 स्कूल/आंगनबाड़ी शैचालय के निर्माण हेतु ₹ 27.15 लाख की अनुदान राशि का भुगतान किया गया। लेखापरीक्षा द्वारा जिला तथा खण्ड के प्रतिनिधि के साथ भौतिक सत्यापन के दौरान, 22 ग्राम पंचायतों में देखा गया (जून 2014 से सितंबर 2014) कि 28 संस्थागत शैचालयों के निर्माण हेतु ₹ 9.08 लाख अनुदान राशि दी गई।

⁶ करनाल को छोड़कर जहां कार्यक्रम का यह घटक लागू नहीं किया था।

⁷ यमुनानगर: 60 के लक्ष्य के विरुद्ध 15; हिसार: 40 के लक्ष्य के विरुद्ध 29, फतेहाबाद: 46 के लक्ष्य के विरुद्ध 19; सिरसा: 50 के लक्ष्य के विरुद्ध 50.

तथापि, 15 शौचालयों का निर्माण कार्य आरंभ नहीं हुआ था तथा 13 शौचालय अधूरे पड़े रहे। अ.मु.स., वि.पं.वि. ने बताया (नवंबर 2014) कि संबंधित ए.डी.सी.ज को जांच करने तथा रिपोर्ट करने हेतु कहा गया था। अंतिम कार्रवाई प्रतीक्षित थी (जनवरी 2015) तथा तथ्य यह है कि अभीष्ट लाभ प्राप्त नहीं किए जा सके।

(iv) ठोस एवं द्रव्य कचरा प्रबंधन

निर्मल भारत अभियान दिशा-निर्देशों (जुलाई 2012) के अनुच्छेद 5.9 के अनुसार, इस घटक के अंतर्गत, सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत बायो-गैस प्लांट, कम लागत वाले निकासी, सोकेज नालियां/गड्ढे, बेकार जल का पुनः प्रयोग करने तथा घरेलू कचरे को एकत्रित करने, अलग करने एवं निपटान करने हेतु प्रणाली, इत्यादि कार्य किए जा सकते हैं। नमूना-जांच किए गए जिलों में ठोस एवं द्रव्य कचरा प्रबंधन परियोजनाएं नहीं बनाई गई थी (मार्च 2014) अर्थात् निर्मल भारत अभियान दिशा-निर्देश जारी होने के लगभग दो वर्ष तक भी। उत्तर में संबंधित जिला ग्रामीण विकास एजेंसी ने बताया (जुलाई 2014) कि एस.एल.डब्ल्यू.एस. परियोजनाएं विचाराधीन थीं जो 2014-15 के दौरान पूरी की जाएंगी। तथ्य यह रहा कि परियोजनाओं के बनाने में देरी से ग्रामीण आबादी को स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करने में देरी हुई।

(v) व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण

निर्मल भारत अभियान दिशा-निर्देशों के अनुच्छेद 5.4 के अनुसार, घरेलू शौचालयों का निर्माण परिवार द्वारा स्वयं ही किया जाना चाहिए था तथा इसके पूर्ण होने और शौचालय का प्रयोग करने पर इसकी उपलब्धि की पहचान के रूप में परिवार को नकद प्रोत्साहन दिया जा सकता है।

लेखापरीक्षा द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, यह देखा गया कि 2013-14 के दौरान पांच जिलों के नौ खण्डों⁸ में ₹ 3.46 लाख का प्रोत्साहन उन 133 लाभार्थियों को दिया गया जिन्होंने निर्माण आरंभ नहीं किया था (95 मामले) अथवा व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण अधूरा था (38 मामले)। इस प्रकार, संबंधित जिला ग्रामीण विकास एजेंसी ने सुनिश्चित नहीं किया था कि लाभार्थियों को प्रोत्साहन जारी करने से पहले शौचालय निर्मित किए गए। अ.मु.स., वि.पं.वि. ने बताया (नवंबर 2014) कि मामला जिला प्रशासन के साथ उठाया जा रहा था तथा संबंधित जिलों से टिप्पणियां प्राप्त होने के पश्चात् कार्रवाई की जाएंगी।

गांव-वार लाभार्थियों की सूची न बनाने तथा परिवारों को प्रोत्साहन राशि जारी करने से पहले मामलों की पर्याप्त छानबीन नहीं करने के कारण हिसार, यमुनानगर तथा सिरसा जिलों में 2013-14 के दौरान 83 लाभार्थियों को ₹ 3.10 लाख की प्रोत्साहन राशि का दो बार भुगतान किया गया। अ.मु.स., वि.पं.वि. ने बताया (नवंबर 2014) कि मामला जिला प्रशासक के साथ उठाया जा रहा था तथा संबंधित जिलों से टिप्पणियां प्राप्त होने के बाद कार्रवाई की जाएगी। ए.डी.सी., हिसार ने बताया (नवंबर 2014) कि अब ₹ 1,04,500 की राशि की वसूली की जा चुकी है।

इस प्रकार, 2009-14 के दौरान ₹ 250.66 करोड़ की कुल उपलब्ध निधियों में से ₹ 131.48 करोड़ की राशि अव्ययित रही। सामुदायिक शौचालयों के रख-रखाव हेतु कोई योजना नहीं बनाई गई थी। चार जिलों में 196 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के लक्ष्य के विरुद्ध, केवल

⁸

(i) निसिंग (ii) इंद्री (iii) जगाधरी (iv) सढ़ौरा (v) हिसार-I (vi) फतेहाबाद (vii) टोहाना (viii) रानिया तथा (ix) ऐलनाबाद।

113 परिसर निर्मित किए गए थे। भौतिक सत्यापन के दौरान, 22 ग्राम पंचायतों के 28 संस्थागत शैक्षालय अधूरे पाए गए। 83 लाभार्थियों को ₹ 3.10 लाख के प्रोत्साहन का दो बार भुगतान पाया गया।

शिक्षा विभाग

3.3 डयूल डैस्कों के प्रापण में परिहार्य व्यय

उच्च दरों पर डयूल डैस्क की खरीद के परिणामस्वरूप ₹ 7.61 करोड़ का अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ।

पंजाब वित्तीय नियम (पंविनि) वाल्यूम-1 के नियम 2.10 (ए), जो कि हरियाणा सरकार द्वारा अपनाए गए हैं, के प्रावधान के अनुसार राज्य के राजस्व में से व्यय करने अथवा स्वीकृत करने में प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को वित्तीय औचित्य के उच्च मानकों द्वारा मार्गदर्शित किया जाना चाहिए। नियम 2.10 (ए) (1) आगे प्रावधान करता है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी द्वारा सरकारी धन से किए जाने वाले व्यय के बारे में उसी सावधानी का पालन करने की आशा की जाती है जैसे एक सामान्य विवेक वाला व्यक्ति अपने स्वयं के धन को खर्च करने के संबंध में करेगा।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा (नि.प्रा.शि.), हरियाणा, के अभिलेखों की संवीक्षा (नवंबर 2013) ने दर्शाया कि नि.प्रा.शि. ने स्कूल विद्यार्थियों के लिए ₹ 40 करोड़ की राशि के डयूल डैस्कों की खरीद के लिए संविदा दर हेतु निदेशक, आपूर्ति एवं निपटान (नि.आ. एवं नि.) हरियाणा को मांग भेजी। नि.आ. एवं नि. ने निविदाएं आमत्रित की (फरवरी 2012) तथा पांच फर्मों ने अपनी दरें उद्धृत की जिनमें से तीन फर्मों द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दरें जैसा कि तालिका 3.1 में दर्शाया गया है:

तालिका 3.1: उत्पाद शुल्क के कारण किए गए अधिक भुगतान दर्शाने वाली विवरणी

फर्म का नाम (मैसर्ज)	फर्म द्वारा प्रस्तुत कुल दर (उ.श. सहित) (₹ प्रति इकाई)	मोलभाव के बाद प्रस्तुत दर (उ.श. के बिना) (₹ प्रति इकाई)	देय उत्पाद शुल्क (₹ प्रति इकाई)	आपूरित डयूल डैस्क की संख्या	उत्पाद शुल्क के कारण अतिरिक्त भुगतान (₹ लाख में)
ओ.के. प्ल्स इंडिया लिमिटेड, मेवात	5,801.06	4,300	531.48	1,07,755	572.70
स्पेसबुड फर्निशर्ज प्राइवेट लिमिटेड, नागपुर	5,880.00	4,300	531.48	35,448	188.40
डिजाइन ऐज इंटीरियरज प्राइवेट लिमिटेड, बद्दी (सेज में स्थित)	5,745.00	4,300	शून्य	35,448	--
कुल				1,78,651	761.10

(स्रोत: विभागीय अभिलेखों से ली गई सूचना)

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि मोल-तोल के पश्चात् इन तीन न्यूनतम फर्मों ने ₹ 4,300 (उत्पाद शुल्क के बिना) प्रति डयूल डैस्क अपनी दरें प्रस्तुत की। मांगकर्ता विभाग की सिफारिशों पर उच्च अधिकारप्राप्त क्रय कमेटी (उ.अ.क्र.क.) ने उपर्युक्त फर्मों के मध्य क्रमशः 60:20:20 के अनुपात में मात्रा के आबंटन के साथ ₹ 4,300 प्रति डयूल डैस्क जमा यथा लागू उत्पाद शुल्क⁹ की दर पर डयूल डैस्कों की खरीद को अनुमोदित किया (मई 2012)।

⁹ मौजूदा उत्पाद शुल्क 12 प्रतिशत तथा उस पर 3 प्रतिशत शिक्षा उपकर की दर पर लागू था।

उपर्युक्त तालिका से यह भी स्पष्ट है कि मैसर्ज डिजाईन एज इंटीरियर्स प्राइवेट लिमिटेड, बद्दी के मामले में विशेष आर्थिक क्षेत्र (वि.आ.क्षे.) में स्थित होने के कारण कोई उत्पाद शुल्क देय नहीं था। परंतु, तीनों फर्मों द्वारा प्रस्तुत दरों की तुलनात्मक विवरणी को तैयार करते समय, ई.डी. को ध्यान में नहीं रखा गया जिसके कारण मूल दर जिस पर मोल - तोल के पश्चात पहुंचा गया था की अपेक्षा दो फर्मों नामक मैसर्ज ओ.के. प्ले इंडिया लिमिटेड, मेवात तथा मैसर्ज स्पेसवुड, नागपुर के मामले में एफ.ओ.आर. दर/सकल दर कहीं अधिक थी। इस प्रकार, सभी तीनों फर्मों द्वारा प्रस्तुत दरों की तुलनात्मक विवरणी ठीक से तैयार नहीं की गई थी तथा प्राधिकारियों द्वारा दरों की त्रुटिपूर्ण तुलनात्मक विवरणी पर आधारित कथित निर्णय लेने में गलती की गई थी।

प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग ने बताया (दिसंबर 2014) कि सरकारी राजकोष को कोई हानि नहीं थी क्योंकि विभाग द्वारा दिया गया उत्पाद शुल्क भारत सरकार के खाते में गया था और किसी प्राइवेट पार्टी के खाते में नहीं गया था। अतः, सरकारी राजकोष को कोई 'निवल हानि' नहीं है। विभाग ने पूर्ण रूप से उच्च अधिकारप्राप्त क्रय कमेटी द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुसार क्रय आदेश जारी किए थे।

उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि उपर्युक्त तीनों फर्मों से 60:20:20 के अनुपात में आबटित क्रय में उच्च अधिकारप्राप्त क्रय कमेटी तथा मांगकर्ता विभाग का निर्णय उचित नहीं था, जैसा कि मैसर्ज डिजाईन एज इंटीरियर्स प्राइवेट लिमिटेड, बद्दी (हि.प्र.) ने पूर्ण आपूर्ति आदेश को निभाने में अपनी असमर्थता को नहीं दर्शाया था। मैसर्ज डिजाईन एज इंटीरियर्स प्राइवेट लिमिटेड, बद्दी (हि.प्र.) एफ.ओ.आर. आधारित न्यूनतम निविदाकर्ता था, इस प्रकार 100 प्रतिशत क्रय आदेश, इसे आबटित किया जाना चाहिए था। निदेशक, प्राथमिक शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा ने इन दो अयोग्य फर्मों से 1,43,203¹⁰ डयूल डैस्क खरीदे जिसके परिणामस्वरूप ₹ 7.61 करोड़¹¹ का अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ। यदि विभाग द्वारा न्यूनतम योग्य निविदाकर्ता को संपूर्ण आपूर्ति आदेश जारी किया होता तो ₹ 7.61 करोड़ की राशि को बचाया जा सकता था।

3.4 कंटेनरों की विक्रेताकृत खरीद के कारण अतिरिक्त व्यय

वित्तीय नियमों तथा प्रापण नीति की अननुपालना तथा दरों के विश्लेषण में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.06 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

पंजाब वित्तीय नियमों के नियम 15.2 वाल्यूम - I, जो कि हरियाणा राज्य द्वारा अपनाया गया है, के प्रावधान के अनुसार क्रय अधिकतम मितव्ययिता से की जानी चाहिए। उच्चतर प्राधिकारी की संस्थीकृति प्राप्त करने से बचने के लिए क्रय आदेशों को विखंडित नहीं करना चाहिए। जब भंडारण की खरीद खुले बाजार से की जानी हो, तब खुले प्रतिस्पर्धात्मक निविदा की प्रणाली को अपनाना चाहिए तथा खरीद, जब तक कि इसके विपरीत कुछ विशेष कारण न हो, न्यूनतम निविदाकर्ता से की जानी चाहिए।

¹⁰ मैसर्ज ओ.के. प्ले इंडिया लिमिटेड, मेवात: 1,07,755 डयूल डैस्क तथा मैसर्ज स्पेसवुड फर्नीशर्स प्राइवेट लिमिटेड, नागपुर: 35,448 डयूल डैस्क।

¹¹ डयूल डैस्कों की संख्या: 1,43,203 x ₹ 531.48 = ₹ 7.61 करोड़।

कार्यालय महानिदेशक, प्राथमिक शिक्षा (प्रा.शि.), हरियाणा के अभिलेखों की संवीक्षा (नवंबर 2013) ने दर्शाया कि विभाग ने मिड-डे-मील स्कीम के अंतर्गत 5,285 प्राथमिक स्कूलों तथा 3,875 उच्च प्राथमिक स्कूलों में, खाद्यान्नों के संग्रहण के लिए प्रत्येक स्कूल हेतु दो कटेनरों की खरीद हेतु प्रस्ताव किया। महानिदेशक, प्रा.शि. ने राज्य के सभी जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों (जि.प्रा.शि.अ.) को उनकी आवश्यकताओं को भेजने बारे निर्देश दिए (जून 2011)। क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त मांग तथा कुटेशन के आधार पर विभाग ने कटेनरों की खरीद हेतु संबंधित स्कूलों के अध्यक्षों के बैंक खातों में ₹ 3.30 करोड़ की राशि स्थानांतरित कर दी (अप्रैल 2013)। पूरे राज्य में स्कूल स्तर पर खरीद की गई।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि प्रमुख समाचार - पत्रों में विज्ञापन दे कर निविदाएं खोलने की बजाय, जिला स्तर पर सभी जि.प्रा.शि.अ. द्वारा कुटेशन प्राप्त किए गए तथा अनुमोदन प्राप्ति हेतु महानिदेशक, प्रा.शि., हरियाणा को अग्रेषित किए गए। प्रासंगिक पेपरों की संवीक्षा ने निम्नलिखित दर्शाया:

- कुटेशनों की प्राप्ति से पहले कोई तकनीकी विशिष्टताएं तय नहीं की गई थी तथा जिला स्तर पर प्रस्तावों में भिन्न-भिन्न विशिष्टताएं उद्धृत की गई थी तथा कटेनरों की विशिष्टताओं में कोई समानता नहीं थी तथा विभाग द्वारा तीन जिलों (पलवल¹², पंचकुला¹³ तथा रोहतक¹⁴) के लिए 22 गेज, पानीपत¹⁵ जिले के लिए 20 गेज तथा कैथल¹⁶ जिले के लिए 18 गेज कटेनरों की दरें अनुमोदित की गई थी।
- विभाग द्वारा जिलावार दरें अनुमोदित की गई थी। प्राथमिक स्कूलों के मामले में बारह जिलों में तीन किवंटल क्षमता वाले 24 गेज, कटेनरों की दरें ₹ 1,100 तथा ₹ 1,900 के बीच भिन्न थी। प्राथमिक स्कूलों के लिए प्रति कटेनर मूल्य में ₹ 800 का अधिकतम अंतर था।
- उच्च प्राथमिक स्कूलों के मामले में बारह जिलों में पांच किवंटल क्षमता वाले 24 गेज, कटेनरों की दरें ₹ 1,400 तथा ₹ 2,500 के मध्य भिन्न थी। उच्च प्राथमिक स्कूलों के लिए प्रति कटेनर मूल्य में ₹ 1,100 का अधिकतम अंतर था।

इस प्रकार, विभाग द्वारा उच्चतर दरों पर ₹ 3.30 करोड़ की लागत पर 18,320¹⁷ कटेनरों की खरीद के परिणामस्वरूप ₹ 1.06 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ (जैसा कि परिशिष्ट 3.2 में वर्णित है)। जो बचाया जा सकता था यदि विभाग ने नि.आ. एवं नि., हरियाणा के माध्यम से केन्द्रीयकृत खरीद को अपनाया होता।

¹² 3 किवंटल: ₹ 1,584, 5 किवंटल: ₹ 2,150

¹³ 3 किवंटल: ₹ 1,867, 5 किवंटल: ₹ 2,499

¹⁴ 3 किवंटल: ₹ कोई मांग नहीं, 5 किवंटल: ₹ 2,263

¹⁵ 3 किवंटल: ₹ 1,500, 5 किवंटल: ₹ 2,800

¹⁶ 3 किवंटल: ₹ 1,790, 5 किवंटल: ₹ 2,550

¹⁷ 5,285 प्राथमिक स्कूलों के लिए 10,570 कटेनर तथा 3,875 उच्च प्राथमिक स्कूलों के लिए 7,750 कटेनर।

निदेशक, प्रा.शि. ने अपर मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, हरियाणा के अनुमोदन से बताया (नवंबर 2014) कि भारत सरकार तथा प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार के निर्देशों के अनुसार, स्कूलों के लिए कंटेनरों की तुरंत आवश्यकता थी, जि.प्रा.शि.अ. द्वारा कुटेशन मांगी गई तथा प्राधिकारियों द्वारा न्यूनतम दरें अनुमोदित की गई तथा स्कूल स्तर पर खरीद की गई। परंतु उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि खरीद की प्रक्रिया जून 2011 में प्रारंभ की गई थी और खरीद दो वर्ष के पश्चात् की गई थी।

मामला जुलाई 2014 में प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग को भेजा गया था। उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2015)।

पर्यावरण विभाग (हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) तथा स्वास्थ्य विभाग

3.5 हरियाणा में बायो – मैडिकल वेस्ट प्रबंधन नियमों का कार्यान्वयन

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा स्वास्थ्य विभाग ने बायो – मैडिकल वेस्ट (मैनेजमैंट एण्ड हैंडलिंग) नियम, 1998 लागू नहीं किए क्योंकि बायो – मैडिकल वेस्ट (बा.मै.वे.) उत्पन्न करने वाली स्थापनाओं की पहचान नहीं की गई थी तथा प्राधिकृत स्वास्थ्य देरव – रेव स्थापनाओं का निरीक्षण नहीं किया गया था। बायो – मैडिकल वेस्ट, रंग कोडिङ कंटेनरों में अलग – अलग नहीं किए जा रहे थे न ही उचित प्रकार से निपटान किए जा रहे थे।

पर्यावरण की सुरक्षा तथा मनुष्य, दूसरे जीवित प्राणी, पौधे एवं संपदा को खतरे से बचाने के लिए संसद ने पर्यावरण (बचाव) अधिनियम, 1986 (अधिनियम) बनाया। अधिनियम के सैक्षण 6, 8, तथा 25 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के पालन में, भारत सरकार ने अस्पतालों, कलीनिकों तथा दूसरे संस्थानों से उत्पन्न बायो – मैडिकल वेस्ट¹⁸ (बा.मै.वे.) के मैनेजमैंट एण्ड हैंडलिंग हेतु बायो – मैडिकल वेस्ट (मैनेजमैंट एण्ड हैंडलिंग) नियम, 1998 अधिसूचित किए। राज्य में, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (हरा.प्र.नि.बो.) नियमों को लागू करने हेतु प्राधिकृत प्राधिकारी था। हरा.प्र.नि.बो. द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (कें.प्र.नि.बो.) को प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्टों के अनुसार राज्य में 2011 में 2,145 प्राधिकृत (नियम 8 के अंतर्गत) स्वास्थ्य देरवरेव स्थापना (स्वा.दे.स्था.) थे जो मार्च 2014 को 2,505¹⁹ तक बढ़ गए।

अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के अनुपालन के प्रसार को सुनिश्चित करने के विचार से जनवरी और फरवरी 2014 में चेयरमैन, हरा.प्र.नि.बो.; महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं तथा हरा.प्र.नि.बो. के 12 क्षेत्रीय कार्यालयों (क्षे.का.) में से चार²⁰ के कार्यालयों में अभिलेखों की नमूना – जांच की गई। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा दल, हरा.प्र.नि.बो. कर्मचारी तथा

¹⁸ नियम 3 (5) प्रावधान करता है कि 'बायो – मैडिकल वेस्ट' का अर्थ है कोई अपशिष्ट जो निदान, उपचार या मनुष्यों अथवा पशुओं के टीकाकरण या इससे संबंधित अनुसंधान गतिविधियों अथवा उत्पादन में या जैविक परीक्षण के दौरान उत्पन्न होते हैं।

¹⁹ सरकारी स्वा.दे.स्था.: 471 तथा प्राइवेट स्वा.दे.स्था.: 2,034

²⁰ (i) बल्लभगढ़ (ii) जींद (iii) पानीपत तथा (iv) यमुनानगर।

स्वादेस्था. स्टाफ द्वारा हस्ताक्षरित प्रश्नावली को भरने के द्वारा 80 स्वादेस्था. तथा तीन सामान्य उपचार सुविधा (सा.उ.सु.) के संचालकों की हराप्रनिबो. कर्मचारियों के साथ परिसरों की संयुक्त जांच भी की गई (जून और जुलाई 2014)।

लेखापरीक्षा के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई:

(i) बायो-मैडिकल वेस्ट उत्पन्न करने वाले यूनिटों की पहचान न करना

बा.मै.वे. नियम, 1998 का नियम 6 प्रावधान करता है कि बा.मै.वे. अन्य अपशिष्टों के साथ मिलाना नहीं चाहिए तथा उत्पत्ति स्थल पर प्राधिकृत थैलों/कंटेनरों में अलग-अलग किया जाना चाहिए, उत्पन्न होने के 48 घंटों के भीतर निपटान हेतु प्राधिकृत मोटर वाहन में निपटान स्थल तक ले जाना चाहिए। आगे, नियम - 7 प्रावधान करता है कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इन नियमों को लागू करने के लिए प्राधिकृत प्राधिकारी है। भारत सरकार के निर्देशों (नवंबर 2011) के अनुसार, स्वास्थ्य विभाग को यह सुनिश्चित करना था कि राज्य में कार्यरत सभी स्वादेस्था., बा.मै.वे. नियम, 1998 के प्रावधानों का पालन कर रहे थे तथा इस पर समयबद्ध स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे थे।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि हराप्रनिबो. ने बा.मै.वे. नियमों का प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए उत्पन्न करने वाले यूनिटों की पहचान नहीं की थी तथा स्वास्थ्य विभाग ने सुनिश्चित नहीं किया था कि सभी बा.मै.वे. उत्पन्न करने वाले स्वादेस्था., बा.मै.वे. नियमों के अंतर्गत प्राधिकार प्राप्त करते हैं। यह भी देखा गया कि मार्च 2014 को राज्य में सभी 2,669 सरकारी पशु-चिकित्सा संस्थानों ने हराप्रनिबो. से निर्देशों की कमी के कारण नियमों के अंतर्गत प्राधिकरण हेतु आवेदन नहीं किया था। हराप्रनिबो. ने सूचित किया (सितंबर 2014) कि स्टाफ की कमी के कारण पशु चिकित्सा संस्थानों की बायो-मैडिकल वेस्ट उत्पन्न करने वाली स्वादेस्था. के रूप में पहचान नहीं की थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि प्रवर्तन अधिकारी होने के नाते हराप्रनिबो. की बायो-मैडिकल वेस्ट उत्पन्न करने वाली प्रत्येक स्वादेस्था. की पहचान करने तथा नियमानुसार बायो-मैडिकल वेस्ट के निपटान को सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी थी।

(ii) उत्पन्न बायो-मैडिकल वेस्ट की मात्रा का निर्धारण न करना

बा.मै.वे. नियम, 1988 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक एच.सी. द्वारा बा.मै.वे. की उत्पत्ति, भण्डारण, उपचार तथा निपटान से संबंधित अभिलेख अनुरक्षित किए जाने थे। नियम 10 भी प्रावधान करता है कि हराप्रनिबो. द्वारा एच.सी.जे से प्राप्त सूचना संकलित रूप में केंप्रनिबो. को भेजी जानी थी।

संयुक्त निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि 80 स्वादेस्था. में से 39 स्वादेस्था., हराप्रनिबो. को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर रहे थे तथा वर्ष 2011, 2012 तथा 2013 के लिए वार्षिक रिपोर्ट तीन से सात माह के विलंब के साथ प्रस्तुत की गई थी। हराप्रनिबो., प्रत्येक स्वादेस्था.. द्वारा उत्पन्न एवं निपटान किए गए बायो-मैडिकल वेस्ट के विवरण की वार्षिक रिपोर्टों को संकलित नहीं कर रहा था जोकि बा.मै.वे. नियमों, 1998 के नियम 10 के उल्लंघन में था। 80 स्वादेस्था. में से, नौ स्वादेस्था. बा.मै.वे. की उत्पत्ति, भण्डारण, उपचार तथा निपटान से संबंधित कोई रिकार्ड अनुरक्षित नहीं कर रहे थे।

(iii) स्वा.दे.स्था. की जांच न करना

पर्यावरण विभाग ने निर्देश दिए (नवंबर 2009) कि हरा.प्र.नि.बो. सभी प्राधिकृत स्वा.दे.स्था. की, विशेषतया बायो-मैडिकल वेस्ट की उत्पत्ति तथा हटाने के संबंध में, एक मासिक जांच करेगी।

नमूना-जांच किए गए चार²¹ क्षेत्रीय कार्यालयों में यह देखा गया कि 2009-14 की अवधि के दौरान हरा.प्र.नि.बो. द्वारा प्राधिकृत स्वा.दे.स्था. के 40,788 मासिक निरीक्षण की जानी अपेक्षित थी जिसके विरुद्ध केवल 1,403 निरीक्षण (तीन प्रतिशत) की गई थी। हरा.प्र.नि.बो. ने सूचित किया (सितंबर 2014) कि स्टाफ की कमी के कारण स्वा.दे.स्था. के निरीक्षण में कमी थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कमी लगभग 97 प्रतिशत थी तथा कुछ स्वा.दे.स्था. पांच वर्षों की अवधि के दौरान एक बार भी निरीक्षित नहीं किए गए थे।

संयुक्त निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताएं

बा.मै.वे. के सुरक्षित निपटान को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हरा.प्र.नि.बो. के कर्मचारियों के साथ 80 स्वा.दे.स्था. का संयुक्त निरीक्षण किया गया। निम्नलिखित प्रमुख अनियमितताएं पाई गईः

(iv) रंग कोडिड कटेनरों में बायो-मैडिकल वेस्ट को अलग-अलग न करना

बा.मै.वे. नियम, 1998 के नियम 6 के अनुसार, बा.मै.वे. को उनके परिवहन, उपचार तथा निपटान से पूर्व रंग कोड स्कीम के अनुसार स्वा.दे.स्था. में उत्पत्ति स्थल पर उचित रंग कोडिड कटेनरों/थैलों में अलग-अलग किया जाना था। 80 स्वा.दे.स्था. के संयुक्त निरीक्षण के दौरान, यह पाया गया कि:

41 स्वा.दे.स्था. (51 प्रतिशत) में बायो-मैडिकल वेस्ट को, उत्पत्ति के स्रोत, अर्थात् वार्डों/कमरों/आप्रेशन थियेटर/प्रयोगशालाओं इत्यादि, पर अलग नहीं किया गया था।

नौ स्वा.दे.स्था. (11 प्रतिशत) रंग कोड वाले डिब्बों को नहीं रख रहे थे तथा 14 स्वा.दे.स्था. (17 प्रतिशत) में श्रेणीवार अलग-अलग दर्शने हुए चार्ट चिपकाए नहीं गए थे।

(v) बायो-मैडिकल वेस्ट का अनुचित भंडारण एवं संग्रहण

बा.मै.वे. नियम, 1998 का नियम 6 (1) प्रावधान करता है कि बायो-मैडिकल वेस्ट को अन्य अपशिष्टों के साथ नहीं मिलाना चाहिए तथा नियम 6(5) प्रावधान करता है कि कोई भी अनुपचारित अपशिष्ट 48 घंटों के बाद संचित नहीं रखा जाना चाहिए। संयुक्त निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि:

- 27 स्वा.दे.स्था. (34 प्रतिशत) में श्रेणीवार बा.मै.वे. रखने हेतु कोई अलग से भंडार कक्षों का प्रावधान नहीं किया गया था।
- 24 स्वा.दे.स्था. (30 प्रतिशत) में सेवा प्रदाता 48 घंटों की अनुबद्ध अवधि के बाद बा.मै.वे. उठा रहे थे।



ई.एस.आई. अस्पताल, पानीपत में रखुला सार्वजनिक संग्रहण केंद्र दर्शने वाला दिनांक 25 जून 2014 का फोटो

²¹

(i) बल्लभगढ़ (ii) जींद (iii) पानीपत तथा (iv) यमुनानगर।

(vi) बायो-मैडिकल वेस्ट का अनुचित निपटान

अनुसूची - I नियम - 5 के अनुसार मानव शारीरिक अपशिष्ट तथा पशु अपशिष्ट को भस्म कर देना था अथवा गहरे दबा देना था। सूक्ष्म जैविकी तथा जैव प्रौद्योगिक अपशिष्ट, तीक्ष्ण अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट प्लास्टिक के रूप में आटोक्लेव तथा आटोक्लेवड की बा.मै.वे. के द्वारा उपचार किए जाने आवश्यक थे तथा तीक्ष्ण अपशिष्टों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटना आवश्यक था तथा भराई पर निपटान किया जाना था। 80 स्वा.देस्था. के संयुक्त निरीक्षण के दौरान, यह पाया गया कि:



सामान्य अस्पताल, पलवल में खुले स्थान में फेंके गए सिरिंज, नीडल तथा खाली कांच की छोटी शीशियां दर्शाने वाला दिनांक 15 जुलाई 2014 का फोटो

- दस स्वा.देस्था. (13 प्रतिशत) में, अनुपचारित बा.मै.वे. जैसा कि मानव शारीरिक अपशिष्ट/नीडल सूई, ब्लेड, खून से भरी हुई रुई, प्लैसन्टा इत्यादि म्यूनिसिपल अपशिष्ट के साथ मिलाए जा रहे थे।
- नौ स्वा.देस्था. (11 प्रतिशत) में, सिरिंज, नीडल तथा छोटी खाली कांच की शीशियां खुले स्थान में फेंके जा रहे थे।
- 29 स्वा.देस्था. (36 प्रतिशत) अनुपचारित लाल श्रेणी के बा.मै.वे. खुले बाजार में बेचे/निपटान किए जा रहे थे।
- 47 स्वा.देस्था. (59 प्रतिशत) में नीडल, सूझियों, ब्लेडों इत्यादि के सुरक्षित संग्रहण, भंडारण ले जाने के लिए पंचर प्रूफ कटेनरों का प्रयोग नहीं किया जा रहा था।

इंगित किए जाने पर, हरा.प्र.निबो. ने बताया (दिसंबर 2014) कि 53 स्वा.देस्था. को कारण बताओ नोटिस जारी किए जा चुके हैं, जिसमें से 25 स्वा.देस्था. ने उत्तर दिया कि वे बा.मै.वे. नियमों का पालन कर रहे थे। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि हरा.प्र.निबो. ने नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए इन 25 स्वा.देस्था. का निरीक्षण नहीं किया था तथा लेखापरीक्षा परिणाम संयुक्त भौतिक सत्यापन, जहां हरा.प्र.निबो. से एक सदस्य शामिल था, पर आधारित थे।

(vii) सामान्य बायो-मैडिकल वेस्ट निपटान एवं उपचार सुविधा (सा.बा.मै.वे.नि.उ.सु.) का अ-प्रतिस्थापन

31 मार्च 2007 को समाप्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) में 'बायो-मैडिकल वेस्ट मैनेजमेंट' पर लेखापरीक्षा अनुच्छेद संख्या 3.3.9 के उत्तर में, प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग ने लोक लेखा समिति को आश्वासन दिया था (सितंबर 2012) कि राज्य के चार जिलों में पी.पी.पी. आधारित चार सामान्य बायो-मैडिकल वेस्ट निपटान एवं उपचार सुविधा स्थापित की जाएगी। चार जिलों अर्थात् फरीदाबाद, करनाल, हिसार, झज्जर में सामान्य सुविधाएं स्थापित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया (अगस्त 2012)। स्वास्थ्य विभाग द्वारा पी.पी.पी. आधारित सामान्य सुविधा की पहल एवं स्थापना करने की जिम्मेवारी लेनी थी। नगर निगम एवं स्थानीय निकायों को भूमि उपलब्ध करवानी थी तथा पर्यावरण विभाग/हरा.प्र.निबो. को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध करवानी थी।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि सा.बा.मै.वे.नि.उ.सु. की स्थापना हेतु 2009-14 की अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा हरा.प्र.निबो. को सहायता अनुदान के रूप में जारी की गई ₹ 0.97 करोड़ की राशि हरा.प्र.निबो. के पास अप्रयुक्त पड़ी रही। यह अवलोकित किया गया कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा भूमि का आबंटन न करने तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा पहल न करने के कारण निधियों का उपयोग नहीं किया जा सका।

(viii) सेवा प्रदाताओं द्वारा अननुपालना

तीन सामान्य उपचार सुविधा आपरेटर के परिसर में संयुक्त निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईं:

- राज्य सरकार ने सामान्य उपचार सुविधा पर वेब-कैमरा लगाने हेतु निर्देश दिए (मई 2012)। तीन सामान्य उपचार सुविधा आपरेटरों द्वारा उनके परिसर पर यद्यपि सी.सी.टी.वी. कैमरे लगा दिए थे, वे हरा.प्र.निबो. द्वारा गतिविधियों की मानीटरिंग हेतु इंटरनेट से जोड़े नहीं गए थे।
- हरा.प्र.निबो. द्वारा सामान्य उपचार सुविधा को जारी प्राधिकरण पत्र के क्लॉज 29 के अनुसार खतरनाक अपशिष्ट को पाली, फरीदाबाद में उपचार भंडारण एवं निपटान सुविधा (उ.भं.नि.सु.) द्वारा निपटान किया जाना चाहिए। परंतु उ.भं.नि.सु. के आपरेटर ने सूचित किया कि राज्य के कुल दस सामान्य उपचार सुविधा आपरेटरों में से पांच ने भस्मक से उत्पन्न राख के अंतिम निपटान हेतु अनुबंध नहीं किया था। अननुपचारित भस्मक सामान्य उपचार सुविधा आपरेटरों के परिसर में पड़ी थी।
- राज्य सरकार के आदेशों (मई 2012) ने प्रावधान किया कि सिविल सर्जन को सुनिश्चित करना चाहिए कि अपशिष्ट ले जाने वाले वाहन में जी.पी.एस. सिस्टम लगा होना चाहिए तथा यह देखने के लिए कि क्या वाहन वास्तव में निपटान स्थल पर पहुंच रहा था अथवा नहीं, इसका सिविल सर्जन के कार्यालय के साथ संबंध स्थापित होना चाहिए। सामान्य उपचार सुविधा आपरेटरों द्वारा स्वा.दे.स्था. से बा.मै.वे. ले जाने वाले वाहनों में जी.पी.एस. लगाए गए थे, फिर भी चार नमूना-जांच किए गए क्षेत्रीय कार्यालयों में वाहनों की आवाजाही मानीटर नहीं की गई थी जैसा कि सरकारी आदेशों में अपेक्षित था।
- 31 स्वा.दे.स्था. में, सामान्य उपचार सुविधा आपरेटर संग्रह केंद्र पर आवश्यकता के अनुसार रंग कोडिड पोलीथीन थैली की आपूर्ति नहीं कर रहे थे।
- तीन में से दो²² सामान्य उपचार सुविधा आपरेटरों ने अपने स्टाफ को प्रतिरक्षित नहीं किया था।

इस प्रकार, बा.मै.वे. उत्पन्न यूनिटों की पहचान करने में, उत्पन्न हुए बा.मै.वे. की मात्रा का निर्धारण करने में तथा स्वा.दे.स्था. के निरीक्षण में चूक थी। बा.मै.वे. को रंग कोडिड कटेनरों में अलग-अलग न करना तथा अनुचित संग्रहण/निपटान के उदाहरण देखे गए। बा.मै.वे. के निपटान में सेवा प्रदाताओं की ओर से भी कमियां पाई गईं। आगे, सामान्य बायो-मैडिकल अपशिष्ट के निपटान एवं उपचार सुविधा स्थापित नहीं की गई थी।

²²

मैसर्ज हाट सुप्रीम वेस्टेक (प्राइवेट) लिमिटेड, करनाल तथा मैसर्ज मारुति बायो-मैडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, भिवानी।

उपर्युक्त प्रसंग अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग तथा प्रधान सचिव, पर्यावरण विभाग को भेजे गए (अगस्त 2014); उत्तर प्रतीक्षित थे (जनवरी 2015)।

3.6 निधियों के अवरोधन के कारण ब्याज की हानि

ह.रा.प्र.नि.बो. द्वारा निवास इकाइयों के निर्माण हेतु ले-आऊट प्लान फाइनल किए बिना जनवरी 2008 में ह.रा.कृ.वि.बो. को ₹ दो करोड़ का भुगतान किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.90 करोड़ की निधियों का अवरोधन तथा ₹ 80 लाख के ब्याज की हानि हुई।

हरियाणा सरकार द्वारा यथा अपनाए गए पंजाब वित्तीय नियम (पं.वि.नि.) खंड - 1 का नियम 2.10(ए) प्रावधान करता है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को व्यय करते अथवा संस्वीकृत करते समय वित्तीय औचित्य के उच्च मानकों का पालन करना चाहिए तथा प्रत्येक कदम पर सरक्त मितव्य के वित्तीय आदेश प्रवर्तन हेतु उत्तरदायी है। प्रत्येक सरकारी अधिकारी से सरकारी धन से किए गए व्यय के संबंध में उसी प्रकार की सतर्कता बरतने की अपेक्षा की जाती है जैसी कि एक साधारण विवेक का व्यक्ति अपने स्वयं के धन के व्यय के संबंध में बरतता है। आगे, पूर्ववर्ती पी.डब्ल्यू.डी. कोड के पैरा 2.92 में प्रावधान किया गया था कि उस भूमि पर कोई भी कार्य आरंभ नहीं किया जाना चाहिए जिसे उत्तरदायी सिविल अधिकारियों द्वारा विधिवत् प्रदान नहीं किया गया है।

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (ह.रा.प्र.नि.बो.) ने अपने कर्मचारियों के लिए पंचकूला में एक आवासीय परिसर का निर्माण करने का निर्णय लिया (जुलाई 2004)। चेयरमैन, ह.रा.प्र.नि.बो. के अनुरोध पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुड़ा) ने सूचित किया (जुलाई 2004) कि पंचकूला के सैक्टर 23 में 1.5 एकड़ भूमि पर हुड़ा के समूह आवास मानकों के अंतर्गत विचार किया जा सकता है जिसमें प्रावधान किया गया कि कुल 90 प्रस्तावित निवास इकाइयों में से 82 इकाइयां 75 वर्ग मीटर से कम आकार की ₹ 3,200 प्रति वर्ग मीटर की दर पर होंगी तथा ₹ 1.92 करोड़ के संपूर्ण भुगतान की प्राप्ति के बाद फ्रीहोल्ड आधार पर 6,012 मीटर माप का प्लॉट नंबर जी.एच.-5, सैक्टर 23, पंचकूला में आवंटित किया (मई 2005)। भूमि का स्वामित्व जून 2008 में सौंपा गया था।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया (अगस्त 2013) कि ह.रा.प्र.नि.बो. ने हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (ह.रा.कृ.वि.बो.) से जमा कार्य के रूप में आवासीय परिसर के निर्माण करवाने हेतु निर्णय लिया (दिसंबर 2006)। ह.रा.कृ.वि.बो. ने 75 वर्ग मीटर से कम क्षेत्र वाले केवल 18 मकानों से समायुक्त छ: श्रेणियों²³ में मकानों के वर्गीकरण के आधार पर ₹ 15.47 करोड़ का अनुमान प्रस्तुत किया (अक्टूबर 2007)। ह.रा.प्र.नि.बो. ने ह.रा.कृ.वि.बो. को ₹ दो करोड़ का भुगतान किया (जनवरी 2008) जिसमें से ₹ 10.24 लाख चारदीवारी इत्यादि पर व्यय किया गया। ह.रा.प्र.नि.बो. ने भवन योजना में परिवर्तन के अनुमोदन हेतु हुड़ा से अनुरोध किया (फरवरी 2009) तथा हुड़ा ने निवास इकाइयों के आकार में परिवर्तन हेतु निर्धारित फीस तथा दरों में अन्तर के कारण

²³ चेयरमैन के लिए एक: 395 वर्ग मीटर, सचिव के लिए एक: 385 वर्ग मीटर, श्रेणी I के 10 मकान: 197.50 वर्ग मीटर, श्रेणी II के 12 मकान: 136.87 वर्ग मीटर, श्रेणी III के 49 मकान: 109.87 वर्ग मीटर तथा श्रेणी IV के 18 मकान: 50.38 वर्ग मीटर।

₹ 78.36 लाख की प्राप्ति (नवंबर 2011) के बाद अक्टूबर 2012 में अनुमति प्रदान की। परंतु निवास इकाइयों का संशोधित प्रस्ताव हुड़ा को प्रस्तुत किया गया है (जुलाई 2014) जिसके लिए अनुमोदन प्रतीक्षित था (दिसंबर 2014)।

इस प्रकार, भूमि का स्वामित्व लिए बिना तथा संशोधित भवन योजना के अनुमोदन के बिना ह.रा.कृ.वि.बो. के पास निधियां जमा करवाने के परिणामस्वरूप ₹ 1.90 करोड़ का अवरोधन तथा ₹ 80 लाख की राशि के ब्याज (सात प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर) की हानि हुई। आगे, ह.रा.प्र.नि.बो. के कर्मचारियों को आवास प्रदान करवाने का मुख्य उद्देश्य भी प्राप्त नहीं हुआ था।

यह इंगित किए जाने पर बोर्ड ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (अप्रैल 2014) कि आवासीय परिसर का कार्य हुड़ा द्वारा ड्राईंग का अनुमोदन न करने के कारण शुरू नहीं किया जा सका। यह आगे सूचित किया गया (जून 2014) कि निर्माण का कार्य टर्नकी आधार पर ह.रा.कृ.वि.बो. को पुनःआबटित किया गया है इस प्रकार, तथ्य रहता है कि ले-आउट प्लान को फाइनल किए बिना निधियां ह.रा.कृ.वि.बो. के पास जमा करवाई गई थी जिसके परिणामस्वरूप छः वर्ष तक निधियों का अवरोधन हुआ।

मामला, प्रधान सचिव, पर्यावरण विभाग के पास भेजा गया था (जुलाई 2014); उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2015)।

वित्त विभाग

3.7 अप्रयुक्त निधियों पर ब्याज का दावा न करना

विभिन्न सरकारी विभागों ने हरियाणा राज्य सङ्क एवं पुल विकास निगम (ह.रा.स.पु.वि.नि.) से अप्रयुक्त निधियों पर ₹ 20.21 करोड़ के ब्याज की वसूली नहीं की।

वित्त विभाग ने मार्च 2011 में निर्देश जारी किए कि सभी निगमों/बोर्डों/सोसायटीज जिनको सरकारी विभागों ने निर्माण/खरीद के लिए निधियां दी थी, अप्रयुक्त निधियों पर अर्धवार्षिक आधार पर इन विभागों को प्रतिवर्ष छः प्रतिशत की दर पर ब्याज का भुगतान करेगे। निर्देशों में आगे प्रावधान किया गया कि ऐसी इकाइयों से ब्याज वसूल करने तथा उनको सरकार के प्राप्ति शीर्ष में जमा करवाने के लिए प्रशासनिक विभाग जिम्मेदार थे। तथापि, राज्य सरकार ने, हरियाणा राज्य सङ्क एवं पुल विकास निगम (ह.रा.स.पु.वि.नि.) को इस नीति में इस सीमा तक रियायत दी (दिसंबर 2011) कि ह.रा.स.पु.वि.नि. प्रत्येक सरकारी विभाग के लिए पृथक आटो स्वीप फ्लैक्सी अकाउंट्स में निधियां रखेगा तथा वार्षिक आधार पर इन जमाओं पर अर्जित वास्तविक ब्याज का भुगतान करेगा।

ह.रा.स.पु.वि.नि. (जनवरी 2013) के लेखाओं की लेखापरीक्षा के दौरान, यह अवलोकित किया गया था कि विभिन्न सरकारी विभागों²⁴ ने कार्यों के निष्पादन के लिए ह.रा.स.पु.वि.नि. को निधियां जमा की थी लेकिन न तो इन विभागों ने दावा किया था और न ही ह.रा.स.पु.वि.नि. ने इन अप्रयुक्त

²⁴

नागरिक उद्ययन, मत्स्य पालन, कृषि, पशुपालन, शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीकी शिक्षा, परिवहन, खेलकूद, कानून तथा न्याय पंचायत तथा विकास, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र निधियां।

निधियों पर किसी ब्याज का भुगतान किया तथा अप्रैल 2011 से मार्च 2014 के बीच की अवधि के लिए ह.रा.स.पु.वि.नि. से ₹ 20.21 करोड़ का ब्याज वसूलनीय बन गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, ह.रा.स.पु.वि.नि. ने सूचित किया (जुलाई 2014) कि चूंकि जैसा कि क्लाइंट विभाग ने कभी मांग नहीं की थी, किसी क्लाइंट विभाग को ब्याज के लिए भुगतान नहीं किया गया था। फलैक्सी अकाउंट फरवरी 2012 से खोल दिए गए थे लेकिन वास्तविक आधार पर उपर्याप्त ब्याज भी क्लाइंट विभागों/निकायों/बोर्डों को नहीं दिया जा रहा था। अप्रयुक्त निधियों पर ब्याज के लिए मांग नहीं उठाने के लिए सरकारी विभागों से कारण मांगे गए (जून 2014) थे, जिसके उत्तर में कृषि, पशुपालन, स्वास्थ्य विभागों तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ने सूचित किया (जून-जुलाई 2014) कि कोई ब्याज प्राप्त नहीं किया गया था तथा मामले को ह.रा.स.पु.वि.नि. के पास उठाया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि प्रशासनिक विभाग द्वारा सरकारी निर्देशों की अनुपालना में ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित था। अन्य विभागों से उत्तर प्रतीक्षित थे (जनवरी 2015)।

इस प्रकार, सरकारी विभागों की ह.रा.स.पु.वि.नि. के पास जमा उनकी अप्रयुक्त निधियों पर ब्याज का दावा करने में विफलता के परिणामस्वरूप राज्य राजकोष को ₹ 20.21 करोड़ की हानि हुई।

मामला अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग को भेज दिया गया था (जुलाई 2014); उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2015)।

सामान्य प्रशासन विभाग (हरियाणा लोक सेवा आयोग) तथा तकनीकी शिक्षा विभाग

3.8 हरियाणा लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र से पदों की वापसी

14 प्राध्यापकों की तदर्थ नियुक्तियों की 10 वर्षों तक निरंतरता तथा बाद में उनके विनियमन के परिणामस्वरूप वेतन एवं भत्तों पर ₹ 8.43 करोड़ का अनियमित व्यय हुआ।

हरियाणा लोक सेवा आयोग (ह.लो.से.आ.) (कर्तव्यों के नियंत्रण) विनियम, 1973 के विनियम 3 तथा 6 के प्रतिपादन के प्रावधानों के अनुसार जब भी किसी प्रत्यक्ष भर्ती कोटे के विरुद्ध छ: मास की अवधि से अधिक समय के लिए स्थाई/अस्थाई पद पर तदर्थ नियुक्ति की जाती है तो नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सभी प्रकार से संपूर्ण एक मांग ह.लो.से.आ. को भेजी जानी अपेक्षित है तथा उनके (ह.लो.से.आ. की) अनुमोदन के बिना कोई भी तदर्थ नियुक्ति, छ: मास की अवधि से अधिक समय तक जारी रखने के लिए अनुमत न की जाए। इस पर भी बल दिया गया कि प्रत्यक्ष भर्ती कोटा पदों के विरुद्ध कोई तदर्थ नियुक्तियां नहीं की जाएंगी जब तक निर्धारित विधि द्वारा खुली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा इन पदों को भरने के लिए कदम न उठा लिए जाएं। इसके अतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालय ने भी सविधान के अनुच्छेद 320 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सरकार की निंदा²⁵ की तथा अवलोकित किया कि राज्य सरकारें पिछले दरवाजे से प्रवेश के माध्यम से नियुक्त तदर्थ व्यक्तियों

²⁵ पी. रविन्द्रन तथा अन्य बनाम पाइचेरी संघ राज्य क्षेत्र के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय।

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष हेतु सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्रों (गैर-स.क्षेत्र.) का प्रतिवेदन

की सेवाओं के विनियमन के लिए निदेश जारी करके लोक सेवा आयोग को उल्लंघन नहीं सकती। परिणामतः, हरियाणा सरकार ने तदर्थ कर्मचारियों को विनियमित करने के अनुदेश वापस ले लिए थे (दिसंबर 1997)।

ह.लो.से.आ. तथा तकनीकी शिक्षा विभाग (त.शि.वि.) के अभिलेखों (जनवरी तथा मई 2014) की नमूना-जांच ने दर्शाया कि त.शि.वि. ने वर्ष 1993 के दौरान 14 प्राध्यापक तदर्थ आधार पर नियुक्त किए थे तथा इन प्राध्यापकों की भर्ती के लिए ह.लो.से.आ. को मामला संदर्भित किए बिना उनकी सेवाएं 10 वर्षों तक जारी रखी। जुलाई 2011 की सरकार की विनियमन नीति के अनुसार तकनीकी शिक्षा विभाग ने, तदर्थ आधार पर नियुक्त 14 प्राध्यापकों के पद, जिन्होंने विभाग में 10 वर्ष तक अपनी तदर्थ सेवा पूरी कर ली थी, उनकी सेवाएं विनियमित करने के लिए ह.लो.से.आ. के अधिकार क्षेत्र से वापस लेने के लिए (जनवरी 2012) एक प्रस्ताव भेजा। ह.लो.से.आ. ने ह.लो.से.आ. (कर्तव्यों के नियंत्रण) विनियमन 1973 की अनुपालना को सुनिश्चित किए बिना तदर्थ आधार पर नियुक्त 14 प्राध्यापकों के विनियमन की प्रक्रिया अनुमत कर दी थी (फरवरी 2012)। तकनीकी शिक्षा विभाग ने तदर्थ आधार पर नियुक्त 14 प्राध्यापकों के पद मानवीय आधार पर विनियमित किए (मार्च 2012)।

इस प्रकार, दस वर्षों तक तदर्थ नियुक्तियों का जारी रखना तथा बाद में 14 तदर्थ प्राध्यापकों का विनियमन नियमों के प्रावधान के विरुद्ध था तथा 1993-94 से जून 2014 तक उनके वेतन एवं भत्तों पर किया गया ₹ 8.43 करोड़ का व्यय अनियमित था।

इंगित किए जाने पर, सचिव, ह.लो.से.आ. ने बताया (मई तथा सिंतबर 2014) कि भर्ती नियमों के तैयार न करने के कारण, ये पद ह.लो.से.आ. के अधिकार क्षेत्र से निकाले गए। उसने आगे बताया कि पदों को निकालना तथा भर्ती की पद्धति को निश्चित करना सरकार का विशेषाधिकार था। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि ह.लो.से.आ. के अनुमोदन बिना किसी तदर्थ नियुक्ति को छः माह से अधिक समय तक जारी रखने हेतु अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

मामला, मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार तथा प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, तकनीकी शिक्षा विभाग को टिप्पणी के लिए संदर्भित किया गया था (जुलाई 2014)। बार-बार अनुस्मारकों के बावजूद उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जनवरी 2015)।

स्वास्थ्य विभाग

3.9 अक्रियाशील ड्रग टैस्टिंग लैबोरेट्री तथा राज्य आयुर्वेदिक फार्मसी पर निष्फल व्यय

ड्रग टैस्टिंग लैबोरेट्री तथा राज्य आयुर्वेदिक फार्मसी के निर्माण पर ₹ 3.40 करोड़ का किया गया व्यय मानव शक्ति की अनुपलब्धता के कारण निष्फल रहा।

राज्य के आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी तथा होम्योपैथी (आयुष) ड्रग एनफोर्समेंट मैकेनिजम को मजबूत करने के विचार से राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार (भा.स.) ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आयुष ड्रग की गुणवत्ता नियंत्रण के लिए केंद्रीय प्रायोजित स्कीम आरंभ की। स्कीम का मुख्य उद्देश्य आयुष दवाइयों की गुणवत्ता नियंत्रण को सुनिश्चित करने के

लिए तैयार उत्पादों तथा कच्चा माल की बैच टु बैच टैस्टिंग के लिए इन - हाउस गुणवत्ता नियंत्रण लैबोरट्रीज तथा आयुष मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट्स स्थापित करना था।

महानिदेशक, आयुष के अभिलेखों (मई 2014) की संवीक्षा ने दर्शाया कि भारत सरकार ने, कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण राजकीय आयुर्वेदिक कालेज के कैम्पस में राज्य ड्रग टैस्टिंग लैबोरट्री (ड्रॉटै.लै.) तथा राज्य आयुर्वेदिक फार्मेसी (रा.आ.फा.) की स्थापना के लिए आयुष ड्रग्ज गुणवत्ता नियंत्रण के लिए केंद्रीय प्रयोजित स्कीम के अंतर्गत ₹ ३०० करोड़²⁶ का सहायता अनुदान जारी किया। रा.आ.फा. तथा ड्रॉटै.लै. दोनों के भवनों का निर्माण अक्टूबर 2008 तथा जनवरी 2009 के बीच क्रमशः ₹ 1.94 करोड़ तथा ₹ 0.94 करोड़ की लागत पर पूरा किया गया था। 2008-10 के दौरान ₹ 0.52 करोड़ की लागत पर मशीनरी/उपकरण भी खरीदे गए थे। लेकिन इन भवनों की पूर्ति के पांच वर्षों से ज्यादा समय बीतने तथा मानव शक्ति के लिए ₹ 20 लाख की निधियों की उपलब्धता के बाद भी ड्रॉटै.लै. तथा रा.आ.फा. मानव शक्ति की व्यवस्था न करने के कारण क्रियाशील नहीं किए गए थे। यह अवलोकित किया गया कि उपकरण/मशीनरी की एक वर्ष की वारंटी अवधि भी खत्म हो चुकी थी। इस प्रकार, ₹ 3.40 करोड़ (भवन निर्माण: ₹ 2.88 करोड़ तथा उपकरणों की खरीद: ₹ 0.52 करोड़) का व्यय निष्फल रहा, इसके अतिरिक्त स्कीम के उद्देश्य भी अप्राप्त रहे (नवंबर 2014)।

महानिदेशक, आयुष ने प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग की सहमति से बताया (नवंबर 2014) कि वित्त विभाग ने ड्रॉटै.लै. के लिए मानव शक्ति के लिए सहमति दे दी थी (जुलाई 2014), नवसृजित पदों के लिए नियम बनाए जा रहे हैं तथा ड्रॉटै.लै. निकट भविष्य में काम शुरू कर देगा। डी.जी. ने आगे बताया कि बिजली कनैक्शन लेने में प्रक्रियात्मक विलंब तथा ट्रांसफार्मर/बिजली कनैक्शन के लिए निधियों की अनुपलब्धता भी रा.आ.फा. के देश से शुरू होने के कारण थे तथा यह शीघ्र काम करना शुरू कर देगा। तथापि, तथ्य यह रहता है कि ड्रॉटै.लै. तथा रा.आ.फा. ₹ 3.40 करोड़ व्यय किए जाने के बावजूद क्रियाशील नहीं किए गए (नवम्बर 2014)।

गृह विभाग

3.10 सरकारी निधियों का निष्फल व्यय/अवरोधन

पुलिस विभाग द्वारा फायरिंग रेंज के लिए अपेक्षित उपकरण के अप्राप्त के परिणामस्वरूप भारत सरकार की ₹ 7.50 करोड़ की निधियों का अवरोधन हुआ इसके अतिरिक्त ₹ 1.36 करोड़ की लागत पर निर्मित भवन भी अप्रयुक्त रहा।

राज्य पुलिस फोर्स के आधुनिकीकरण की स्कीम के अंतर्गत जुलाई 2008 में भारत सरकार ने हरियाणा पुलिस अकादमी (ह.पु.अ.) मधुबन, करनाल में इंडोर फायरिंग रेंज के निर्माण के लिए स्कीम अनुमोदित की तथा उपकरणों की खरीद के लिए ₹ 7.50 करोड़ संस्वीकृत किए। बिल्डिंग का

²⁶ ड्रग टैस्टिंग लैबोरटरी: बिल्डिंग का निर्माण: ₹ 50 लाख, मशीनरी का प्राप्त: ₹ 30 लाख तथा ड्रॉटै.लै. को चलाने के लिए मानवशक्ति: ₹ 20 लाख तथा

राज्य आयुर्वेदिक फार्मेसी: बिल्डिंग का निर्माण: ₹ 100 लाख, मशीनरी का प्राप्त: ₹ 50 लाख, अतिरिक्त सहायता: ₹ 50 लाख।

निर्माण कार्य राज्य फंडों से अगस्त 2009 में ₹ 1.36 करोड़ की लागत पर पूरा किया गया था। निदेशक, ह.पु.अ. ने सुन्नाव दिया (अक्टूबर 2008) कि मैसर्ज मैगिट ट्रेनिंग सिस्टम, यूएस.ए., जिसने प्रीमियर सुरक्षा संगठन के लिए समान प्रोजेक्ट्स स्थापित किए थे, फायरिंग रेंज के लिए उपकरणों की आपूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त था।

प्रधान सचिव, गृह विभाग, हरियाणा सरकार ने फरवरी 2009 में हारट्रोन²⁷ के माध्यम से इंडोर फायरिंग रेंज चालू करने तथा उपकरणों से सज्जित करने के लिए ₹ 7.50 करोड़ की संस्थीकृति प्रदान की। हारट्रोन ने ह.पु.अ. को सूचित किया (जून 2009) कि निगम ने पहले ऐसे उपकरण क्रय नहीं किए थे तथा कथित प्रोजेक्ट को लेने का कोई अपेक्षित अनुभव नहीं था। मामला निदेशक, आपूर्ति तथा निपटान (नि.आ. एवं नि.) हरियाणा के साथ उठाया गया था, जिसने अक्टूबर 2009 में सूचित किया कि आइटम अत्यधिक विशिष्ट प्रकृति की थी तथा उनके पास तकनीकी विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं था। नि.आ. एवं नि. ने परामर्श दिया कि मांगकर्ता विभाग राज्य सरकार द्वारा बनाई गई विशेष क्रेता कमेटी ले सकता है तथा उनके स्तर पर यह मद खरीद सकता है। तदनुसार, राज्य सरकार द्वारा एक विशेष क्रेता कमेटी बनाई गई (दिसंबर 2009)। कमेटी ने जून 2012 में आयोजित अपनी बैठक हारट्रोन के माध्यम से खरीद विमुक्त कर दी तथा सिफारिश की कि प्रीमियर फर्म होने के कारण मैसर्ज मैगिट ट्रेनिंग सिस्टम से सीधे खरीद करने के लिए पुलिस विभाग, राज्य सरकार के साथ मामले को उठा सकता है। तथापि, पुलिस विभाग ने विशेष क्रेता कमेटी की सलाह पर कोई कार्रवाई नहीं की तथा कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया था (नवंबर 2014)।

लेखापरीक्षा के दौरान यह अवलोकित किया गया कि अगस्त 2009 में बिल्डिंग के पूरा होने से, सामग्री की सीमित उपलब्धता के बारे में निदेशक, ह.पु.अ. से स्पष्ट अनुशंसाओं के बावजूद फायरिंग रेंज को क्रियाशील बनाने के लिए आवश्यक उपकरणों के खरीद का मामला निर्णीत नहीं किया गया था तथा ₹ 7.50 करोड़ राशि की निधियां हारट्रोन के पास अप्रयुक्त पड़ी थी। आगे, यह अवलोकित किया गया कि राज्य सरकार ने पहले ही भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यू.सी.) प्रस्तुत कर दिए थे जो कि तथ्यपरक रूप से गलत था क्योंकि उपकरण अभी तक खरीदे जाने शेष थे। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, डी.जी.पी. हरियाणा ने सूचित किया (सितंबर 2014) कि विभाग ने मैसर्ज मैगिट ट्रेनिंग, जो इंडोर फायरिंग रेंज को स्थापित करने वाली अकेली एजेंसी थी, से सामग्री क्रय करने के लिए सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया था लेकिन सरकार ने हारट्रोन के माध्यम से खरीद करने का निर्णय लिया तथा सूचित भी किया कि इंडोर फायरिंग रेंज के लिए बनाई गई बिल्डिंग ट्रेनिंयों के ठहरने के लिए प्रयोग की जा रही थी।

इस प्रकार, अपेक्षित उपकरण प्राप्त करने में विभाग की विफलता के कारण फायरिंग रेंज क्रियाशील नहीं बनाई जा सकी तथा ₹ 7.50 करोड़ की भारत सरकार की निधियां अवरुद्ध रही, इसके अतिरिक्त ₹ 1.36 करोड़ की लागत पर निर्मित भवन अपेक्षित प्रयोजन हेतु उपयोग नहीं किया जा रहा था।

मामला अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग के पास भेजा गया था (जुलाई 2014); उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2015)।

²⁷

हरियाणा राज्य इलैक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड।

3.11 पुलिस विभाग में मानव शक्ति की तैनाती

अधिकारियों तथा आपरेशनल पुलिस फोर्स की कमी के बावजूद कुछ कार्यालयों में संस्थीकृत संरच्चा के आधिक्य में पुलिस कार्मिक तैनात थे। फारेंसिक साईंस लेबोरेट्री में कमी 50 प्रतिशत की सीमा तक थी परिणामतः सैम्पलों की लंबनता में वृद्धि हुई। राज्य में अपराध अनुपात पड़ोसी राज्यों की तुलना में बहुत अधिक था।

पुलिस विभाग का उद्देश्य कानून-व्यवस्था बनाए रखना, अपराधों को रोकना, पता लगाना, जांच करना तथा अपराधियों का सफल अभियोजन करना है। जनवरी 2014 तक राज्य में 269 पुलिस स्टेशन तथा 323 पुलिस चौकियां थीं। 2009-14 के दौरान विभाग के ₹ 8,365.43 करोड़ के कुल व्यय का लगभग 85 प्रतिशत स्थापना पर व्यय किया गया था। यह निर्धारित करने के विचार से कि मानव शक्ति आवश्यकताओं के लिए मानदंड वास्तविक थे तथा उपलब्ध मानव शक्ति दक्षता तथा प्रभावकारी ढंग से उपयोग की गई थी। 2009-14 की अवधि को आवृत्त करते हुए पुलिस महानिदेशक (डी.जी.पी.) के कार्यालय तथा 57 कार्यालयों में से 13²⁸ की जनवरी-अगस्त 2014 के दौरान लेखापरीक्षा की गई थी।

मानव शक्ति प्रोफाइल

- भारतीय पुलिस सेवा (आई.पी.एस.) तथा हरियाणा पुलिस सेवा (एच.पी.एस.) कैडर विभाग में 2009-14 के दौरान संस्थीकृत संरच्चा की तुलना में आई.पी.एस. तथा एच.पी.एस. अधिकारियों की वास्तविक संरच्चा परिशिष्ट 3.3 में वर्णित की गई अनुसार थी। आई.पी.एस. अधिकारियों की कमी 7 तथा 23 प्रतिशत के बीच थी तथा एच.पी.एस. अधिकारियों की कमी 2 तथा 35 प्रतिशत के बीच श्रृंखलित थी।**

डी.जी.पी. हरियाणा ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (अक्टूबर 2014) कि भारत सरकार को प्रत्येक वर्ष चार आई.पी.एस. अधिकारियों के आबंटन हेतु अनुरोध किया गया था तथा एच.पी.एस. अधिकारियों से आई.पी.एस. अधिकारियों का चयन लंबित कोर्ट मामलों के कारण नहीं किया जा सका था।

- आई.पी.एस. तथा एच.पी.एस. अधिकारियों को छोड़कर आपरेशनल पुलिस फोर्स 2009-14 के दौरान आपरेशनल पुलिस कार्मिकों (आई.पी.एस./एच.पी.एस. से अन्य) की कमी 21 तथा 26 प्रतिशत के बीच श्रृंखलित थी जिसने कानून तथा व्यवस्था को बनाए रखने को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया क्योंकि राज्य²⁹ में अपराध की दर बढ़ रही थी।**

²⁸ (i) महानिदेशक (क्राइम), पंचकूला (ii) अपर पुलिस महानिदेशक (सी.आई.डी.), पंचकूला (iii) पुलिस महानिरीक्षक (दूर संचार), पंचकूला (iv) पुलिस आयुक्त, गुडगांव (v) पुलिस उपायुक्त, पंचकूला (vi) पुलिस उपायुक्त (शहरी), अंबाला (vii) पुलिस अधीक्षक, नूह (viii) हरियाणा सशस्त्र पुलिस प्रथम बटालियन, अंबाला शहर (ix) हरियाणा सशस्त्र पुलिस 5वें बटालियन, मधुबन (x) फारेंसिक साईंस लैबोरेट्री, मधुबन (xi) हरियाणा सशस्त्र पुलिस चौथी बटालियन, मधुबन (xii) पुलिस अधीक्षक, कमांडो, नेवल तथा (xiii) पुलिस अधीक्षक, कैथल।

²⁹ दर्ज किए गए क्राइम 2009 में 79,379 से 2013 में 1,04,090 तक बढ़ गए थे।

डी.जी.पी. हरियाणा ने तथ्यों को स्वीकारते हुए बताया (अक्टूबर 2014) कि 2009 तथा 2014 के बीच ए.एस.आई. तथा एस.आई. के रैंक में कोई भर्ती नहीं की गई थी। आगे, यह बताया गया कि 67 इंस्पैक्टरों की सीधी भर्ती के लिए एक प्रस्ताव सरकार को भेजा गया था (फरवरी 2012) लेकिन अनुमोदन प्रतीक्षित था (जनवरी 2015)।

डी.जी.पी. के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा ने आगे दर्शाया कि 2009-14 के दौरान स्टाफ की समग्र कमी के बावजूद विभिन्न कार्यालयों में संस्वीकृत संरच्चय के आधिक्य में 84 तथा 400 के बीच श्रृंखलित विभिन्न कैडरों के पुलिस कार्मिक तैनात थे जिसने अन्य कार्यालयों में मानव शक्ति की कमी में आगे वृद्धि की।

विभाग द्वारा पुलिस: जनसंरच्चय अनुपात भी निर्धारित नहीं किया गया है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरों (एन.सी.आर.बी.) के अनुसार राज्य में पुलिसः जनसंरच्चय अनुपात, पड़ोसी राज्यों अर्थात् जम्मू तथा कश्मीर - 1:154, पंजाब - 1:365, चंडीगढ़ - 1:254 तथा दिल्ली - 1:251³⁰ की तुलना में बहुत कम (अर्थात् 1:576) था।

एन.सी.आर.बी. के अनुसार हरियाणा में पुलिसः अपराध अनुपात बहुत ज्यादा था अर्थात् पड़ोसी राज्यों पंजाब में: 1:1.10, जम्मू तथा कश्मीर: 1:0.47, चंडीगढ़: 1:1.24 तथा दिल्ली: 1:1.49 की तुलना में 1:2.50.

1 जनवरी 2010 तक 13,637 आपरेशनल स्टाफ की कमी थी। 2012 में कमी आगे, 13,926 तक बढ़ गई। कमी के बावजूद 2014 में केवल 1,111 पुरुष सिपाहियों की भर्ती की गई थी।

राज्य सरकार ने भारत सरकार के निर्देशों पर विभाग के पुनर्गठन प्लान तैयार करने के लिए पुलिस महानिदेशक को निवेश दिए (अप्रैल 2003) जो 2007 में सरकार को प्रस्तुत कर दिया गया था। वित्त विभाग के साथ अनेक बैठकों के बावजूद प्लान अनुमोदित नहीं किया गया था। विभाग ने पुलिसः जनसंरच्चय अनुपात को 1:300 तक बढ़ाने के लिए सरकार को एक प्रस्ताव भेजा (मार्च 2007) सात वर्ष बीत जाने के बावजूद यह प्रस्ताव अनुमोदित नहीं किया गया था (जनवरी 2015)।

(i) असंस्वीकृत पुलिस चौकियों का संचालन

हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 12 प्रावधान करती है कि डी.जी.पी. की सिफारिश पर राज्य सरकार आवश्यकतानुसार पुलिस स्टेशन एवं चौकियां बना सकती है।

अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि राज्य में 323 पुलिस चौकियां संचालन में थी जिनमें से 252 सरकार की संस्वीकृति के बिना संचालित की जा रही थी। डी.जी.पी. ने अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग को 2012-14 के दौरान 55 असंस्वीकृत पुलिस चौकियों को संस्वीकृति प्रदान करने हेतु अनुरोध किया। लेकिन सरकार द्वारा संस्वीकृति नहीं दी गई थी (जून 2014)। ये असंस्वीकृत पुलिस चौकियां संचालन में रखी गई थीं। चार एस.पी.ज (गुडगांव, नूह, अंबाला तथा पंचकुला) के अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि इन जिलों में 44 असंस्वीकृत पुलिस चौकियों पर 403 पुलिस कार्मिक तैनात थे। असंस्वीकृत पुलिस चौकियों के संचालन ने राज्य में आपरेशनल पुलिस बल की कमी की समस्या को आगे और बढ़ा दिया।

³⁰ गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानक 1:150 था।

डी.जी.पी. हरियाणा ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (अक्टूबर 2014) कि सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को शेष असंस्वीकृत पुलिस चौकियों के विनियमन के लिए प्रस्ताव भेजने हेतु निदेश दे दिए गए थे। तथ्य रहता है कि पुलिस चौकियां सरकार की संस्वीकृति के बिना संचालन में थी।

(ii) अस्थाई तबादले

यह अवलोकित किया गया था कि 134 आपरेशनल स्टाफ को विभिन्न जिला पुलिस कार्यालयों से मिनिस्ट्रीयल कार्य करने के लिए अस्थाई आधार पर डी.जी.पी. कार्यालय में विपश्चित कर दिया गया था। स्टाफ अगस्त 2014 तक छः महीने तथा 12 वर्षों के बीच शृंखलित अवधि के लिए तैनात था। तथापि, इस स्टाफ का वेतन संबंधित कार्यालयों से आहरित किया जा रहा था। डी.जी.पी. ने किसी चरण पर मिनिस्ट्रीयल कार्यों के लिए उनके लगातार रोके रखने के लिए औचित्य की समीक्षा नहीं की थी यद्यपि इसमें मिनिस्ट्रीयल स्टाफ तथा आपरेशनल पुलिस स्टाफ के वेतन के अंतर के कारण एक वर्ष (2013-14) के लिए ₹ 95.45 लाख की वित्तीय संलिप्ति थी। संवीक्षा ने आगे दर्शाया कि छः कार्यालयों में 370 कर्मचारियों में से 108 क्लास - IV कर्मचारी उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर तैनात थे।

इंगित किए जाने पर डी.जी.पी. हरियाणा ने बताया (अक्टूबर 2014) कि मिनिस्ट्रीयल स्टाफ के खाली पदों के विरुद्ध अस्थाई तबादले किए गए थे। तथ्य रहता है कि आपरेशनल स्टाफ मिनिस्ट्रीयल कार्य पर तैनात थे, जिसके परिणामस्वरूप आपरेशनल स्टाफ की कमी बढ़ गई थी तथा एक महीने की सैलरी, जो मिनिस्ट्रीयल स्टाफ को देय नहीं थी, के अतिरिक्त आपरेशनल तथा मिनिस्ट्रीयल स्टाफ के वेतन तथा भत्ते के अंतर के कारण राज्य राजकोष पर भी अतिरिक्त बोन्न पड़ा।

(iii) फारेसिक विज्ञान लैबोरेट्री

फारेसिक विज्ञान मुख्यतः: विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अनुप्रयोग से समायुक्त न्याय प्रशासन का एक सक्रिय क्षेत्र है। फारेसिक विज्ञान विशेषज्ञ, अपराध तथा संदिग्धों के बीच लुप्त कड़ियों को स्थापित करने में पुलिस अधिकारियों की सहायता करता है। फारेसिक विज्ञान लैबोरेट्री (एफ.एस.एल.) जो मधुबन में स्थित है, के 14 डिवीजन हैं जहां अपराध को सुलझाने में जांच अधिकारियों की सहायता करने के लिए विभिन्न सबूत विश्लेषित किए जाते हैं।

निदेशक, एफ.एस.एल. के अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि 280 संस्वीकृत संरच्चा के विरुद्ध 139 (50 प्रतिशत) पदों की कमी थी। स्टाफ की कमी के कारण सैम्पलों की टैस्टिंग की लंबनता 1,325 (दिसंबर 2009) से 3,504 (दिसंबर 2013) तक अधिक बढ़ गई थी (परिशिष्ट 3.4)।

डी.जी.पी. हरियाणा ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (अक्टूबर 2014) कि सैम्पलों की टैस्टिंग में लंबनता रिपोर्टिंग अफसरों तथा सहायक स्टाफ की भारी कमी के कारण तथा सैम्पलों की भारी संरच्चा में प्राप्ति के कारण भी बढ़ गई थी।

(iv) महिला पुलिस की नियुक्तियाँ

महिला तथा बच्चों के विरुद्ध अपराध की घटनाओं में वृद्धि तथा अपराधी गतिविधियों में महिलाओं के ज्यादा शामिल होने के कारण गृह मंत्रालय ने महिला पुलिस की संख्या की समीक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया। राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने भी पुलिस स्टेशनों में महिला पुलिस की कम से कम 10 प्रतिशत तैनाती की अनुशंसा की (नवंबर 1980)।

हरियाणा पुलिस में महिला पुलिस की संख्या 42,753 कार्मिकों की कुल संख्या के विरुद्ध नगण्य थी, केवल 2,444 (6 प्रतिशत) महिला पुलिस राज्य में तैनात थी (जनवरी 2014)।

डी.जी.पी. हरियाणा ने तथ्यों को स्वीकारते हुए बताया (अक्तूबर 2014) कि 344 महिला सिपाहियों की भर्ती के लिए मांग हरियाणा पुलिस भर्ती बोर्ड को पहले ही भेजी जा चुकी थी लेकिन भर्ती अभी तक नहीं की गई है (जनवरी 2015)।

(v) महिला पुलिस स्टेशनों की स्थापना न होना

डी.जी.पी. ने गुडगांव, फरीदाबाद, बहादुरगढ़ (झज्जर) तथा पंचकुला में चार महिला पुलिस स्टेशनों की स्थापना के लिए अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार (अ.मु.स.) को एक प्रस्ताव भेजा (मई 2013) तथा 176 पदों की संस्वीकृति मांगी।

डी.जी.पी. हरियाणा ने तथ्यों को स्वीकारते हुए बताया (अक्तूबर 2014) कि महिला पुलिस स्टेशनों की स्थापना के लिए प्रस्ताव दोबारा भेज दिया गया था (अगस्त 2014) लेकिन संस्वीकृति प्रतीक्षित थी (जनवरी 2015)।

(vi) मानव शक्ति की कमी/कुप्रबंधन का प्रभाव

पुलिस विभाग में मानव शक्ति की कमी का कानून तथा व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा है क्योंकि पुलिस अपराध न करने के लिए जनता के लिए निवारण का काम करती है। राज्य अपराध शाखा के अभिलेखों की संवीक्षा ने दिखाया कि रजिस्टर्ड अपराधों की संख्या 2009 में 79,379 से 2013 में 1,04,090 तक बढ़ गई थी।

उपर्युक्त डाटा से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि तैनाती में ज्यादा पुलिस कार्मिक प्रतिक्रिया समय में कमी, अपराध दर में वृद्धि का निवारण, डिटैक्शन तथा विश्वास में वृद्धि करेगी तथा सर्विस डिलीवरी को बढ़ाएगी।

डी.जी.पी. हरियाणा ने बताया (अक्तूबर 2014) कि विभाग द्वारा सुधारात्मक उपायों जैसे सार्वजनिक पुलिस सम्मेलन आयोजित करना, नाकों की स्थापना में वृद्धि, सी.सी.टी.वी. कैमरों की स्थापना, पुलिस पैट्रोलिंग पार्टियों/पी.सी.आर. में वृद्धि तथा महिला हैल्पलाइन नंबर जारी करना आदि शुरू किए गए थे। तथ्य रहता है कि मानव शक्ति की कमी ने राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित किया था।

इस प्रकार, आई.पी.एस. तथा एच.पी.एस. अधिकारियों एवं आपरेशनल पुलिस बल की कमी थी; इसके बावजूद, विभिन्न कार्यालयों में संस्थीकृत संरचना से अधिक पुलिस कार्मिक तैनात थे। आगे, 252 पुलिस चौकियां सरकार की संस्थीकृति के बिना संचालन में थी तथा फील्ड कार्यालयों के 134 पुलिस कार्मिक डी.जी.पी. कार्यालय में विपरित किए गए थे तथा एफ.एस.एल. में 50 प्रतिशत की सीमा तक स्टाफ की कमी थी परिणामतः सैम्पलों की लंबनता में वृद्धि हुई।

उपर्युक्त बिंदु अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग के पास भेजे गए थे (जुलाई 2014); उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2015)।

बागवानी विभाग

3.12 राज्य में राष्ट्रीय बागवानी मिशन का क्रियान्वयन

जैव खेती स्कीम के अंतर्गत चार सेवा प्रदाताओं द्वारा ₹ 1.58 करोड़, जो फार्म निवेशों के लिए अभिप्रेत थे, स्टॉफ वेतन हेतु विपरित किए गए थे। नए बागान स्कीम के अंतर्गत पौधों की उत्तरजीविता दर बहुत कम थी। 237 सामुदायिक टैंक अधूरे थे और पौधा स्वास्थ्य क्लीनिक अपेक्षित उद्देश्य हेतु प्रयुक्त नहीं किए गए थे।

विशिष्ट कौशल, बागवानी उत्पादन बढ़ाने, पोषक सुरक्षा और खेती करने वाले परिवारों को आय सहायता आदि के माध्यम से बागवानी क्षेत्र की होलिस्टिक ग्रोथ प्रदान करने के विचार से भारत सरकार (भा.स.), कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय ने 2005-06 के दौरान राष्ट्रीय बागवानी मिशन (रा.बा.मि.) शुरू किया। केंद्र एवं राज्य सरकारों के मध्य निधियों का हिस्सा 85:15 के अनुपात में था। मिशन के अंतर्गत मुख्य स्कीमें जैव खेती, बागवानी यंत्रावली, जल स्रोतों का सृजन, नए बागों एवं सुरक्षित खेती की स्थापना थी। राज्य में मिशन के क्रियान्वयन हेतु बागवानी विभाग ने दिसंबर 2005 में समितियां पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत समिति के रूप में हरियाणा राज्य बागवानी विकास अभिकरण (हरा.बा.वि.अ.) की स्थापना की। मिशन निदेशक, हरा.बा.वि.अ. और पांच जिला बागवानी अधिकारियों³¹ के कार्यालयों में 2009-10 से 2013-14 तक के अभिलेखों की नमूना-जांच अप्रैल 2014 से जून 2014 तक, उन्हें बिना परिवर्तन संभावित समानुपातिक आकार पद्धति द्वारा यह निर्धारित करने के लिए की गई कि क्या मिशन के अन्तर्गत स्कीमें दक्षता, मितव्ययिता और प्रभाविकता से क्रियान्वित की गई है। लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई मुख्य अनियमितताएं निम्न थीं:

वित्तीय प्रबंधन

2009-10 से 2013-14 तक की अवधि के दौरान, हरा.बा.वि.अ. ने ₹ 479.86 करोड़ की कुल उपलब्ध निधियों में से ₹ 443.96 करोड़ का व्यय किया था और नमूना-जांच किए गए पांच जिलों में ₹ 158.87 करोड़ का व्यय किया गया था।

³¹ जिला बागवानी अधिकारी (i) भिवानी, (ii) फतेहाबाद, (iii) करनाल, (iv) यमुनानगर तथा (v) सिरसा।

नमूना - जांच के दौरान यह देखा गया कि पांच सरकारी अभिकरणों³² से प्राप्त किए गए ₹ 34.47 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण - पत्र, लेखापरीक्षित लेखाओं की विवरणियों से समर्थित नहीं थे और सृजित परिसंपत्तियों तथा वाऊचरों का विवरण हरा.बा.वि.अ. के पास उपलब्ध नहीं था जो कि स्कीम के दिशानिर्देशों में अपेक्षित था। आवश्यक समर्थित प्रलेखों की अनुपस्थिति में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि निधियां स्कीम के दिशा निर्देशानुसार उपयोग की गई थी। मिशन निदेशक, हरा.बा.वि.अ. ने बताया (नवंबर 2014) कि ये अभिकरण सरकारी अभिकरण थे और उपयोगिता प्रमाण - पत्र उनके लेखाओं की लेखापरीक्षा के पश्चात् प्रस्तुत किए गए थे, इसलिए हरा.बा.वि.अ. द्वारा लेखापरीक्षित लेखाओं के विवरण कभी नहीं मांगे गए थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि समर्थित प्रलेख यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक थे कि निधियां स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार उपयोग की गई थी।

स्कीमों का क्रियान्वयन

(i) जैव खेती

जैव खेती, मुख्यतः जैविक विभिन्नता की वृद्धि, दीर्घावधि तक मिटटी उत्पादकता अनुरक्षण और स्थानीय संगठित विधि में नवीकरणीय संसाधनों पर विश्वास करने के लिए स्कीम के अंतर्गत अभिकल्प की गई थी। हरा.बा.वि.अ. ने 2009 - 14 की अवधि के दौरान जैव खेती के अंतर्गत, नमूना - जांच किए गए पांच जिलों में, 3,454 हैक्टेयर को लाने का लक्ष्य रखा गया था जिसके विरुद्ध वास्तविक उपलब्धि मात्र 923 हैक्टेयर (27 प्रतिशत) थी और ₹ 2.40 करोड़ का व्यय किया गया था। कमियां मुख्यतः यमुनानगर, फतेहबाद और सिरसा जिले में थीं।

जिला बागवानी अधिकारी (जि.बा.अ.) यमुनानगर द्वारा कमियों के कारण, कृषकों के भाग न लेने, बाढ़ संभावित क्षेत्र आदि को आरोपित किए गए और जि.बा.अ. फतेहबाद द्वारा यह कि स्कीमें प्रारम्भिक चरण में थी और समय गुजरने के साथ-साथ कृषकों में लोकप्रिय होगी। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि स्कीम क्षेत्र की जौसम स्थिति और किसानों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए बनाई जानी चाहिए।

अस्वीकार्य मदों पर अनियमित व्यय

स्कीम के दिशानिर्देशानुसार ₹ दस हजार³³ की सहायता प्रति हैक्टेयर फार्म निवेश के लिए दिए जाने थे और ₹ पांच लाख³⁴ की सहायता 50 हैक्टेयर के एक क्षेत्र से आवृत किसान समूह को प्रलेखन, प्रशिक्षण, आंतरिक नियंत्रण, प्रमाणीकरण के प्रभारों के लिए दी जानी थी। इस तरह ₹ 20,000 की

³² (i) हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार; (ii) हरियाणा बीज विकास निगम, पंचकूला; (iii) हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन, पंचकूला; (iv) हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड तथा (v) के.वी.के. (आई.ए.आर.आई.) गुडगांव।

³³ तीन वर्ष की अवधि पर विस्तारित यानि ₹ चार हजार प्रथम वर्ष में और ₹ तीन हजार क्रमशः दूसरे तथा तीसरे वर्ष में।

³⁴ तीन वर्ष की अवधि पर विस्तारित यानि ₹ 1.50 लाख प्रथम वर्ष में और ₹ 1.50 लाख क्रमशः दूसरे तथा ₹ 2 लाख तीसरे वर्ष में।

सहायता प्रति हैक्टेयर निवेश और प्रमाणीकरण के लिए समान अनुपात में दी जानी थी। भारत सरकार ने 10,181 हैक्टेयर पर स्कीम के क्रियान्वयन के लिए जनवरी 2009 और अक्टूबर 2009 में ₹ 20.38 करोड़ स्वीकृत किए। हरा.बा.वि.अ. ने ₹ 20.38 करोड़ के लिए 10,181 हैक्टेयर क्षेत्र पर जैव खेती अपनाने एवं प्रमाणीकरण के लिए सात अभिकरणों को सेवा प्रदाताओं के रूप में कार्य आरंभित किया (जनवरी 2009 और फरवरी 2010) और 31 मार्च 2014 तक ₹ 19.99 करोड़ के व्यय द्वारा 10,095 हैक्टेयर क्षेत्र को आवृत किया।

लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि लाभभोगी किसानों को फार्म इनपुट्स प्रदानगी के लिए ₹ 3.60 करोड़ चार सेवा प्रदाताओं को दिए गए थे परंतु इस राशि में से सेवा प्रदाताओं द्वारा ₹ 1.58 करोड़³⁵ का व्यय अस्वीकार्य मदों यथा स्टॉफ वेतन, टी.ए./डी.ए. आदि पर किया। मिशन निदेशक, हरा.बा.वि.अ. ने बताया (नवंबर 2014) कि फर्मों ने प्राधिकृत अभिकरणों से समझौता किया था तथा बड़े पैमाने पर प्रमाणीकरण से राशि की बचत की जो उन्होंने संसाधनों पर प्रयुक्त की। तीन वर्षों की अवधि में 50 निरीक्षण करवा कर स्कीम सही ढंग से मॉनीटर की जा रही थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि निधियां फार्म इनपुट्स के लिए अभिप्रेत थी।

(ii) नए बाग स्कीम

रा.बा.मि. ने बागवानी फसलों जैसे फल, फूल, मसाले, सुगंधित पौधे तथा काजू एवं नारियल जैसी पौधीय फसलों के अन्तर्गत नया क्षेत्र लाने के उद्देश्य से नए बागों की स्थापना हेतु सहायता प्रदान की। नए बाग स्कीम के अंतर्गत, नमूना-जांच किए गए पांच जिलों में ₹ 8.29 करोड़ व्यय करके 10,233 हैक्टेयर के लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 7,142 हैक्टेयर क्षेत्र आवृत किया गया था। जि.बा.अ. सिरसा ने बताया (मई 2014) कि न्यून उत्तरजीविता विकट मौसम स्थितियों, नहरी पानी की कमी आदि के कारण थी। जि.बा.अ. यमुनानगर और करनाल ने न्यून उत्तरजीविता के लिए बाढ़ एवं सर्दी पाला के कारणों को आरोपित किया (मई 2014)।

पौधों की कम उत्तरजीविता

रा.बा.मि. दिशानिर्देशों के अनुसार, लाभभोगियों को सहायता 60:20:20 की तीन वार्षिक किस्तों में जारी की जानी थी। दूसरी और तीसरी किस्त, पौधों के निर्धारित स्तर तक यानि कुल पौधाकरण के 75 प्रतिशत दूसरे वर्ष में और दूसरे वर्ष के 90 प्रतिशत तीसरे वर्ष में उत्तरजीविता को सुनिश्चित करने के पश्चात् ही जारी की जानी थी।

पांच जिलों की प्रगति रिपोर्टों की नमूना-जांच ने दर्शाया कि 2009-10 से 2011-12 के दौरान, 5,338.85 हैक्टेयर क्षेत्र पर फल बागानों की स्थापना हेतु सहायता की प्रथम किस्त जारी की गई थी। दूसरी किस्त 3,854.21 हैक्टेयर क्षेत्र के लिए जारी की गई थी तथा सहायता की तीसरी किस्त 3,603 हैक्टेयर³⁶ के लक्षित क्षेत्र के विरुद्ध मात्र 2,650.71 हैक्टेयर क्षेत्र के लिए जारी की गई। इस प्रकार से, पौधाकरण की उत्तरजीविता दर मात्र 50 प्रतिशत के लगभग थी।

³⁵ मैसर्ज गुलाब फल एवं सब्जियां: ₹ 8.20 लाख; मैसर्ज आई.सी.सी.ओ.ए. बंगलूरु: ₹ 113.50 लाख; मैसर्ज आई.पी.एल. नई दिल्ली: ₹ 13.66 लाख; तथा मैसर्ज के एन. बायों, हैदराबाद: ₹ 22.50 लाख।

³⁶ 5,338.85 हैक्टेयर क्षेत्र के कुल क्षेत्र का 67.5 प्रतिशत।

मिशन निदेशक, हरा.बा.वि.अ. ने सुनिश्चित किया (नवंबर 2014) कि 2,650.71 हैक्टेयर की निम्न उत्तरजीविता थी। इस प्रकार, हरा.बा.वि.अ., क्षेत्र की सौसम विशर्तों के अनुसार समुचित फसलों के नए बागानों को स्थापित करने में विफल रहा।

(iii) जल संसाधन स्कीम का सृजन

बागबानी फसलों की सिंचाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राबा.मि. ने सामुदायिक तालों, फार्म तालाबों/जलाशयों के निर्माण द्वारा पानी स्रोतों के सृजन हेतु सहायता प्रदान की। स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार, दो से अधिक लाभभोगी परिवारों के समुदाय/कृषक समूह को सहायता मात्र तभी दी जानी थी जब सभी समेकित घटक पूर्ण हो चुके हों। निबंधनों एवं शर्तों के मामले में सहायता की वसूली की जानी थी। इन सामुदायिक तालों के निर्माण हेतु सहायता चार किस्तों³⁷ में दी जानी थी। नमूना-जांच किए गए जिलों में 2009-14 के दौरान 1,121 सामुदायिक तालों के लिए ₹ 50.20 करोड़ की सहायता जारी की गई थी। लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया था कि:

- 237 सामुदायिक ताल जिसके लिए ₹ 7.84 करोड़ की सहायता जारी की गई थी, अपूर्ण थे और बागबानी उद्देश्य के लिए प्रयुक्त नहीं किए गए, इस प्रकार इन सामुदायिक तालों के लिए दी गई सहायता निष्पल हुई और सामुदायिक तालों के निर्माण का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका। मिशन निदेशक, हरा.बा.वि.अ. ने बताया (नवंबर 2014) कि प्रथम एवं द्वितीय किस्तों की जारी राशि की वसूली के लिए प्रयास किए जाएंगे। अंतिम कार्यवाही प्रतीक्षित थी (नवंबर 2014)।
- सहायता दो से अधिक लाभभोगी परिवारों के समूहों को दी जानी थी। आवेदन प्रपत्रों एवं अनुमोदन फाइलों की सर्वीक्षा के दौरान यह देखा गया कि 858 सामुदायिक तालों के लिए ₹ 36.72 करोड़ की सहायता उन समूहों को दी गई थी जिनमें मात्र दो लाभ भोगी परिवार थे।
- विभागीय अधिकारियों के साथ किए गए 52 सामुदायिक तालों के सयुंक्त भौतिक सत्यापन ने दर्शाया कि 19 सामुदायिक ताल, अपूर्ण निर्माण कार्यों, माइक्रो सिंचाई विधि की स्थापना आदि के कारण अधूरे पड़े थे। इसके अतिरिक्त, लाभभोगियों, जिन्होंने सामुदायिक ताल पूर्ण नहीं किए थे और स्कीम की शर्तों एवं विशर्तों की अवहेलना की थी, से सहायता राशि वसूल नहीं की गई थी।

मिशन निदेशक, हरा.बा.वि.अ. ने बताया (नवंबर 2014) कि असल में, लाभ भोगी किसानों ने पौधारोपण नहीं किया या ड्रिप सिंचाई का पूर्वाभास नहीं था। इस प्रकार, हरा.बा.वि.अ. स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार स्कीम को सही ढंग से क्रियान्वित नहीं कर सका और पूर्व में प्रदत्त सहायता की वसूली के लिए प्रक्रिया शुरू नहीं की थी।

³⁷

पहली तीस प्रतिशत ताल की खुदाई और ईंट लाइनिंग पूर्ण होने के पश्चात्, दूसरी तीस प्रतिशत फर्श के सीमेंट कंकरीट के पूर्ण होने तथा इनलेट चैनल के निर्माण के पश्चात्, बीस प्रतिशत की तीसरी किस्त माइक्रो सिंचाई विधि स्थापना और फल फसल के पौधारोपण के पश्चात् और चौथी किस्त सभी समेकित घटकों की पूर्णता के पश्चात्।

(iv) कमज़ोर वर्गों के लिए निधियों को उद्दिष्ट न करना

भारत सरकार के अनुदेशों (अप्रैल 2007) के अनुसार, 16 प्रतिशत निधियां अनुसूचित जातियों (अ.ज.) से संबंधित किसानों के लिए उद्दिष्ट की जानी थी और बजट आबंटन का कम से कम 30 प्रतिशत महिला लाभभोगियों के लिए उद्दिष्ट किया जाना था।

हराबा.वि.अ.ने समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए निधियां उद्दिष्ट नहीं की थी। मिशन निदेशक हराबा.वि.अ. ने बताया (नवंबर 2014) कि महिलाओं एवं एस.सी. किसानों के नाम भूमि जोत क्षेत्र नगण्य थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्यों कि सितंबर 2013³⁸ को राज्य में 29,015 एस.सी. परिवारों के पास 43,425 हैक्टेयर के जोत क्षेत्र थे। आगे, राज्य सरकार ने एस.सी. लाभभोगियों के लिए उपलब्ध निधियों का एक प्रतिशत आबंटन घटाने के लिए भारत सरकार से अनुमति मांगी थी (अक्टूबर 2013) परंतु भारत सरकार द्वारा अनुमति अब तक नहीं दी गई थी (नवंबर 2014)। हराबा.वि.अ. ने महिला लाभभोगियों की पहचान के लिए कोई प्रयत्न नहीं किए थे।

(v) पौधा स्वास्थ्य क्लीनिकों का दुरुपयोग

उत्पादन एवं उत्पादकता के सुधार हेतु, उन्नत तकनीकी, जिसमें मिट्टी एवं पानी की जांच हेतु पौधा स्वास्थ्य क्लीनिकों को, जिसमें बायो नियंत्रण लैब, पता/टिशु विश्लेषण लैब और पैथोलोजी लैब आदि की स्थापना शामिल थी, अपनाने पर विशेष बल दिया गया था। हराबा.वि.अ. ने राज्य में ₹ 2.88 करोड़ की लागत से 14 पौधा स्वास्थ्य क्लीनिकों का निर्माण किया (फरवरी 2007 - जनवरी 2012)। तथापि, ये भवन प्रयोगशालाओं के बजाय संबंधित जि.बा.अ. के कार्यालयों के रूप में प्रयुक्त किए जा रहे थे। अतः इससे इन पौधा स्वास्थ्य क्लीनिकों के निर्माण के उद्देश्य विफल रहे। इन पी.एच.सी.ज के लिए उपकरणों की कोई अधिप्राप्ति नहीं की गई थी और कोई मानव शक्ति स्वीकृत नहीं की थी। मिशन निदेशक, हराबा.वि.अ. ने बताया (नवंबर 2014) कि स्टॉफ में वृद्धि के कारण पी.एच.सी.ज का कार्यालय के रूप में उपयोग किया जा रहा था। तथ्य रहता है कि पी.एच.सी.ज अभिप्रेत उद्देश्य के लिए प्रयुक्त नहीं की गई थी।

(vi) जोखिम एवं लागत क्लॉज शामिल न करने के कारण हानि

उत्तम गुणवत्ता बागबानी पौधारोपण सामग्री की अधिप्राप्ति के उद्देश्य से भारत सरकार ने पौधारोपण सामग्री आयात करने के लिए एक स्कीम प्रारंभ की (अप्रैल 2010)। हराबा.वि.अ. ने रमणीय फूलों के पौधारोपण के लिए 2011-12 में प्रावधान किया और रमणीय कंदों (बीज) के क्रय हेतु जुलाई 2011 में निविदाएं आमत्रित की जिनके विरुद्ध आठ एजेंसियों ने अपनी बोलियां प्रस्तुत कीं। नई दिल्ली को मैसर्ज शील और कोलकाता की मैसर्ज ओ.सी.सी.एफ. दो फर्मों की दरें उचित पाई गईं और क्रमशः ₹ 2.80 और 2.89 प्रति कन्द के लिए अनुमोदित की गईं। तदनुसार, मैसर्ज शील, नई दिल्ली को 40.57 लाख कंदों और मैसर्ज ओ.सी.सी.एफ को 38.96 लाख कंदों की आपूर्ति के लिए आपूर्ति आदेश 30 सितंबर 2011 तक की समय सीमा के साथ दिए गए थे (अगस्त 2011)। मैसर्ज शील, नई दिल्ली ने आपूर्ति पूर्ण की परंतु मैसर्ज ओ.सी.सी.एफ. कोलकाता ने हालैंड से कंदों

³⁸

स्रोत: कृषि विभाग, हरियाणा द्वारा किया गया सर्वेक्षण।

के आयात करने के लिए अपनी असमर्थता प्रकट की। हरा.बा.वि.अ. ने अक्टूबर 2011 में नई निविदाएं मांगी जिसमें एकल बोली प्राप्त हुई थी और मैसर्ज एन.ई.आर.एम.एसी. को अक्टूबर 2011 में ₹ 3.50 प्रति कन्द की दर से 32.09 लाख कन्दों की आपूर्ति के लिए एक आदेश दिया गया था। नई एजेंसी ने 28.25 लाख कन्दों की आपूर्ति की। इस प्रकार, हरा.बा.वि.अ. को 28.25 लाख कन्दों के क्रय पर ₹ 17.23 लाख का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा था। लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि ओ.सी.सी.एफ. कोलकाता के साथ डी.एन.आई.टी./आपूर्ति आदेश में जोखिम एवं लागत की क्लॉज शामिल नहीं की गई थी। इस प्रकार, निविदा में जोखिम एवं लागत क्लॉज शामिल न करने के कारण हरा.बा.वि.अ. को ₹ 17.23 लाख की हानि उठानी पड़ी।

हरा.बा.वि.अ. ने अपने उत्तर में बताया (नवंबर 2014) कि फर्म से लागत भिन्नता नहीं पूछी गई थी और आश्वासन दिया कि भविष्य में निविदा में आवश्यक क्लॉज को शामिल किया जाएगा।

इस प्रकार, जैव खेती के अंतर्गत चार सेवा प्रदाताओं ने ₹ 1.58 करोड़ जो फार्म निवेश के लिए थे, स्टॉफ वेतन एवं टी.ए. डी.ए. पर व्यय किए। नई बागान स्कीम के अंतर्गत लक्षित 3,603 हैक्टेयर क्षेत्र के विरुद्ध मात्र 2,651 हैक्टेयर क्षेत्र पर पौधे उत्तरजीवित थे। 237 सामुदायिक ताल जिनके लिए ₹ 7.84 करोड़ की सहायता निर्मुक्त की गई थी, अधूरे थे। मात्र दो लाभ भोगी परिवारों के समूहों के 858 सामुदायिक तालों के लिए ₹ 36.72 करोड़ प्रदान किए गए थे और निविदा में जोखिम एवं लागत क्लॉज शामिल न करने के परिणामस्वरूप ₹ 17.23 लाख की हानि हुई।

उपर्युक्त तथ्य अपर मुख्य सचिव, बागबानी विभाग को संदर्भित किए गए (अगस्त 2014); उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2015)।

सिंचाई विभाग

3.13 निकास चैनल की एकल लेयर ईंट (ए.ले.ई.) लाईनिंग पर निष्फल व्यय

प्राक्कलन तैयार करते समय भूमिगत जल स्तर की स्थिति को सुनिश्चित न करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.95 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

हरियाणा लोक निर्माण विभाग सहित³⁹ का अनुच्छेद 2.22 प्रावधान करता है कि कार्य की परियोजना में, विशिष्टीकरण, पैमाईश की विस्तृत तालिका, प्रमात्रा एवं दरें और कार्य के निष्पादन द्वारा प्राप्त उद्देश्यों को स्पष्ट शर्तों में बताने वाली रिपोर्ट और विशिष्टताएं, जिनकी व्याख्या अपेक्षित है, शामिल होनी चाहिए। आगे, अनुच्छेद 2.41 (परिशिष्ट 9(क)) स्पष्ट करता है कि अनुसोदन के लिए परियोजना को उच्चाधिकारियों को प्रस्तुत करने से पहले, सरेखण एवं मिट्टी दोनों के सर्वेक्षण सहित प्रारम्भिक कार्य पूर्ण होने चाहिए।

जे.एल.एन. नहर की कि.मी. 30.300 एल. पर निकास चैनल कि.मी. 0.00 से कि.मी. 4.700 तक निकास चैनल की लाईनिंग के लिए हरियाणा राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड (हरा.बा.नि.बो.) की फरवरी 2009 में हुई 40वीं बैठक में ₹ 1.87 करोड़ के लिए एक स्कीम अनुमोदित की गई थी जिसका उद्देश्य सीमित भूमि चौड़ाई में जलाशय क्षेत्र सृजित करना और जब पंप हाऊस पर पॉवर रिस्टोर की

³⁹

नवंबर 2009 से पहले लागू पुरानी हरियाणा पी.डब्ल्यू.डी. संहिता।

गई हो, निकास चैनल के पानी को वापस जे.एल.एन. नहर में लाना था। कार्यकारी अभियंता (का.आ.) जल सेवाएं मण्डल - 2 रेवाड़ी द्वारा मई 2009 में कार्य के लिए निविदाएं मांगी गई थी और कार्य ₹ 2.12 करोड़ की अनुबंधित राशि पर एक एजेंसी को दिया गया (नवंबर 2009)। विस्तृत प्राक्कलन के अनुसार प्रमाणात्र के आधार पर परियोजना लागत ₹ 2.60 करोड़ तक संशोधित की और पुनः विपथन और निचले भूमिगत जल स्तर (नि.भू.ज.स्त.) के प्रावधान के कारण परियोजना की लागत में ₹ 3.01 करोड़ तक की वृद्धि की गई थी (सितंबर 2010)।

का.आ., जल सेवाएं मण्डल - 2, रेवाड़ी के कार्यालय में अभिलेखों की संवीक्षा (जून 2012) ने दर्शाया कि जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (ज.स्वा.अ.वि.) द्वारा निकास चैनल में शहरी बहिस्थाव के सतत बहाव के कारण, नि.भू.ज.स्त. बढ़ गया और एजेंसी ने लगभग 1.105 कि.मी. (कि.मी. 1.915 से कि.मी. 3.020 तक) की लाईनिंग का कार्य निष्पादित नहीं किया और कार्य जून 2011 से परित्यक्त पड़ा था। कार्य पर ₹ 1.95⁴⁰ करोड़ का व्यय किया गया था। शेष कार्य को पूर्ण करने के लिए विभाग द्वारा आगे की कोई कार्यवाही नहीं की गई थी जैसा कि प्राक्कलन में विचारित था। उसी समय, निष्पादित कार्य रन्द्र जल दबाव⁴¹ के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके अतिरिक्त, हरियाणा कैनाल एवं ट्रेनेज अधिनियम, 1974 की धारा 58 और 64 के अनुसार जो कैनाल में किसी भी उपचारित/अनुपचारित ट्रेड बहिस्थाव या मल निकास बहिस्थाव के बहाव की मनाही करता है, ज.स्वा.अ.वि. के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई थी (अधिसूचना जुलाई 2003)।

यह इंगित किए जाने पर (अगस्त 2013), प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग ने सूचित किया (मार्च 2014) कि जब स्कीम तैयार की गई थी, सूखा क्षेत्र होने से, क्षेत्र की भूमिगत समस्या का प्रश्न नदारद था और नि.भू.ज.स्त. शहरी मल के सतत बहाव के कारण बढ़ना शुरू हो गया। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि प्राक्कलन तैयार करने के लिए सर्वेक्षण के समय (जून 2009) चैनल में पानी खड़ा/बह रहा था और क्योंकि ज.स्वा.अ.वि. का बहाव चैनल में सतत रूप से बह रहा था, कार्य के निष्पादन से पहले नि.भू.ज.स्त. की स्थिति को सुनिश्चित करना अपेक्षित था।

अपर मुख्य सचिव, ज.स्वा.अ.वि. ने सूचित किया (जून 2014) कि उपचारित मल को लाल बहादुर शास्त्री (एल.बी.एस.) रिचार्ज चैनल तक ले जाने के लिए 6.2 किलोमीटर लंबी पाईप लाईन के संबंध में कार्य प्रगति पर था। प्रमुख अभियंता, ज.स्वा.अ.वि. ने सूचित किया (दिसंबर 2014) कि कार्य पूर्ण हो चुका था और उपचारित बहिस्थाव का बहाव एल.बी.एस. रिचार्ज चैनल में हो रहा था। तथापि, का.आ., जल सेवाएं मण्डल संख्या 2, रेवाड़ी ने सूचित किया (दिसंबर 2014) कि मल बहिस्थाव अभी भी निकास चैनल में बहा रहा था और निकास चैनल की लाईनिंग की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं था।

इस प्रकार, उचित योजना, सर्वेक्षण एवं ज.स्वा.अ.वि. के साथ बहाव के मामले के निपटान बिना कार्य करने और सरकार द्वारा जारी अनुदेश न अपनाने के परिणामस्वरूप ₹ 1.95 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ क्योंकि परियोजना का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ था। आगे, मलजल, भू-जल, नलकों, नलकूपों आदि की गुणवत्ता को प्रभावित करते हुए नजदीकी क्षेत्र के पर्यावरण एवं भूमि जल को भी

⁴⁰ ठेकेदार का भुगतान ₹ 1.92 करोड़ (नवंबर 2012 का अंतिम बिल) तथा फुटकर व्यय ₹ 0.03 करोड़।

⁴¹ रन्द्र जल दबाव, रन्द्रों के बीच रूक-रूक कर, भूमि या चट्टान के भीतर भू-जल के दबाव को संदर्भित है।

दूषित कर रहा था। निकास चैनल के अति बहाव को कारण नजदीकी कृषीय भूमि भी अकृषीय में परिवर्तित हो गई थी।

मामला मुख्य सचिव, सिंचाई विभाग को संदर्भित किया गया था (मई 2014), परन्तु उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2015)।

3.14 कमांड क्षेत्र विकास प्राधिकरण का कार्यचालन

कमांड क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने जल मार्गों के निर्माण के लक्ष्य प्राप्त नहीं किए। किसान जागरूकता अभियान आयोजित नहीं किए गए थे। पूर्ण किए गए 438 जल मार्ग, जल प्रयोक्ता संघ को नहीं सौंपे गए थे, ठेकेदारों से ₹ 67.70 लाख का श्रमिक उपकर वसूल नहीं किया गया था तथा ₹ 38.56 लाख की प्रतिभूति जमा डिफेक्ट दायिता अवधि की समाप्ति से पहले वापस लौटा दी गई।

कमांड क्षेत्र विकास प्राधिकरण (क.क्षे.वि.प्रा.), समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत 1974 में समिति के रूप में पंजीकृत की गई थी। क.क्षे.वि.प्रा. के मुख्य कार्य फील्ड चैनलों (जल मार्गों) का निर्माण करना, जल प्रयोक्ता संघ (ज.प्रसं.) को संस्थागत समर्थन प्रदान करना तथा डेमोस्ट्रेशन प्लाटों के माध्यम से नागरिकों के लिए जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना था। ये परियोजनाएं केंद्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा समान अनुपात में निधिकृत की जानी थी। राज्य में कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम राज्य के भिन्न-भिन्न भौगोलिक क्षेत्रों को आवृत्त करते हुए तीन भिन्न-भिन्न परियोजनाओं⁴² के माध्यम से शुरू किए गए थे। 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान राज्य में जल मार्गों के निर्माण पर क.क्षे.वि.प्रा. का कुल व्यय ₹ 522.74 करोड़ था।

क.क्षे.वि.प्रा. के कार्यक्रम कार्यान्वयन एवं उपलब्धियों का विश्लेषण करने के लिए प्रशासक, क.क्षे.वि.प्रा., पंचकुला तथा 12 क.क्षे.वि. मंडलों में से नौ⁴³ के कार्यालय में 2009-10 से 2013-14 की अवधि से संबंधित अभिलेखों की नमूना-जांच सितंबर 2013 से जनवरी 2014 के दौरान की गई थी। देखी गई कमियों पर अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है:

(i) भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी

नमूना-जांच किए गए मंडलों में क.क्षे.वि.प्रा. ने 1,744 जल मार्गों के निर्माण पर ₹ 376.59 करोड़ का व्यय किया, जिनमें से 1,283 जल मार्ग पूर्ण किए गए थे तथा 461 जल मार्गों पर कार्य प्रगति पर था (जून 2014)। तीन परियोजनाओं के अंतर्गत आवृत्त क्षेत्र के संबंध में लक्ष्य एवं प्राप्तियां तालिका 3.2 में दी गई हैं:

⁴² (ए) भारवड़ा नहर कमांड फेस-II (बी.सी.सी.-फेस-II)-3.52 लाख हेक्टेयर (2009-10 से 2019-20) (बी) पश्चिमी जमुना नहर कमांड फेस-VI (डब्ल्यू.जे.सी.-VI)-2.06 लाख हेक्टेयर (2007-08 से 2018-19) तथा (सी) जवाहर लाल नेहरू नहर कमांड फेस-II (जे.एल.एन. फेस-II)-0.99 लाख हेक्टेयर (2007-08 से 2021-22)।

⁴³ 1. फतेहाबाद, 2. हिसार, 3. झज्जर, 4. जींद, 5. कैथल, 6. करनाल, 7. कुरुक्षेत्र, 8. पानीपत तथा 9. सिरसा।

तालिका 3.2: 2009 – 14 के दौरान जल मार्गों के निर्माण के लक्ष्य एवं प्राप्तियां

	जे.एल.एन.-II	डब्ल्यू.जे.सी.-VI	दी.सी.सी.-II			
	समग्र रूप में राज्य	क.क्षे.वि.प्रा. मंडल झज्जर	समग्र रूप में राज्य	नमूना – जांच किए गए चार मंडल ⁴⁴	समग्र रूप में राज्य	नमूना – जांच किए गए छः मंडल ⁴⁵
लक्ष्य (एचए)	60,000*	4,600**	70,000*	50,539**	1,70,000*	1,63,530**
प्राप्ति (एचए)	5,484	3,091	80,689	46,301	1,73,785	1,76,300
कमी (-) / आधिक्य (+) (एचए)	(-)54,516	(-)1,509	(+)10689	(-)4,238	(+)3,785	(+)12,770
% कमी (-) / आधिक्य (+)	(-)91	(-)33	(+)15	(-)8	(+)2	(+)8
प्रयुक्त निधियां (₹ करोड़ में)		2.60		93.78		280.21

* विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार लक्ष्य ** मंडलों के लिए क.क्षे.वि.प्रा. द्वारा निर्धारित लक्ष्य
(स्रोत: क.क्षे.वि.प्रा. द्वारा आपूरित सूचना)

प्रशासक, क.क्षे.वि.प्रा. ने बताया (अप्रैल 2014) कि जे.एल.एन. फेस-II के अंतर्गत लक्ष्य प्राप्त न करने हेतु कारण अपूर्ण समेकन कार्य, कृषि से प्राप्त कम लाभ, रीयल इस्टेट मूल्यों में वृद्धि, वाणिज्यिक गतिविधियां इत्यादि थे। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि क.क्षे.वि.प्रा. ने लक्ष्य स्वयं निर्धारित किए थे तथापि, लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए थे।

(ii) हरियाणा ग्रामीण विकास निधि से किसानों के हिस्से का अनियमित अंशदान

भारत सरकार के दिशानिर्देशों (जुलाई 2005) के अनुसार फील्ड चैनलों के निर्माण एवं रख-रखाव में लाभार्थी किसानों की सहभागिता सुनिश्चित करने तथा उनमें, सृजित परिसंपत्तियों के स्वामित्व की भावना जगाने के लिए लाभार्थी किसानों से फील्ड चैनलों के निर्माण की कुल लागत के 10 प्रतिशत की वसूली अनिवार्य थी।

नमूना - जांच किए गए नौ क.क्षे.वि. मंडलों में कुल ₹ 51.01 करोड़ के लाभार्थी हिस्से में से केवल ₹ 4.53 करोड़ की राशि लाभार्थी किसानों से वसूल की गई थी तथा शेष ₹ 46.48 करोड़ का अंशदान हरियाणा ग्रामीण विकास निधि (ह.ग्रा.वि.नि.) से किया गया था जो किसानों में सृजित परिसंपत्तियों के स्वामित्व की भावना जगाने के भाव के विरुद्ध था।

(iii) पूर्ण किए गए जल मार्गों का जल प्रयोक्ता संघों को न सौंपना

भारत सरकार, जल संसाधन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के पैरा 4.4 के प्रावधानों के अनुसार जल प्रयोक्ता संघ को जल प्रभार एकत्र करने तथा जल मार्गों का परिचालन एवं रख-रखाव करने हेतु उन्हें सशक्त बनाने के लिए जल मार्गों की सुपुर्दगी अनिवार्य थी।

नमूना - जांच किए गए मंडलों में 1,283 पूर्ण किए गए लाईनड जल मार्गों में से ₹ 110.12 करोड़ की लागत पर निर्मित 438 जल मार्ग ज.प्र.सं. को नहीं सौंपे गए थे (मार्च 2014)। इसमें से ₹ 28.96 करोड़ की लागत पर 31 मार्च 2012 से पहले निर्मित 114 जलमार्ग ज.प्र.सं. को क्रियाशील

⁴⁴

(i) हिसार, (ii) जींद, (iii) पानीपत तथा (iv) झज्जर।

⁴⁵

(i) सिरसा, (ii) फतेहाबाद, (iii) हिसार (iv) करनाल (v) कैथल तथा (vi) कुरुक्षेत्र।

अनुदान जारी न करने के कारण सौपै नहीं गए थे (मार्च 2014)। इसने सुपुर्दगी की तारीख तक जल मार्गों के नियमित रख-रखाव के लिए क.क्षे.वि.प्रा. को उत्तरदायी बनाया। प्रशासक, क.क्षे.वि.प्रा. ने बताया (अप्रैल 2014) कि ज.प्रसं. को पूर्ण किए गए लाईनड जल मार्गों को यथा शीघ्र सुपुर्द करने के लिए अनुदेश जारी किए गए थे। अंतिम कार्रवाई प्रतीक्षित थी (जनवरी 2015)।

(iv) ठेकेदारों से श्रमिक उपकर की अवसूली

राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार (अगस्त 2007) निर्माण कार्य के मूल्य के एक प्रतिशत की दर पर श्रमिक उपकर ठेकेदारों के बिलों से काटा जाना था।

अप्रैल 2008 से दिसंबर 2010 की अवधि के दौरान नौ क.क्षे.वि. मंडलों में ₹ 67.70 करोड़ के ठेकेदारों के बिलों से ₹ 67.70 लाख का श्रमिक उपकर नहीं काटा गया था। प्रशासक, क.क्षे.वि.प्रा. ने बताया (अप्रैल 2014) कि अनुदेशों की प्राप्ति न होने के कारण श्रमिक उपकर नहीं काटा गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि प्रशासक, क.क्षे.वि.प्रा. ने अगस्त 2007 की बजाय मार्च 2009 में अनुदेश परिचालित किए थे।

(v) डिफेक्ट दायिता अवधि की समाप्ति से पहले प्रतिभूति धन जारी करना

डी.एन.आई.टी. के निबंधनों एवं शर्तों में किए गए प्रावधान के अनुसार बिल राशि के 10 प्रतिशत की दर पर प्रतिभूति जमा, जब कटौतियों की संचित राशि निविदाकृत मूल्य के पांच प्रतिशत तक पहुंचती है, ठेकेदार के बिलों से काटे जाने थे। प्रतिभूति जमाओं का 50 प्रतिशत कार्य की समाप्ति पर तथा शेष 50 प्रतिशत छः माह की डिफेक्ट दायिता अवधि की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर लौटाया जाना था।

नमूना - जांच किए गए क.क्षे.वि. मंडलों में 2009-14 की अवधि के दौरान ₹ 38.56 लाख के प्रतिभूति जमा डी.एन.आई.टी. की शर्तों के उल्लंघन में छः माह की डिफेक्ट दायिता अवधि की समाप्ति से पहले 91 मामलों में ठेकेदारों को लौटाए गए थे। प्रशासक, क.क्षे.वि.प्रा. ने आश्वासन दिया कि भविष्य में प्रतिभूति जमा डी.एन.आई.टी. शर्तों के अनुसार जारी किया जाएगा।

(vi) दोषपूर्ण कार्यान्वयन के कारण अनियमित व्यय

भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार खेतों को तैयार करने से तथा पैदावार के विपणन तक अर्थात् भूमि को समतल करना, पानी लगाना, पूरी खाद, उन्नत बीज बोना, पौधा सरक्षण उपाय इत्यादि फार्म विकास कार्य का डेमोस्ट्रेशन प्रति प्लॉट ₹ 20,000 खर्च करके किया जाना था।

2009-14 के दौरान नमूना - जांच किए गए नौ मंडलों ने जल प्रबंधन एवं फसल पालन में सुधार के लिए किसानों को नवीनतम तकनीकों की शिक्षा हेतु डेमोस्ट्रेशन प्लॉटों की स्थापना हेतु चार विभागों/संस्थाओं को ₹ 1.41 करोड़⁴⁶ की राशि जारी की। राशि को उपयोग किया गया दर्शीया गया था किंतु स्थापित डेमोस्ट्रेशन प्लॉटों के संबंध में सूचना, अर्थात्, लाईनड जल मार्ग का नाम, डेमोस्ट्रेशन प्लॉट का साइट प्लान, किसान की स्थिति, पैदावार के परिणाम, घटकवार व्यय के विवरण, अभिलेख में नहीं पाए गए थे। आगे, यह देखा गया था कि क.क्षे.वि.प्रा. थोड़ा - थोड़ा करके

⁴⁶

कृषि विभाग: ₹ 1.24 करोड़; हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (ह.कृ.वि.), हिसार: ₹ नौ लाख; कृषि विज्ञान केंद्र, कैथल: ₹ सात लाख तथा बागवानी विभाग: ₹ 1.41 लाख।

इनपुट्स जैसे बीज, जिंक सल्फेट, बायो फर्टिलाइजर्स तथा किसानों को ₹ 2,000 से ₹ 3,500 तक के भिन्न घासपातनाशी प्रदान कर रहा था इससे डेमोस्ट्रेशन प्लॉटों के विकास का उद्देश्य विफल हुआ।

एक अन्य मामले में प्रशासक, क.क्षे.वि.प्रा. ने ऑन-फार्म जल प्रबंधन परियोजना के लिए कृषीय मशीनरी प्रापण हेतु मार्च 2008 में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (एच.ए.यू.), हिसार को ₹ 52.65 लाख इस शर्त पर जारी किए कि मशीनरी चालू हालत में वापस की जाएगी। यह देखा गया था कि स्कीम के निष्पादन एवं अर्जित राजस्व का कोई विवरण क.क्षे.वि.प्रा. के साथ बांटा नहीं गया था तथा मशीनरी भी अब तक क.क्षे.वि.प्रा. को वापस नहीं की गई थी (मार्च 2014)।

इंगित किए जाने पर, प्रशासक क.क्षे.वि.प्रा. ने बताया (अप्रैल 2014) कि प्लॉटों के डेमोस्ट्रेशन के कार्य, कृषि तथा बागवानी विभागों के माध्यम से कार्यान्वित किए जाने थे। जारी की गई निधियों के उपयोगिता प्रमाण - पत्र इन विभागों से एकत्र किए जा रहे हैं तथा मशीनरी वापस प्राप्त करने के लिए मामला एच.ए.यू. के साथ उठाया जा रहा है। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि परियोजना दिशानिर्देशों के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार कार्यान्वयन संस्थाओं से परियोजना विवरण प्राप्त नहीं किए गए थे।

इस प्रकार, जे.एल.एन.- II परियोजना के अंतर्गत लक्ष्यों की प्राप्ति में अत्यंत कमी थी। किसानों में परिसंपत्तियों के स्वामित्व की भावना जगाने के उद्देश्य को विफल करते हुए किसानों के हिस्से का अनियमितरूप से अंशदान हग्गा.वि.नि. से किया गया था। ₹ 110.12 करोड़ की लागत पर निर्मित 438 जल मार्ग अभी सुपुर्द किए जाने शेष थे। ₹ 67.70 लाख का श्रमिक उपकर ठेकेदारों से काटा नहीं गया था तथा डिफेक्ट दायिता अवधि की समाप्ति से पहले उनकी प्रतिभूमि जारी की गई थी।

उपर्युक्त बिंदु अपर मुख्य सचिव, सिंचाई विभाग के पास भेजे गए थे (जुलाई 2014); उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2015)।

जन - स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (जल आपूर्ति एवं स्वच्छता बोर्ड)

3.15 बैंक के साथ करार न करने के कारण ब्याज की हानि

जल आपूर्ति एवं स्वच्छता बोर्ड द्वारा बचत बैंक खातों के प्रचालन के संबंध में कार्यक्रम दिशानिर्देशों की अननुपालना के परिणामस्वरूप ₹ 5.51 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (रा.ग्रा.पे.ज.का.) के अंतर्गत निधियों के आवंटन एवं रखने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए (अप्रैल 2009)। दिशानिर्देशों में प्रावधान किया गया कि केंद्रीय आबंटन, कार्यक्रम कार्यान्वयन साविधिक निकायों जैसे राज्यों में बोर्डों, को सीधे ही जारी किए जाएंगे। हरियाणा में, कार्यक्रम को जल आपूर्ति एवं स्वच्छता बोर्ड (ज.आ.स्व.बो.) द्वारा कार्यान्वित किया गया था। बैंक, ज.आ.स्व.बो. तथा निदेशक, पेयजल एवं स्वच्छता, भारत सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर करके ज.आ.स्व.बो. द्वारा कार्यक्रम खाता तथा समर्थन गतिविधि खाता नामक दो बचत खातों

का रख-रखाव किया जाना अपेक्षित था। राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, हरियाणा की शीर्ष समिति ने अपनी 30 नवंबर 2011 को आयोजित बैठक में कार्यक्रम खाता तथा समर्थन खाता नामक दो खातों को क्रमशः प्रमुख अभियंता तथा निदेशक, राज्य जल एवं स्वच्छता सहायता संगठन के माध्यम से परिचालित करने का निर्णय लिया।

भारत सरकार द्वारा जारी किए गए प्रारूप एम.ओ.यू. (सितंबर 2010) में प्रावधान किया गया था कि बैंक को ₹ पांच करोड़ से अधिक की निधियों को ₹ 25 लाख की इकाइयों में एक वर्ष की परिपक्वता अवधि के साथ सावधि जमाओं के रूप में स्वतः निवेश करना तथा यदि निधियां ₹ पांच करोड़ से कम हो जाएं तो उन्हें निवेश की गई प्रतिभूतियों का स्वतः नकदीकरण करना तथा समयपूर्व नकदीकरण के लिए कोई प्रभार काटे बिना निवेश की तारीख से नकदीकरण की तारीख तक ब्याज का भुगतान करना था। सावधि जमा के लिए ब्याज की दर बैंक के मुख्यालय द्वारा अधिसूचित की जानी थी तथा बचत बैंक खातों में शेषों पर वर्तमान बचत बैंक ब्याज दरों पर ब्याज देय था तथा उपर्जित ब्याज कार्यक्रम खाते को क्रेडिट किया जाना था।

ज.आ.स्व.बो. के अभिलेखों की जांच (फरवरी 2014) ने दर्शाया कि ज.आ.स्व.बो. ने रा.ग्रा.पे.ज.का. के अंतर्गत निधियों की प्राप्ति एवं व्यय के लिए कार्यक्रम खाता तथा समर्थन खाता नामक दो बचत बैंक खाते खोले (अक्टूबर 2009) किंतु सितंबर 2010 तथा मार्च 2012 के मध्य भारत सरकार द्वारा जारी किए कई अनुस्मारकों के बावजूद बैंक के साथ त्रिपक्षीय एम.ओ.यू. नहीं किया गया था। यह देखा गया कि भारत सरकार ने नवंबर 2009 से फरवरी 2014 की अवधि के दौरान ₹ 1,210.14 करोड़ जारी किए। कार्यक्रम खाते में भारी शेष थे जो जनवरी 2010 तथा फरवरी 2014 के दौरान ₹ 7.48 करोड़ से ₹ 153.97 करोड़ के मध्य थे। यदि एम.ओ.यू. किया गया होता तो पांच करोड़ रुपए के आधिक्य में शेषों को स्कीम दिशानिर्देशों में विचार किए गए अनुसार सावधि जमाओं के रूप में निवेश किया जा सकता था। त्रिपक्षीय एम.ओ.यू. के अभाव में ₹ पांच करोड़ की सीमा के आधिक्य में ₹ 2.48 करोड़ तथा ₹ 148.97 करोड़ के मध्य श्रृंखलित शेष सावधि जमाओं में निवेश नहीं किए गए थे जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.51 करोड़ (बचत खाते में अर्जित ब्याज छोड़कर) के ब्याज की हानि हुई।

इंगित किए जाने पर (फरवरी 2014) सदस्य सचिव, ज.आ.स्व.बो. ने सूचित किया (मार्च 2014) कि स्कीम दिशानिर्देशों के अंतर्गत भारत सरकार के आदेश-पत्र के अनुसार बचत बैंक खाता खोला गया था। ई.आई.सी. ने आगे बताया (अगस्त 2014) कि भारतीय स्टेट बैंक, राज्य जल तथा स्वच्छता मिशन (एस.डब्ल्यू.एस.एम.) तथा राजीव गांधी पेयजल मिशन के मध्य त्रिपक्षीय एम.ओ.यू. करने के लिए सरकार से अनुमति मांगी गई थी जिसमें पार्टीयां, दिशानिर्देशों के प्रावधानों को मानने के लिए सहमत होंगी। परंतु सरकार ने केवल एक कार्वाई, अर्थात् एस.डब्ल्यू.एस.एम., पंचकुला के नाम में एस.बी.आई., सैकटर-10, पंचकुला में बचत बैंक खाता खोलने की अनुमति अनुमोदित की। प्रधान सचिव, जन-स्वास्थ्य अभियानिकी विभाग ने भी प्रमुख अभियंता द्वारा प्रस्तुत उत्तर की पुष्टि की (नवंबर 2014)। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि यदि त्रिपक्षीय करार पर सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया था तो मामला पुनः प्रस्तुत किया जाना चाहिए था क्योंकि भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार त्रिपक्षीय करार का निष्पादन अनिवार्य था। खातों के परिचालन के संबंध में कार्यक्रम दिशानिर्देशों की अननुपालना के परिणामस्वरूप ब्याज के रूप में ₹ 5.51 करोड़ की हानि हुई जो कार्यक्रम के आगामी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उपयोग की जा सकती है।

3.16 अक्रियाशील जल आपूर्ति स्कीम पर व्यर्थ व्यय

भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना इनलेट चैनल के ले-आउट प्लान में परिवर्तन के परिणामस्वरूप अक्रियाशील जल आपूर्ति स्कीम पर ₹ एक करोड़ का व्यर्थ व्यय हुआ तथा परियोजना की लागत ₹ 1.09 करोड़ तक आगे बढ़ गई।

लोक निर्माण विभाग संहिता का पैरा 2.96 प्रावधान करता है कि जहां महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन अपेक्षित हों, यद्यपि वृद्धित परिव्यय आवश्यक रूप से शामिल न हो, संशोधित अनुमान प्रस्तुत कर मूल संस्वीकृति प्राधिकारी से आदेश प्राप्त किए जाने चाहिए। आगे, संहिता का पैरा 10.1.3 प्रावधान करता है कि किसी परियोजना का अनुमान तैयार करते समय साइट का निरीक्षण भूमि की उपलब्धता सहित फोल्ड की परिस्थितियां सुनिश्चित करने के लिए किया जाए।

सदस्य सचिव, राज्य स्वच्छता बोर्ड, हरियाणा ने नाबांड परियोजना - आर.आई.डी.एफ. - XII के अंतर्गत झज्जर जिला में गांव बिशन की जल आपूर्ति बढ़ाने के लिए नहर आधारित स्वतंत्र वाटर वर्क्स हेतु ₹ 1.16 करोड़ का अनुमोदन प्रदान किया (मार्च 2007)। अनुमोदित अनुमान के अनुसार 350 मिलीमीटर आंतरिक व्यास की आर.सी.सी. पाइप की 2,900 मीटर लंबी इनलेट चैनल के माध्यम से आर.डी. 22,300 - आर. पर जे.एल.एन. फीडर से नहरी जल प्राप्त किया जाना था। वाटर वर्क्स⁴⁷ तथा इनलेट चैनल के निर्माण का कार्य 12 माह की समय-सीमा के साथ ₹ 93.52 लाख की अनुबंध राशि पर नवंबर 2007 में एक एजेंसी को आवंटित किया गया था। कार्य के निष्पादन के दौरान का.अ. ने बेहतर परिणाम तथा ₹ पांच लाख तक परियोजना की लागत में कटौती के लिए एक गांव के कच्चे रस्ते तथा निजी भूमि के माध्यम से लंबाई को 2,115 मीटर तक कम करके इनलेट चैनल की ले-आउट प्लान परिवर्तित कर दी। ग्रामीणों ने नए ले-आउट के अनुसार इनलेट चैनल के निर्माण पर आपत्ति उठाई क्योंकि यह खेतों के रस्ते को अवरुद्ध/संकीर्ण करेगा तथा विभाग के विरुद्ध लोअर कोर्ट में निषेधाज्ञा आवेदन के साथ एक दीवानी मुकदमा दायर किया (जून 2010)। यद्यपि माननीय लोअर कोर्ट ने ग्रामीणों के निषेधाज्ञा आवेदन को अस्वीकार कर दिया (सितंबर 2012) किंतु एक अपील पर माननीय जिला न्यायालय ने लोअर कोर्ट के निर्णय को रद्द कर दिया (अप्रैल 2014) तथा ग्रामीणों को अंतरिम निषेधाज्ञा प्रदान की। मामले में अंतिम निर्णय प्रतीक्षित था (नवंबर 2014)।

एजेंसी ने ₹ 73.89 लाख का कार्य निष्पादित किया (जुलाई 2011) तथा फरवरी 2012 में इनलेट चैनल बिछाने के लिए 16 मरला भूमि के अधिग्रहण पर ₹ 2.93 लाख का व्यय किया। स्कीम पर ₹ एक करोड़⁴⁸ का कुल व्यय किया गया जो अपूर्ण इनलेट चैनल (जून 2014) के कारण जुलाई 2011 से अपूर्ण पड़ी थी।

⁴⁷ एक भंडारण एवं अवसादन टैंक, दो स्वच्छ जल टैंक, पंप चैबर तथा इससे संबंधित सभी अन्य आकस्मिक कार्य।

⁴⁸ ठेकेदार को भुगतान जमा सामग्री सहित निर्माण कार्य पर ₹ 97.17 लाख तथा नए ले-आउट प्लान के अनुसार इनलेट चैनल बिछाने के लिए 16 मरला भूमि के अधिग्रहण पर ₹ 2.93 लाख।

का.अ., जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल संख्या 1, झज्जर के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान (जून 2011) यह देखा गया कि भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना तथा पी.डब्ल्यू.डी. कोड के प्रावधानों के विरुद्ध सक्षम प्राधिकारी अर्थात् प्रमुख अभियंता के अनुमोदन के बिना का.अ. द्वारा इनलेट चैनल का ले - आउट प्लान परिवर्तित कर दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप अक्रियाशील जल आपूर्ति स्कीम पर ₹ एक करोड़ का व्यर्थ व्यय हुआ। आगे, प्रमुख अभियंता, ज.स्वा.अ.वि. ने नहीं जल के वैकल्पिक स्रोत के माध्यम अर्थात् बिशन माइनर से वाटर वर्क्स को क्रियाशील बनाने के लिए ₹ 1.09 करोड़ का अनुमान अनुमोदित किया (फरवरी 2014)।

प्रधान सचिव, जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने बताया (नवंबर 2014) कि इनलेट चैनल, ग्रामीण रास्ते (किसानों की साजी भूमि) के साथ स्रोत से निर्मित की जानी थी। परंतु ग्रामीणों ने इनलेट चैनल के निर्माण का कार्य रोक दिया। वैकल्पिक रास्ते से इनलेट चैनल के निर्माण का कार्य अगस्त 2014 में आवंटित किया गया था तथा मार्च 2015 तक पूरा किया जाएगा। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि कार्यकारी अभियंता ने सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना तथा पाइपलाइन बिछाने के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ले - आउट प्लान परिवर्तित कर दिया जो कि पी.डब्ल्यू.डी. कोड के प्रावधानों के विरुद्ध था तथा परिणामस्वरूप जल आपूर्ति स्कीम अपूर्ण रही। इस कारण न केवल ₹ एक करोड़ की निधियों का अवरोधन हुआ एवं परियोजना की लागत ₹ 1.09 करोड़ तक बढ़ गई अपितु निवासी भी स्कीम के समय पर अभिग्रेत लाभों से बंचित रहे।

अक्षय ऊर्जा विभाग

(हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी)

3.17 सोलर स्ट्रीट लाईटिंग सिस्टम कार्यक्रम का कार्यान्वयन

लाभभोगी विभाग से लिखित सहमति प्राप्त न करने के कारण ₹ 1.24 करोड़ का भारत सरकार अनुदान प्राप्त नहीं किया जा सका तथा पुराने विनिर्देशनों के साथ कम कार्य जीवन वाली 8,691 स्ट्रीट लाइटों के प्राप्ति पर ₹ 3.78 करोड़ का अधिक व्यय किया गया था। ₹ 2.96 करोड़ का लाभभोगी हिस्सा वसूलनीय था और एजेंसी को अनुचित लाभ दिया गया था।

हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (हरेडा) राज्य के गांवों एवं खेड़ों (धानी) में 1997 से एवं शहरी क्षेत्रों में 2006-07 से स्ट्रीट लाईट प्रदान करने के लिए राज्य में सोलर फोटोवोल्टाईक कार्यक्रम (सो.फो.का.) के अंतर्गत स्ट्रीट लाईटिंग सिस्टम का कार्यान्वयन कर रहा था। ये सिस्टम न्यूनतम लाईटिंग को सुनिश्चित करते हैं, जनता के पावर कट तथा सुरक्षा जोखिम के परिहार के लिए इन्हें सार्वजनिक बागों एवं मैदानों में लाईटिंग के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है, इससे ये बिजली संरक्षण में सहायक हैं। उनके प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार (भा.स.) एवं राज्य सरकार सम्बिंदी देती हैं।

2009 - 10 से 2013 - 14 के दौरान, हरेडा ने राज्य में 27,091 सिस्टमों के लक्ष्य के विरुद्ध 25,801 एस.पी.वी स्ट्रीट लाईटिंग सिस्टम के लगाने पर ₹ 42.89 करोड़⁴⁹ का व्यय किया। परियोजना की क्रियाशीलता निर्धारित करने के उद्देश्य से पंचकुला स्थित निदेशक, हरेडा एवं 21 परियोजना अधिकारियों में से यादृच्छिक⁵⁰ रूप से चयन कर पांच जिला परियोजना अधिकारियों⁵¹ के कार्यालयों में 2009 - 10 से 2013 - 14 तक की अवधि के अभिलेखों की नमूना - जांच की गई। इसके अतिरिक्त चयन किए गए पांच जिलों के पांच गांवों में सो.फो.का. स्ट्रीट लाईटिंग सिस्टम को लगाने का भौतिक सत्यापन विभागीय अधिकारियों के साथ जुलाई से सितंबर 2014 तक किया गया।

लेखापरीक्षा के दौरान निम्नलिखित मुख्य अनियमितताएं पाई गई:

(i) भारत सरकार के अनुदान प्राप्त न करना

पुलिस स्टेशनों को लाइटिंग प्रदान करने एवं सो.फो.का. प्रौद्योगिकी के बारे जनता में जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से, हरेडा ने हरियाणा के 258 पुलिस स्टेशनों में 1,290 सो.फो.का. स्ट्रीट लाईटिंग सिस्टम (प्रत्येक पुलिस स्टेशन में 5) लगाने के लिए कुल ₹ 2.98 करोड़ की लागत से एक विशेष परियोजना तैयार की (मार्च 2009)। इस परियोजना के लिए, ₹ 1.24 करोड़ भारत सरकार द्वारा एवं ₹ 1.74 करोड़ हरियाणा पुलिस विभाग द्वारा अंशदान किए जाने थे। भारत सरकार ने इस प्रयोजन के लिए ₹ 1.24 करोड़ केंद्रीय वित्तीय सहायता के रूप में संस्थीकृत किए (अगस्त 2009) जिसकी समय सीमा संस्थीकृति जारी होने के एक वर्ष तक थी। भारत सरकार से संस्थीकृति की प्राप्ति के बाद, हरेडा ने लाभग्राही का हिस्सा जमा करवाने के लिए मामला समय - समय पर पुलिस विभाग के साथ उठाया (सितंबर 2009, अक्टूबर 2009, फरवरी 2010 एवं अप्रैल 2010) परंतु यह कार्यान्वित नहीं हुआ।

पुलिस विभाग ने हरेडा द्वारा किए गए अनुरोधों का उत्तर नहीं दिया अपितु सैक्टर - 5, पंचकुला में एक पुलिस स्टेशन में परीक्षण आधार पर सो.फो.का. स्ट्रीट लाईटें लगाने की इच्छा प्रकट की। इस कारण ₹ 1.24 करोड़ की संस्थीकृति व्यपगत हो गई। इस प्रकार लाभग्राही से लिखित सहमति न लेने एवं प्रस्ताव के अन्तिमकरण से पहले लाभग्राही हिस्सा प्राप्त न करने के कारण ₹ 1.24 करोड़ का भारत सरकार का अनुदान अप्राप्त रहा। इगित किए जाने पर, निदेशक, हरेडा ने उत्तर दिया (नवंबर 2014) कि चर्चा के दौरान पुलिस विभाग द्वारा सहमति दी गई थी। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि भारत सरकार से अनुदान मांगने से पहले हरेडा द्वारा कोई लिखित सहमति नहीं ली गई।

(ii) लाभग्राही हिस्से की अप्राप्ति

हरेडा ने ₹ 12.65 करोड़ की लागत से सिरसा जिले के सभी 333 गांवों में (प्रत्येक गांव में 20 स्ट्रीट लाईटें) 6,660 सो.फो.का. स्ट्रीट लाईटें लगाने का प्रस्ताव तैयार किया (जून 2009)।

⁴⁹ भारत सरकार का हिस्सा: ₹ 9.41 करोड़, राज्य का हिस्सा: ₹ 11.48 करोड़ तथा लाभग्राही का हिस्सा: ₹ 22 करोड़।

⁵⁰ बिना परिवर्तन संभावित समानुपाती आकार पद्धति द्वारा चयन किया गया था।

⁵¹ (i) भिवानी, (ii) हिसार, (iii) झज्जर, (iv) कुरुक्षेत्र तथा (v) पानीपत।

मार्च 2010 में जिला प्रशासन ने इस परियोजना के लिए अपनी सहमति दी एवं जुलाई 2010 में भारत सरकार द्वारा इसे स्वीकृत किया गया। ₹ 12.65 करोड़ में से, ₹ 3.80 करोड़ भारत सरकार द्वारा दिए जाने थे एवं शेष ₹ 8.85 करोड़ जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (जि.ग्रा.वि.ए.), सिरसा द्वारा दिए जाने थे। लेखापरीक्षा में, यह देखा गया कि ₹ 8.85 करोड़ में से हरेडा ने जि.ग्रा.वि.ए. सिरसा से ₹ 5.94 करोड़ प्राप्त किए एवं शेष राशि ₹ 2.91 करोड़ की वसूली नहीं की गई है (नवंबर 2014)। इसी प्रकार, 2009-10 में करनाल के म्यूनिसिपल क्षेत्र में हरेडा ने 150 सो.फो.का. स्ट्रीट लाईटें लगाई। कुल ₹ 0.14 करोड़ के लाभग्राही हिस्से में से (₹ 9,100 प्रति स्ट्रीट लाईट) एम.सी., करनाल से ₹ 0.05 करोड़ वसूलनीय थे (नवंबर 2014)।

यह दर्शाता है कि हरेडा ने सो.फो.का. स्ट्रीट लाईटें लगाने का कार्य अग्रिम में लाभग्राही हिस्सा लिए बिना करवाया था जिसके परिणामस्वरूप जि.ग्रा.वि.ए., सिरसा एवं एम.सी., करनाल के पास कुल ₹ 2.96 करोड़ राशि की हरेडा की निधियां अवरुद्ध रही। एजिट काफ्रेस (फरवरी 2015) के दौरान, अपर मुख्य सचिव, विद्युत एवं अक्षय ऊर्जा विभाग ने सूचित किया कि जिला प्रशासन, सिरसा ने मार्च 2015 से पूर्व राशि का भुगतान करने का वचन दिया था। अंतिम कार्यवाई अपेक्षित थी।

(iii) स्ट्रीट लाईटों का अनियमित क्रय

दिसंबर 2009 में हरेडा ने 2,500 सो.फो.का. स्ट्रीट लाईटों की सप्लाई के लिए रेट अनुबंधों के लिए टैंडर आमंत्रित किए और मार्च 2010 में राज्य की उच्च अधिकारप्राप्त क्रय समिति द्वारा ₹ 19,000 प्रति स्ट्रीट लाईट पर एक वर्ष के लिए रेट अनुबंध फाइनल कर दिया। बाद में, हरेडा ने जून 2010 में 01 सितंबर 2010 से लागू स्ट्रीट लाईट के विनिर्देशनों⁵² में परिवर्तन के संबंध में सूचना प्राप्त की थी। हरेडा ने 13 अगस्त 2010 को पूर्ववर्ती विनिर्देशनों के साथ पहले से फाइनल किए गए रेट अनुबंध पर स्ट्रीट लाईटें खरीदने के बारे में स्पष्टीकरण भी मांगा था परंतु भारत सरकार से उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना, हरेडा ने 30 अगस्त 2010 को ₹ 19,000 की दर पर ₹ 12.65 करोड़ की लागत पर सिरसा जिले में 6,660 स्ट्रीट लाईटों के लिए तीन फर्मों⁵³ को आदेश दिए (नए विनिर्देशनों के लागू होने से एक दिन पहले)। नए विनिर्देशनों के लागू होने के बाद भी, हरेडा ने 2,031 स्ट्रीट लाईटों⁵⁴ के पुराने विनिर्देशनों के अनुसार रेट अनुबंध के अंतर्गत ₹ 3.86 करोड़ के आगे आदेश दिए। इस प्रकार, हरेडा ने पुराने विनिर्देशनों के साथ कम कार्यकाल वाली 8,691 स्ट्रीट लाईटें प्राप्त की। यह भी देखा गया कि हरेडा ने मई एवं जून 2010 में ₹ 14,650 प्रति स्ट्रीट लाईट की लागत पर एल.ई.डी. (लाईट एमिटिंग डायोड) ल्यूमनरीज वाली 42 सो.फो.का. स्ट्रीट लाईटें प्राप्त की थी। एल.ई.डी. सिस्टम न खरीदकर विभाग ने 8,691 (6,660 + 2,031) स्ट्रीट लाईटिंग सिस्टम के क्रय पर ₹ 3.78 करोड़⁵⁵ का अधिक व्यय किया तथा नई प्रौद्योगिकी के लाभ से भी वचित रखा।

⁵² पुराने विनिर्देशनों में 15 वर्ष के विरुद्ध नए विनिर्देशन के अनुसार पी.वी. पैनल लाइफ 25 वर्ष थी तथा गरंटी अवधि 2 वर्ष के विरुद्ध 5 वर्ष थी।

⁵³ मैसर्ज आर.जी.वी.पी एनर्जी सोसिएज, गांधी नगर, मैसर्ज सैटल इलैक्ट्रिकल लिमिटेड, साहिबाबाद तथा मैसर्ज सु सोलरटैक सिस्टमज प्राइवेट लिमिटेड, चण्डीगढ़।

⁵⁴ अक्टूबर 2010 - 1,986 स्ट्रीट लाईटें एवं जून 2011 - 45 स्ट्रीट लाईटें।

⁵⁵ ₹ 19,000 - ₹ 14,650 = ₹ 4,350; 8,691 * 4,350 = ₹ 37,805,850

उत्तर में निदेशक, हरेडा ने बताया (नवंबर 2014) कि निर्धारित समय - सीमा के भीतर परियोजना का कार्यान्वयन करने के लिए क्रय आदेश दिए गए थे और आगे बताया (दिसंबर 2014) कि सी.एफ.एल. के रेट अनुबंध केवल जून 2011 तक वैध थे। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि हरेडा ने एल.ई.डी. ल्यूमनरीज का उद्देश्यपूर्ण मूल्यांकन नहीं किया था और एक वर्ष से अधिक समय तक महंगी सी.एफ.एल. आधारित सो.फो.का. स्ट्रीट खरीदना जारी रखा। आगे, भारत सरकार ने 15 अप्रैल 2011 तक की समय - सीमा के साथ जुलाई 2010 में 6,660 सिस्टम लगाए जाने की परियोजना स्वीकृत की थी जबकि विनिर्देशन जून 2010 में परिवर्तित किए गए थे और जून 2010 में एल.ई.डी. प्रकाश - पुंजों वाली 42 सो.फो.का. स्ट्रीट लाईटें भी लगाई गई थीं तथा नई एवं मितव्ययी प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए हरेडा के पास नौ माह का पर्याप्त समय उपलब्ध था (अप्रैल 2011 तक)। अपर मुख्य सचिव ने एग्जिट काफ्रेस के दौरान विभागीय अधिकारियों को पर्याप्त जांच - पड़ताल के बाद स्पष्टीकरण देने के लिए निदेश दिए (फरवरी 2015)। अंतिम कार्रवाई प्रतीक्षित थी।

(iv) ठेकेदार को अनुचित लाभ

निदेशक, हरेडा ने सिरसा जिले के लिए 2,220 सो.फो.का. स्ट्रीट लाईटों के क्रय के लिए एक सप्लायर⁵⁶ को ₹ 4.22 करोड़ का क्रय आदेश दिया (अगस्त 2010)। सप्लाई आदेश के अनुसार, उपकरण की दो वर्ष की वारंटी होनी चाहिए एवं आगे तीन वर्ष का व्यापक रख - रखाव अनुबंध (सी.एम.सी.) यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाना था कि स्ट्रीट लाईटें पांच वर्षों की अवधि तक कार्यकारी स्थिति में रह सकें। परियोजना अधिकारी, सिरसा ने बताया (सितंबर 2014) कि 112 गांवों में उक्त सप्लायर द्वारा लगाई गई ₹ 1.81 करोड़ की लागत की 954 स्ट्रीट लाईटें कार्यकारी स्थिति में नहीं थीं। यह भी देखा गया कि 6 गांवों में लगाई गई सभी 120 स्ट्रीट लाईटें कार्य नहीं कर रही थीं। हरेडा ने न तो स्ट्रीट लाईटों की तुरंत मरम्मत के लिए कोई कार्यवाही की और न ही पांच वर्षों की रख - रखाव अवधि के लिए सप्लायर से प्रतिभूति के रूप में रखी गई बैंक गारंटी को कैश करवाया।

अपर मुख्य सचिव ने एग्जिट काफ्रेस के दौरान (फरवरी 2015) विभागीय अधिकारियों को मरम्मत की अनुमानित लागत का निर्धारण करने एवं विक्रेता की बैंक गारंटी कैश करवाने के बाद उनकी मरम्मत करवाने के निर्देश दिए। अंतिम कार्रवाई अपेक्षित थी।

(v) ग्राम ऊर्जा कमेटियों का गठन न करना

गांवों में सो.फो.का. लाईटिंग सिस्टम की क्रियाशीलता का रख - रखाव व मानीटर करने के लिए जागरूकता उत्पन्न करने के लिए ग्राम ऊर्जा कमेटियों (ग्रा.ऊ.क.) का गठन परियोजना शुरू होने से पहले किया जाना था जिसके द्वारा अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहन देने, सिस्टमों के रख - रखाव के लिए योजना/प्रस्ताव तैयार किए जाने और सिस्टमों के रख - रखाव के लिए प्रशिक्षण दिलवाने के लिए एक आई.टी.आई. पास तकनीशियन को नियुक्त किया जाना अपेक्षित था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि ऐसी कमेटियां नहीं बनाई गई थीं जिसके कारण अक्षय ऊर्जा

⁵⁶

मैसर्ज आर.जी.वी.पी एनर्जी सोर्सिज, गांधी नगर, गुजरात।

पौद्योगिकियों के प्रोत्साहन के अभिप्रेत उद्देश्य एवं लगाए गए सिस्टमों का उचित रख-रखाव सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

निदेशक, हरेडा ने बताया (दिसंबर 2014) कि ग्रा.ऊ.क. संस्थापित करने के लिए दिशानिर्देश पहले ही दिए जा चुके थे एवं जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि ये कमेटियां वारंटी एवं रख-रखाव अवधि समाप्त होने से पहले कार्यशील कर दी जाएं। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि हरेडा द्वारा नोडल एजेंसी होने के कारण लाभग्राहियों द्वारा परिसंपत्तियों का स्वामित्व/उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए परियोजना शुरू होने से पहले ग्रा.ऊ.क. का गठन सुनिश्चित किया जाना चाहिए था।

(vi) भौतिक सत्यापन के दौरान पाई गई कमियाँ

लेखापरीक्षा टीम एवं संबंधित जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा एक संयुक्त भौतिक सत्यापन किया गया। यह देखा गया कि पांच जिलों में यादृच्छिक रूप से चयन किए गए पांच गांवों⁵⁷ में लगाई गई 256 सो.फो.का. स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टमों में से 201 स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम (79 प्रतिशत) जांच की तिथियों⁵⁸ पर क्रियाशील नहीं पाए गए। ये 201 स्ट्रीट लाईट सिस्टम ₹ 33.82 लाख का व्यय करने के बाद लगाए गए थे। ग्राम पंचायतों/लाभग्राहियों ने सूचित किया कि सप्लायरों/विभाग द्वारा सिस्टमों का रख-रखाव न किए जाने के कारण सिस्टम क्रियाशील नहीं थे। इसने सो.फो.का. स्ट्रीट लाईटिंग कार्यक्रम के कार्यान्वयन में विभाग की उचित मानीटरिंग एवं सुरक्षा की कमी प्रतिबिंబित की।

निदेशक, हरेडा ने सूचित किया (दिसंबर 2014) कि गांव दुजाना, जिला झज्जर में 127 निष्क्रिय स्ट्रीट लाइटों में से 112 स्ट्रीट लाईटों को क्रियाशील बना दिया गया था। अब केवल 89 स्ट्रीट लाईटें क्रियाशील नहीं थीं।

इस प्रकार हरेडा ने राज्य में सोलर स्ट्रीट लाईटिंग सिस्टम कार्यक्रम को राज्य में दक्षता से कार्यान्वित नहीं किया था क्योंकि भारत सरकार से प्राप्त अनुदान, लाभग्राही विभाग से लिखित सहमति प्राप्त न करने के कारण उपयोग नहीं किया जा सका, लाभग्राही हिस्सा अवसूलित रहा, सी.एफ.एल. स्ट्रीट लाइटों के क्रय पर अधिक व्यय किया गया जबकि एल.ई.डी. स्ट्रीट लाइटें निम्नतर दरों पर उपलब्ध थीं तथा स्ट्रीट लाइटों के काम न करने के बावजूद, कंट्रोलर की बैंक गारंटी नकदीकृत नहीं की गई।

उपर्युक्त बिंदु, प्रधान सचिव, अक्षय ऊर्जा विभाग को भेजे गए थे (नवंबर 2014); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2015)।

⁵⁷

(i) मंगली (हिसार), (ii) यारा (कुरुक्षेत्र), (iii) जट्टल (पानीपत), (iv) दुजाना (झज्जर) तथा (v) कुंगर (भिवानी)।

⁵⁸

कुरुक्षेत्र: 28 जुलाई 2014 से 1 अगस्त 2014; हिसार: 4 अगस्त 2014 से 8 अगस्त 2014; पानीपत: 26 अगस्त 2014 से 29 अगस्त 2014; झज्जर: 1 सितंबर 2014 से 3 सितंबर 2014; तथा भिवानी: 4 सितंबर 2014 से 8 सितंबर 2014 के मध्य।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग और स्वास्थ्य विभाग

3.18 अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण के कारण गबन

वित्तीय नियमों के प्रावधानों की अनुपालना न करने एवं अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण के कारण राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग में ₹ 4.58 लाख एवं स्वास्थ्य विभाग में ₹ 1.69 लाख का गबन अवलोकित किया गया।

(ए) पंजाब वित्तीय नियम (पं.वि.नि.) वाल्यूम - I के नियम 2.21 जैसा कि हरियाणा सरकार को लागू है, प्रावधान करता है कि प्रत्येक वाउचर पर संवितरण अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित अथवा लघु हस्ताक्षरित एवं दिनांकित एक भुगतान आदेश, भुगतान योग्य राशि को शब्दों एवं अंकों में विनिर्दिष्ट करते हुए अंकित होना चाहिए। आगे, नियम 2.22 (5) प्रावधान करता है कि सभी भुगतान किए गए वाउचरों/सब वाउचरों पर 'पेड' की स्टाम्प लगाई जानी चाहिए अथवा उन्हें इस प्रकार रद्द कर देना चाहिए कि वे दोबारा प्रयोग न किए जा सकें। अपर मुख्य सचिव (अ.मु.स.), राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के वर्ष 2011-13 के अभिलेखों की संवीक्षा (मई 2013) ने दर्शाया कि आहरण एवं संवितरण अधिकारी (आ.सं.अ.) उपर्युक्त नियम का पालन नहीं कर रहा था। 97 मामलों में आ.सं.अ. द्वारा पेट्रोल, तेल एवं स्नेहकों (पी.ओ.एल.) के भुगतान किए गए वाउचरों पर 'पेड' की स्टाम्प नहीं लगाई थी और रद्द नहीं किया गया था। इसने संबंधित कर्मचारी को अग्रिम बिलों के बाद में समायोजन के समय स्टाम्प न किए गए एवं रद्द न किए गए बिलों को दोबारा प्रस्तुत करके ₹ 2,69,595 के कपटपूर्ण दावे आहरित करना सुगम बना दिया।

पंजाब वित्तीय नियमों का नियम 8.5 आगे प्रावधान करता है कि उसके द्वारा किए गए भुगतान के संबंध में प्रत्येक भुगतान प्राप्तकर्ता से वास्तविक प्राप्ति रसीद प्राप्त की जानी चाहिए तथा आ.सं.अ. को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भुगतान वास्तविक प्राप्तकर्ता को किया गया है। हरियाणा सरकार, वित्त विभाग ने स्पष्ट किया (अगस्त 2013) कि जहां तक पी.ओ.एल. अग्रिमों के डी.सी. बिलों का संबंध है, विद्यमान समय-सीमा में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा और इन्हें संबंधित ए.सी. बिल के पास होने की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। नियमों के उल्लंघन में तत्रैव, पिछले अग्रिम के समायोजन के बिना पी.ओ.एल. के बिलों की सारी राशि आहरित कर ली गई। इसके अतिरिक्त, पूर्ववर्ती अधीक्षक (कैश) द्वारा समायोजन वाउचरों में नए अग्रिम आहरित किए गए और इस प्रकार नए अग्रिमों की एवज में आहरित किए गए कैश तत्कालीन कैशियर द्वारा संबंधित ड्राइवरों/वास्तविक प्राप्तकर्ताओं को वितरित किए बिना रख लिए गए। आ.सं.अ. ने इन अग्रिमों की पावती/समायोजन सुनिश्चित नहीं किए। इसके परिणामस्वरूप पूर्ववर्ती अधीक्षक (कैश) द्वारा ₹ 1,27,000 का दुरुपयोग किया गया।

पंजाब वित्तीय नियम, वाल्यूम - I नियम 2.4 प्रावधान करता है कि दिन की समाप्ति पर कैश बुक पर हस्ताक्षर करते समय, कार्यालय के अध्यक्ष को देखना चाहिए कि दिन के दौरान एकत्रित विभागीय प्राप्तियां जिनकी व्यय के प्रति उपयोगिता की पंजाब कोषालय नियमों के अंतर्गत सख्त मनाही है और उन्हें उसी दिन या अंततम अगले दिन सुबह कोषालय में जमा करवाया जाता है एवं कैशबुक के भुगतान पक्ष में अनुरूपी प्रविष्टि की जाती है। नियम 2.2(v) प्रावधान करता है कि जब

सरकारी धनराशि, सरकारी अधिकारी की अभिरक्षा में सरकारी कोषालय/बैंक में जमा करवाई जाती है, कार्यालय के अध्यक्ष को कोषालय अधिकारी अथवा चालान पर बैंक रसीदों या उसकी पासबुक से कैशबुक में प्रविष्टि के साथ इसके सत्यापन से पहले मिलान करना चाहिए कि राशियां वास्तव में कोषालय अथवा बैंक में जमा करवा दी गई हैं।

अभिलेखों की संवीक्षा ने आगे दर्शाया कि यह सुनिश्चित नहीं किया गया था कि पूर्ववर्ती अधीक्षक (कैश) द्वारा रसीद बुकों द्वारा एकत्रित धन कोषालय/बैंक में जमा करवाया गया था या नहीं। 8 जून 2012 को पुराने वाहन को बेचने से प्राप्त की गई ₹ 61,000 की राशि को 9 नवंबर 2012 को भुगतान पक्ष में कोषालय में जमा करवाई गई के रूप में दर्शाया गया तथा टिप्पणी भी दी गई कि राशि पी.ओ.एल. के विरुद्ध समायोजित की गई थी परंतु यह राशि न तो कोषालय में जमा करवाई गई पाई गई और न ही पी.ओ.एल. बिलों के विरुद्ध समायोजित पाई गई।

वित्तीय नियंत्रण की कमी एवं वित्तीय नियमों के प्रावधानों की अननुपालना के कारण ₹ 4,57,595⁵⁹ का गबन संभव हुआ। लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर अपर मुख्य सचिव ने तथ्यों को स्वीकारते हुए बताया (अक्टूबर 2013) कि संबंधित पूर्ववर्ती अधीक्षक (कैश) से ₹ 4,57,595 की वसूली की जा चुकी थी। अपर मुख्य सचिव ने आगे बताया (मई 2014) कि पूर्ववर्ती अधीक्षक (कैश) के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

(बी) पंजाब वित्तीय नियमों का नियम 2.2 प्रावधान करता है कि एक आ.सं.अ. को स्वयं को संतुष्ट कर लेना चाहिए कि सभी धन संबंधी लेन-देन उनके होने के साथ यथाशीघ्र कैश-बुक में प्रविष्ट किए जाते हैं और ये उसके द्वारा सत्यापित किए जाते हैं। नियम 2.7 एवं 2.4 तत्रैव, प्रावधान करते हैं कि यदि एक कर्मचारी, जो कैश-बुक का इंचार्ज नहीं है, सरकार की ओर से धन प्राप्त करता है तो इसे कैशबुक रखने वाले कर्मचारी के पास प्रेषित किया जाना या कोषालय/बैंक में उसी दिन या अगले दिन सुबह जमा करवाया जाना अपेक्षित है। कार्यालय के मुखिया को कैशबुक में योगों सहित सभी प्रविष्टियां सत्यापित की जानी या इसे कैशबुक लिखने वाले कर्मचारी से अन्य किसी उत्तरदायी कर्मचारी से सत्यापित करवाया जाना एवं सभी प्रविष्टियों को ‘सही’ के रूप में लघु हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित है।

हरियाणा सरकार ने तीन⁶⁰ परियोजना जिलों के स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य कल्याण समितियों (स्वा.क.स.) द्वारा मरीजों से संगृहीत प्रयोक्ता फीस को रखने एवं सहायतानुदानों, डोनेशन इत्यादि के माध्यम से संसाधन बढ़ाने की संस्वीकृति दी (अगस्त 2003) जो बाद में (जनवरी 2004) राज्य के सभी जिलों तक बढ़ा दी गई। प्रयोक्ता प्रभारों की दैनिक संग्रहण फीस प्रतिदिन कैशबुक में प्रविष्ट की जानी है एवं इस प्रकार एकत्रित राशि को स्वा.क.स. के राष्ट्रीयकृत बैंक के बचत खाते में जमा करवाया जाना है।

चार सामान्य अस्पतालों⁶¹ (सा.अ.) में अभिलेखों की संवीक्षा (जनवरी और मार्च 2013 के बीच) ने दर्शाया कि विभिन्न अस्पतालों द्वारा प्रयोक्ता प्रभार ओ.पी.डी. फीस, लैब टैस्टिंग फीस आदि के कारण कैश संगृहीत किए जा रहे थे और इस प्रकार संगृहीत राशि को प्रत्येक अस्पताल के स्वा.क.स. के

⁵⁹ ₹ 2,69,595 + ₹ 1,27,000 + ₹ 61,000 = ₹ 4,57,595

⁶⁰ अंबाला, करनाल तथा यमुनानगर।

⁶¹ सोनीपत्त, गुडगांव, रेवाड़ी तथा फरीदाबाद।

बैंक खाते में जनवरी 2004 के सरकारी आदेशों के अनुसार जमा करवाया जा रहा था। इन समितियों की दैनिक रसीद बुक, कैश संग्रहण रजिस्टर एवं कैशबुकों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि दिसंबर 2010 एवं नवंबर 2012 के बीच की अवधि के दौरान कर्मचारियों द्वारा समिति के खाते में ₹ 1.69 लाख की राशि कम जमा करवाई गई। ₹ 1.69 लाख की इस राशि का गबन किया गया। यह प्राप्तियों की लेखांकन न करने, योगों में त्रुटियां, शेष का कम आगे ले जाना, वास्तविक डिपोजिट से भुगतान पक्ष में अधिक राशि की प्रविष्टि के कारण हुआ था। कैश कलैक्शन रजिस्टर एवं कैशबुक के प्रविष्टियों एवं टोटलों की जांच न करने एवं इन प्राप्ति प्रविष्टियों के आ.सं.अ. स्तर पर रसीद बुकों से मिलान न करने से यह संभव हुआ।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर ₹ 1.69 लाख⁶² की कथित राशि संबंधित कर्मचारियों से वसूल कर ली गई थी और संबंधित स्वा.क.स. के बैंक खातों में जनवरी और मार्च 2013 के बीच की अवधि के दौरान जमा करवा दी गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी⁶³ ने बताया (मई 2014) कि चूककर्ता कर्मचारियों को कैश प्राप्ति की सीट से हटा दिया गया है एवं ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुधारात्मक उपाय भी किए गए थे। सामान्य अस्पताल, रेवाड़ी एवं सोनीपत के चूककर्ता कर्मचारियों के विरुद्ध जांच आरंभ कर दी गई थी। लेखापरीक्षा में आगे देखा गया कि एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी चूककर्ता कर्मचारियों के विरुद्ध अभी तक कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी (नवंबर 2014)।

इस प्रकार, आ.सं.अ. द्वारा वित्तीय नियंत्रण की कमी एवं कैश को संभालने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण न करने से सरकारी विभागीय प्राप्तियों का गबन संभव हुआ था।

मामला प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग को टिप्पणी के लिए प्रेषित किया गया था (मई 2014); उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2015)।

खेलकूद एवं युवा मामले विभाग

3.19 बास्केट बाल पोल की खरीद पर निष्फल व्यय

निर्धारित मानकों के अनुसार बास्केटबाल मैदानों को तैयार न करने के कारण 85 बास्केटबाल पोल के प्रतिष्ठापन पर ₹ 66.11 लाख का व्यय निष्फल किया गया।

भारत सरकार (भा.स.), युवा मामले तथा खेलकूद मंत्रालय ने केंद्र एवं राज्य सरकार के मध्य 75:25 के शेयरिंग आधार पर देश में “पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (प.यु.क्री.खे.अ.)” स्कीम कार्यान्वित की (मई 2008)। प.यु.क्री.खे.अ. का मुख्य लक्ष्य, पंचायत स्तर पर बेसिक खेलकूद इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं उपकरण का नेटवर्क, ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना तथा खण्ड, जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर वार्षिक प्रतियोगिताओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में खेल एवं क्रीड़ाओं को प्रोत्साहित कर युवा विकास के एकीकृत पहलू के रूप में खेल विकास को

⁶² जी.ए.च., (i) सोनीपत: ₹ 92,730 दिनांक 21-01-2013, (ii) गुडगांव: ₹ 32,845 दिनांक 31-01-2013, (iii) रेवाड़ी: ₹ 38,510 (₹ 16,010 दिनांक 14-02-2013 एवं ₹ 22,500 दिनांक 19-02-2013) तथा (iv) फरीदाबाद: ₹ 4,550 दिनांक 14-03-2013.

⁶³ सरकारी अस्पताल (i) सोनीपत, (ii) गुडगांव, (iii) रेवाड़ी तथा (iv) फरीदाबाद।

सुनिश्चित करना है। ग्राम पंचायत स्तर पर खेल इन्फ्रास्ट्रक्चर/सुविधाओं के विकास के लिए ₹ 1 लाख की वन टाइम कैपिटल ग्रांट, 4600 की न्यूनतम जनसंख्या वाले गांवों के लिए चिन्हित की गई थी तथा गांव तथा ब्लाक पंचायत स्तर पर खेल मैदान/खेल इन्फ्रास्ट्रक्चर के सृजन हेतु स्कूलों को वरीयता दी जानी थी।

खेल एवं युवा मामले विभाग, हरियाणा सरकार के 2008-09 से 2013-14 तक की अवधि के अभिलेखों की संवीक्षा (मार्च से मई 2014) ने दर्शाया कि हरियाणा सरकार ने ₹ 11.45 करोड़ का व्यय, स्कीम के अंतर्गत बास्केटबाल पोल के 1,450 सेट्स के क्रय तथा बाद में राज्य के 1,450 पं.यु.क्री.खे.अ. केंद्रों में उनके प्रतिष्ठापन पर किया। आगे, जिला खेल एवं युवा मामले अधिकारी (जि.खे.यु.मा.अ.), करनाल, कुरुक्षेत्र तथा अंबाला के कार्यालय में अभिलेखों की संवीक्षा तथा इन जिलों में 2008-09 से 2012-13 तक की अवधि के दौरान खोले गए 352 केंद्रों में से 87 पं.यु.क्री.खे.अ. केंद्रों के खेल विभाग के कोचिज के साथ एक लेखापरीक्षा दल द्वारा किए गए भौतिक सर्वेक्षण (अप्रैल-मई 2014) ने दर्शाया कि 85 केंद्रों में ₹ 66.11 लाख की राशि के बास्केटबाल पोल के 85 सेट निम्न कारणों से अप्रयुक्त पड़े थे:

- इन 85 पं.यु.क्री.खे.अ. केंद्रों में खेल मैनुअल के अनुसार बास्केटबाल मैदान तैयार नहीं किए गए थे।
- 11 पं.यु.क्री.खे.अ. केंद्रों में बास्केटबाल पोल उखड़े पड़े थे।
- तीन पं.यु.क्री.खे.अ. केंद्रों में अंबाला जिले में (जटवार, शाहपुर तथा नन्योला) बास्केटबाल मैदानों में वृक्ष खड़े थे।
- करनाल जिले में धीर तथा अंबाला जिले में तंदवाल गांव स्थित दो केंद्रों में जल से भरे हुए क्षेत्र में पोल खड़े किए गए थे।
- एक केंद्र में, बास्केटबाल पोल उच्च दाब तारों के नीचे प्रतिष्ठापित थे तथा वहां मैदान में पेवमेंट भी था।
- 17 पं.यु.क्री.खे.अ. केंद्रों में, बास्केटबाल पोल वानिकी पौधों और घास के बीच खड़े थे।
- आठ पं.यु.क्री.खे.अ. केंद्रों में, बास्केटबाल पोल बोर्ड और रिंग के बिना खड़े थे और बोर्ड टूटे हुए थे।
- दो केंद्रों में, बास्केटबाल पोल के बीच खो-खो पोल एवं बालीबाल पोल खड़े थे।

	
करनाल जिले में धीर स्थित जल से भरे हुए क्षेत्र में बास्केटबाल पोल (16 अप्रैल 2014)	करनाल जिले में कछवा स्थित उखड़े पड़े हुए बास्केटबाल पोल (23 अप्रैल 2014)

- 32 संस्थाओं में⁶⁴ क्षेत्र में गांवों के युवाओं की बास्केटबाल खेल खेलने में रुचि नहीं थी तथा वालीबाल, हाकी, क्रिकेट, कबड्डी इत्यादि जैसे खेल खेलने में रुचि थी।

निदेशक, खेल तथा युवा मामले विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा जारी निर्देशों (अगस्त 2011) के अनुसार, सभी पं.यु.क्री.खे.अ. केंद्रों का निरीक्षण, प्रतिमाह कोचिज द्वारा तथा प्रत्येक तिमाही में संबंधित जि.खे.यु.मा.अ. द्वारा किया जाना था तथा रिपोर्ट अगले माह की प्रत्येक 5 तारीख तक निदेशक, खेल विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए भेजी जानी थी कि स्कॉम सही ढंग से कार्यान्वित की जा रही थी। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि इन जिलों के न तो कोचिज ने और न ही जि.खे.यु.मा.अ. ने किसी पं.यु.क्री.खे.अ. केंद्र का निरीक्षण किया था। परिणामतः ये केंद्र, देखभाल तथा मानीटरिंग की कमी के कारण परित्यक्त पड़े थे।

इस प्रकार, उचित आयोजना एवं अनुवर्ती कार्रवाई के बिना मार्गनिर्देशों में यथा निर्धारित तैयार न किए गए बास्केटबाल पोल के प्रतिष्ठापन ने 85 पं.यु.क्री.खे.अ. केंद्रों के लिए बास्केटबाल पोल के प्राप्तण पर किया गया ₹ 66.11 लाख का व्यय निष्फल बना दिया।

प्रधान सचिव, खेल एवं युवा मामले विभाग ने बताया (सितंबर 2014) कि ब्लाक स्तरीय इन्प्रास्ट्रक्चर के लिए प्रत्येक गांव के लिए भारत सरकार से केवल ₹ 1 लाख वन टाइम ग्रांट प्राप्त हुई थी। आर.सी.सी. मैदान के लिए यह राशि पर्याप्त नहीं थी, फिर भी, लापरवाह अधिकारियों के विरुद्ध उनकी लापरवाही के लिए कार्रवाई की जाएगी तथा पं.यु.क्री.खे.अ. केंद्रों का निरीक्षण करने के लिए सभी उप निदेशकों को निर्देश (जून 2014) जारी कर दिए गए हैं। ऐसे निरीक्षणों, यदि किए गए हैं, के परिणाम लेखापरीक्षा को सूचित नहीं किए गए थे (जनवरी 2015)।

नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग

3.20 पट्टा धन तथा अन्य प्रभारों की अवसूली

संपदा अधिकारी (हुड़ा), पंचकुला द्वारा वैधता अवधि के भीतर बैंक गारंटी का नकदीकरण न करने के कारण ₹ 84.64 लाख की राशि के पट्टा धन तथा अन्य प्रभारों की अवसूली हुई।

संपदा अधिकारी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुड़ा), पंचकुला ने, इंटरनेशनल ट्रेड एंड एक्जीबीशन, प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली (फर्म) को तीन वर्ष की अवधि के लिए इंद्रधनुष ऑडिटोरियम, सैक्टर-5, पंचकुला रनिंग, परिचालन आपरेशन तथा अनुरक्षण के लिए लीज (अक्टूबर 2008) पर दिया। लीज एग्रीमेंट की शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार, पट्टेधारी द्वारा हुड़ा को, प्रतिमाह तीन वर्ष के लिए ₹ 3,01,131 की लीज मनी प्लस निवल आवर्त्त का 2.1 प्रतिशत का भुगतान किया जाना था। पट्टेधारी द्वारा ₹ 60.23 लाख (अर्थात् मासिक पट्टा धन के 20 गुण के बराबर) प्रतिभूति जमा/बैंक गारंटी प्रस्तुत की जानी थी जो अग्रिम में अथवा अधिकार में लेने से पूर्व दी जानी थी तथा लीज अवधि की पूर्ति तथा ऑडिटोरियम का रिक्त अधिकार सौंपने तथा

⁶⁴ भौतिक सर्वेक्षण के दौरान, स्कूलों, जहां बास्केटबाल पोलज प्रतिष्ठापित थे, के कोचिज/प्रिंसीपलों से टिप्पणियां प्राप्त की गई थीं।

पटटेधारी द्वारा भुगतान योग्य सभी देयों के भुगतान के पश्चात् प्रत्यर्पणीय थी। इसके अतिरिक्त, सभी सेवा प्रभार जैसे विद्युत, जल आपूर्ति तथा सीवरेज इत्यादि, पटटेधारी द्वारा वहन किए जाने थे।

संपदा अधिकारी, हुड़ा (सं.अ.), पंचकुला के अभिलेखों की संवीक्षा (फरवरी 2012) ने दर्शाया कि पटटेधारी ने ₹ 60.23 लाख की राशि की बैंक गारंटी प्रस्तुत की (नवंबर 2008) जो 02 दिसंबर 2011 की बजाय 09 जुलाई 2010 तक वैध थी जो लीज एग्रीमेंट के उल्लंघन में थी। ऑडिटोरियम का अधिकार 03 दिसंबर 2008 को फर्म को सौंपा गया। फर्म ने दिसंबर 2008 से अप्रैल 2009 तक प्रथम पांच महीनों के लिए नियमित रूप से पटटा धन का भुगतान किया। तत्पश्चात्, फर्म ने, हुड़ा को पटटेधन का भुगतान बंद कर दिया। सं.अ. पंचकुला ने पटटा धन जमा न करवाने, आवर्त्त के अद्यतित लेखाओं के अप्रस्तुतिकरण तथा भवन, फर्नीचर, के संबंध में दिसंबर 2009 तथा अप्रैल 2011 के बीच समय-समय पर फर्म को नोटिस जारी किए। फरवरी 2011 तक ₹ 76.39 लाख के कुल बकाया पटटा धन के विरुद्ध फर्म ने केवल ₹ 16.44 लाख का भुगतान किया (₹ 13.80 लाख दिसंबर 2010 में तथा ₹ 2.64 लाख फरवरी 2011 में)। फर्म द्वारा पटटे धन का भुगतान न करने तथा पटटा विलेख की शर्तों एवं निबंधनों के उल्लंघन के कारण सं.अ. ने 7 जून 2011 को पटटा विलेख समाप्त कर दिया। 14 जून 2011 को फर्म से ऑडिटोरियम का अधिकार वापस ले लिया गया। 14 जून 2011 को ₹ 84.64⁶⁵ लाख की राशि का पटटा धन तथा अन्य प्रभार फर्म से अभी भी वसूलनीय थे (मई 2014)। पटटा विलेख की शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार फर्म द्वारा अपने आवर्त्त की विवरणियां हुड़ा को प्रस्तुत की जानी थी ताकि हुड़ा द्वारा आवर्त्त का 2.1 प्रतिशत वसूल किया जा सके, परंतु आवर्त्त के ब्यारे प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि हुड़ा ने समग्र पटटा अवधि (अर्थात् 2 दिसंबर 2011 तक) इसकी वैधता सुनिश्चित करने की बजाय 9 जुलाई 2010 तक वैध बैंक गारंटी स्वीकार कर पटटेधारी को अनुचित लाभ दिया तथा फर्म ने मई 2009 से निरंतर पटटा विलेख की शर्तों एवं निबंधनों का उल्लंघन किया था परंतु सं.अ., पंचकुला द्वारा ₹ 60.23 लाख की बैंक गारंटी को इसके 9 जुलाई 2010 को कालातीत होने से पूर्व नकदीकृत/नवीकृत नहीं करवाया गया। इस प्रकार, यदि बैंक गारंटी इसकी वैधता अवधि के भीतर नकदीकृत करवा ली जाती तो हुड़ा ₹ 84.64 लाख की कुल बकाया राशि में से ₹ 60.23 लाख की राशि, इससे अपनी हानि की प्रतिपूर्ति करते हुए, की वसूली कर सकता था। सं.अ., पंचकुला ने बताया (जून 2014) कि जान की कमी के कारण, बैंक गारंटी नकदीकृत नहीं करवाई जा सकी तथा प्रशासक, हुड़ा, पंचकुला को, इस मामले में दोषी अधिकारियों को पहचानने के लिए इंक्वायरी आफिसर नियुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया है।

मामला प्रधान सचिव नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग को भेजा गया था (मई 2014)। उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2015)।

⁶⁵

पटटा धन: ₹ 59.94 लाख + विद्युत प्रभार: ₹ 22.00 लाख + मरम्मत पर व्यय: ₹ 0.99 लाख + अनुरक्षण: ₹ 1.71 लाख

परिवहन विभाग

3.21 आवश्यकता से अधिक बस परिचालकों की नियुक्ति

बसों की उपलब्धता के बिना परिचालकों की नियुक्ति के परिणामस्वरूप ₹ 9.93 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

राज्य सरकार की आरक्षण नीति (जुलाई 1995) में श्रेणी- III तथा श्रेणी- IV पदों की सीधे भर्ती में अनुसूचित जातियों (अ.जा.) के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। आगे, मानकों (अगस्त 2009) के अनुसार विभाग को एक साधारण बस के परिचालन के लिए 1.4 बस परिचालक अपेक्षित हैं तथा नगर बस सेवा चलाने के लिए 2.5 बस परिचालक अपेक्षित हैं।

विभाग के पास फरवरी 2009 में 3,141 बसों के फ्लीट के परिचालन के लिए 6,036 बस परिचालक थे, उस समय यातायात आयुक्त ने हरियाणा स्टाफ चयन आयोग (ह.स्टा.च.आ.) को, 3,870 बसों के प्रस्तावित फ्लीट के लिए रिक्त पद परिकलित करते हुए 2,480 बस परिचालकों की भर्ती के लिए मांग भेजी थी। जुलाई 2009 में मांग भेजी गई जोकि 1,357 अतिरिक्त बस चालकों की भर्ती के लिए सेवानिवृत्तियां (212), पदोन्नतियां (770) तथा 268 अतिरिक्त बसों (375) के प्रस्तावित क्रय के द्वारा सृजित होने वाली रिक्तियों के विरुद्ध थी तथा 4,138 बसों का कुल प्रस्तावित फ्लीट बनाते हुए भेजी गई थी। भर्ती के लिए मांग आरक्षण नीति तथा प्रत्येक श्रेणी में सृजित होने वाली रिक्तियों के अनुसार भेजी गई थी।

ह.स्टा.च.आ. ने फरवरी तथा अगस्त 2009 में परिचालकों के 3,837 पदों के लिए विज्ञापन दिया गया था तथा भर्ती प्रक्रिया की पूर्ति के पश्चात् विभाग को, सभी श्रेणियों की मैरिट के क्रम में 3,507 सफल सदस्यों की एक सूची भेजी (फरवरी 2012)। सूची की वैधता अवधि, ह.स्टा.च.आ. द्वारा जारी किए गए पत्र की तिथि से एक वर्ष थी। उस समय (फरवरी, 2012) उपलब्ध रिक्तियां, 3,672 बसों के प्राधिकृत फ्लीट के आधार पर परिकलित, केवल 1,788 थीं।

सरकार ने, मैरिट के क्रम में 3,507 सदस्यों की सूची में से 1,788 सदस्यों की नियुक्ति देने तथा शेष सदस्यों को प्रत्येक छ: माह बाद काउंसलिंग करके रिक्तियों की वास्तविक उपलब्धता के अनुसार नियुक्त करने का निर्णय किया (मार्च 2012)। तदनुसार, 1,788 नियुक्तियां अप्रैल 2012 में विभिन्न डिपुओं के लिए की गई जिनमें 357 परिचालकों की अपेक्षित संख्या (1,788 का 20 प्रतिशत) के विरुद्ध 173 एस.सी. शामिल थे।

विभिन्न सामाजिक संगठनों ने एस.सी. सदस्यों की उचित संख्या नियुक्त न करने के लिए विरोध किया। इन अभिवेदन पर कार्य करते हुए, सरकार ने सभी शेष 1,719 सदस्यों को नियुक्त कर दिया (जून 2012) तथा तैनात पद विवरणी के अनुसार परिचालकों की कुल संख्या 7,754 हो गई। इससे, मई 2012 से दिसंबर 2013 तक की अवधि के दौरान परिचालकों की संख्या बसों की

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष हेतु सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्रों (गैर-साक्षेत्र) का प्रतिवेदन

अनुपलब्धता के कारण 240 तथा 1,316 की बीच बढ़ गई जिसके परिणामस्वरूप इन परिचालकों के वेतनों पर ₹ 9.93⁶⁶ करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ (परिशिष्ट 3.5)।

महानिदेशक, राज्य परिवहन विभाग ने तथ्यों को स्वीकार करते समय बताया (मई 2014) कि ह.स्टा.च.आ. द्वारा 3,507 चयनित अभ्यर्थियों की सूची से वरिष्ठता आधार पर 1,788 बस परिचालकों की नियुक्ति की गई थी। इस प्रकार बसों की उपलब्धता के बिना परिचालकों की नियुक्ति के परिणामस्वरूप आधिक्य में नियुक्त किए गए परिचालकों को प्रदत्त वेतनों के कारण दिसंबर 2013 तक ₹ 9.93 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

मामला प्रधान सचिव, परिवहन विभाग को भेजा गया था (मई 2014); उत्तर, बार-बार अनुस्मारकों के बावजूद प्रतीक्षित था (जनवरी 2015)।

3.22 कें.मो.वा.नि. का उल्लंघन करते हुए बसों के प्रापण के कारण परिहार्य हानि

कें.मो.वा.नि., 1989 के प्रावधानों का उल्लंघन करके बसों के प्रापण के परिणामस्वरूप बसों के न चलाने, साइड ग्लासिज के परिवर्तन पर व्यय तथा भुगतान की गई पेनल्टी के कारण निवल राजस्व हानि के कारण ₹ 92.88 लाख की हानि हुई।

केंद्रीय मोटर वाहन नियम (कें.मो.वा.नि.), 1989 के नियम 100 (2) ने प्रावधान किया था कि वाहनों के साइड विंडोज के लिए प्रयुक्त ग्लास ऐसी स्थिति में रखा जाना चाहिए कि लाइट का विजुअल संचारण 50 प्रतिशत से कम न हो तथा भारतीय मानकों के अनुरूप हों।

महानिदेशक, राज्य परिवहन (म.नि.रा.प.) ने अक्तूबर 2011 में तथा नवंबर, 2011 में संशोधित शर्तों तथा निबंधनों के साथ, मर्सीडीज बैन्ज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली तथा मैसर्ज वोल्वो बस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली (मैसर्ज वोल्वो) से, विंडो ग्लासिज की उपर्युक्त विनिर्देशन का उल्लेख किए बिना हरियाणा रोडवेज में परिचालन हेतु 25 वातानुकूलित लगजरी बसों की आपूर्ति के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए। दोनों विनिर्माताओं ने नवंबर 2011 में अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए जिसने साथ में बताया कि उनकी बसें कें.मो.वा.नि. नियम, 1989 को पूरा करेंगी।

विभाग की एक तकनीकी समिति⁶⁷ ने दोनों विनिर्माताओं के प्रस्ताव विभाग की अपेक्षा के अनुसार पाए (नवंबर 2011)। वित्त मंत्री द्वारा अध्यक्षता की गई उच्च अधिकार प्राप्त कमेटी ने मैसर्ज वोल्वों का प्रस्ताव निम्नतम होने के कारण अनुमोदित किया (दिसंबर 2011)। तदनुसार, म.नि.रा.प. ने ₹ 20 करोड़ की लागत पर 25 वातानुकूलित लगजरी बसों की आपूर्ति के लिए मैसर्ज वोल्वो को आपूर्ति आदेश जारी किया (दिसंबर 2011) तथा संयुक्त राज्य परिवहन नियंत्रक (तकनीकी) ने बस बाड़ी के विस्तृत विनिर्देशन जारी किए (जनवरी 2012) जिसमें साइड ग्लासिज को सख्त डार्क ग्रे

⁶⁶ मई 2012 से दिसंबर, 2013 के दौरान अधिक परिचालकों का मासिक योग (प्रति बस परिचालक का मानक = 1.4 तथा 2.5) = 12,408; प्रति माह प्रति परिचालक ₹ 8,000 की दर पर वेतन = ₹ 9.93 करोड़।

⁶⁷ संयुक्त परिवहन आयुक्त (जे.टी.सी.) - II, संयुक्त राज्य परिवहन नियंत्रक (जे.एस.टी.सी.) (तकनीकी) तथा मुख्य लेखा अधिकारी (मुख्यालय)।

होना शामिल था जो कें.मो.वा.नि., 1989 के नियम 100 (2) के अनुरूप नहीं था। महाप्रबंधक (तकनीकी), एच.आर.ई.सी., महाप्रबंधक, हरियाणा परिवहन करनाल, गुडगांव तथा चंडीगढ़ द्वारा सुपुर्दगी लेने से पूर्व बसों का निरीक्षण किया गया था तथा फरवरी एवं जून 2012 के बीच सुपुर्दगी ली गई थी। चूंकि बसें, कें.मो.वा.नि., 1989 के नियम 100 (2) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी तथा रंगीन ग्लासिज अनुमत सीमा से परे थे। दिल्ली पुलिस ने इन बसों का, दिल्ली में उनके परिचालन के दौरान चालान कर दिया (दिसंबर 2012 तथा जनवरी 2013) और विभाग ने ₹ 1.14 लाख की पेनल्टी का भुगतान किया। इस प्रकार, विभाग द्वारा ये बसें परिचालित नहीं की गई थीं तथा ग्लासिज के परिवर्तन के लिए ₹ 34.41 लाख का व्यय किया गया। विभाग ने बसें परिचालित न करने से ₹ 57.33 लाख के राजस्व की हानि भी उठाई।

इंगित किए जाने पर म.नि.रा.प. ने बताया (जुलाई 2013) कि यद्यपि विनिर्देशन शीट में डार्क-ग्रे सत्त्व साइड विंडो ग्लासिज शामिल थे तथा कें.मो.वा.नि., 1989 की अनुमत सीमा के भीतर विजुअल लाईट संचारण की मात्रा की आवश्यकता उत्तिष्ठित नहीं थी, विनिर्माता, मैसर्ज वॉल्वो बसिज प्राइवेट लिमिटेड से कें.मो.वा.नि., 1989 के अनुसार मदें प्रयोग किए जाने की आशा थी। आगे, यह सूचित किया गया (मई 2014) कि विभाग इस मामले में मध्यस्थ निर्णय का प्रयत्न कर रहा है। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि विभाग ने, कें.मो.वा.नि., 1989 के नियम 100 (2) की अपेक्षाओं को पूरा करने वाली बसें प्राप्त नहीं की गई थीं परिणामतः ₹ 92.88 लाख⁶⁸ की परिहार्य हानि हुई।

मामला, प्रधान सचिव, परिवहन विभाग को भेजा गया था (मई 2014), उत्तर बार-बार अनुस्मारकों के बावजूद प्रतीक्षित था (जनवरी 2015)।

महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता तथा शिक्षा विभाग

3.23 ‘कन्या शिशु के कल्याण तथा सुरक्षा’ की स्कीमों के कार्यान्वयन में कमियां

1,082 दावेदारों को विवाह शागुन जारी करने में पांच से 32 माह का विलंब देखा गया। लाडली सामाजिक सुरक्षा भन्ता स्कीम के अंतर्गत सही सत्यापन के बिना 5,153 लाभार्थियों को ₹ 10.95 करोड़ भुगतान किए गए। 4,000 कन्या विद्यार्थी योग कक्षाओं तथा स्वयं सुरक्षा परीक्षण से वंचित रखी गईं। 2009–14 अवधि के दौरान जींद तथा हिसार में कन्या शिशु का अनुपात घट गया था।

परिवार तथा समाज में कन्या शिशु की स्थिति सुधारने, राज्य में घटते लिंग अनुपात के जन सार्विक विकार को दूर करने तथा कन्या शिशु की सामाजिक तथा स्वास्थ्य आवश्यकताओं को

⁶⁸

पेनल्टी: ₹ 1.14 लाख, ग्लास परिवर्तन प्रभार ₹ 34.41 तथा निवल राजस्व हानि: ₹ 57.33 लाख।

पूरा करने के उद्देश्य से सरकार आठ स्कीमें/कार्यक्रमों⁶⁹ कार्यान्वित कर रही थी।

मई तथा जून 2014 के महीनों के दौरान लेखापरीक्षा में तीन जिलों (करनाल, हिसार तथा जींद) को आवृत्त करते हुए वर्ष 2009-14 के लिए कन्या शिशु से संबंधित चार स्कीमों⁷⁰ के अभिलेखों की नमूना-जांच की गई। महत्वपूर्ण परिणाम निम्न प्रकार से हैं:

(i) लाडली स्कीम (महिला एवं बाल विकास विभाग)

कन्या भ्रूण हत्या के संकट का सामना करने के लिए जो जन सारिव्यकीय तथा सामाजिक महत्वों को विध्वंस कर रही है, जनसारिव्यक लिंग अनुपात का संतुलन पुनः स्थापित करने के लिए 'लाडली' नामक एक स्कीम आरंभ की गई (अगस्त 2005)। स्कीम के अंतर्गत दूसरी कन्या के जन्म से पांच वर्षों के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष ₹ 5,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जानी थी जिसे भारतीय जीवन बीमा निगम (जी.बी.नि.) के साथ निवेश किया जाना था। दूसरी कन्या को, 18 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर इस शर्त के साथ कि वह जीवित तथा अविवाहित होनी चाहिए, सूचित राशि का भुगतान किया जाना था। मृत्यु अथवा विवाह के मामले में विभाग नामांकन रद्द कर देगा तथा जी.बी.नि. से निवेश की गई निधियों को ब्याज सहित वापस ली जाएगी। 2009-14 के दौरान स्कीम के अंतर्गत 1,15,850 के लक्ष्य के विरुद्ध 1,14,351 लाभग्राहियों को वित्तीय सहायता के रूप में ₹ 57.21 करोड़ व्यय किया गया। लेखापरीक्षा में निम्न अवलोकित किया गया:

- 538 मृत्यु प्रकरणों में (जींद: 306 प्रकरण, करनाल: 116 प्रकरण तथा हिसार: 116 प्रकरण) जिला कार्यक्रम अधिकारियों (जि.का.अ.) ने जी.बी.नि. से निधियों के दावे नहीं किए थे। इंगित किए जाने पर (जुलाई 2014) जि.का.अ. ने 538 मृत्यु प्रकरणों के लिए जी.बी.नि. से दावे किए थे तथा ब्याज सहित ₹ 37.12 लाख का रिफंड प्राप्त किया।
- नवंबर 2013 में जी.बी.नि. द्वारा का.अ. जींद को 2,358 प्रकरणों में दिए गए सदस्यता प्रमाण-पत्रों में लाभग्राही की जन्मतिथि उल्लिखित नहीं थी जिसके अभाव में यह सुनिश्चित करना कठिन होगा कि लाभार्थी कब 18 वर्ष की आयु प्राप्त करेगी। महिला एवं बाल विकास विभाग ने सूचित किया (सितंबर 2014) कि राशि के साथ जन्मतिथि उल्लिखित करके नए सदस्यता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए जी.बी.नि. चण्डीगढ़ को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए थे। तथापि, तथ्य यह रहता है कि विभाग ने लाभार्थियों के प्रमाण-पत्र जन्मतिथि के उल्लेख के बिना स्वीकार किए तथा नए सदस्यता प्रमाण-पत्र अभी प्राप्त होने शेष थे (जनवरी 2015)।

⁶⁹ 1-लाडली (महिला एवं बाल विकास) राज्य योजना, 2-के.एस.वाई. (महिला एवं बाल विकास) राज्य योजना/केंद्रीय योजना, 3-सबला (महिला एवं बाल विकास) राज्य योजना/केंद्रीय योजना, 4-किशोरी कन्या पुरस्कार (महिला एवं बाल विकास) राज्य योजना, 5-पी.एन.डी.टी. एक्ट 1994 (स्वास्थ्य विभाग) केंद्रीय योजना, 6-इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी विवाह शगुन स्कीम राज्य योजना, (एस.सी./बी.सी. कल्याण विभाग), 7-लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता (सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग) राज्य योजना, 8-बाल कन्या को योग कक्षाएं प्रदान करना, स्व-सुरक्षा प्रशिक्षण देना तथा मनोरंजन यात्रा (शिक्षा विभाग) राज्य/केंद्रीय हिस्सा आधारित।

⁷⁰ 1-लाडली, 2-इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी विवाह शगुन स्कीम (इं.गा.प्रि.वि.श. स्कीम), 3-लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता (ला.सा.सु.भ.) तथा 4-लड़कियों के लिए मनोरंजन यात्रा तथा आत्म सुरक्षा प्रशिक्षण योग कक्षाएं।

(ii) इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी विवाह शगुन स्कीम (एस.सी./बी.सी. कल्याण विभाग)

इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी विवाह शगुन (इ.ग.पि.द.) स्कीम एस.सी./बी.सी. तथा निर्धनता रेखा से नीचे रह रहे समाज के अन्य वर्गों की बेटियों के विवाह के अवसर पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है। स्कीम के मार्गनिर्देशों के अनुसार संबंधित अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जाने थे कि विवाह की तिथि वाले दिन अथवा इससे पूर्व अनुदान वितरित किया। 2010-14 के दौरान नमूना-जांच किए गए जिलों में ₹ 44.95 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 43.32 करोड़ का व्यय किया गया।

2,232 विवाह शगुन (कन्यादान) में से 1,082⁷¹ प्रकरणों में ₹ 2.23 करोड़ की राशि से आवेष्टित दावेदारों के आवेदन पत्रों की प्राप्ति से 5 से 32 महीनों की देरी के साथ भुगतान किए गए जिसने स्कीम के उद्देश्य को विफल कर दिया। जिला कल्याण अधिकारियों (जि.क.अ.) करनाल, जींद तथा हिसार ने बताया (जून 2014) कि स्टाफ की कमी, बजट की अनुपलब्धता तथा आवेदन प्रपत्रों का पूर्ण न होना देरी से भुगतान के कारण थे। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि स्कीम के अंतर्गत पर्याप्त बजट उपलब्ध था तथा लड़की के विवाह से पहले भुगतान किए जाने थे।

2009-10 से संबंधित 109 प्रकरणों में ₹ 15.36 लाख की वास्तविक प्रापक रसीदें जिला कल्याण अधिकारी (जि.क.अ.) जींद में उपलब्ध नहीं थी जिसके अभाव में वास्तविक प्रापक को भुगतानों की यर्थर्थता को लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका। जि.क.अ., जींद ने बताया (जून 2014) कि संबंधित सहायक, जिसका स्थानान्तरण सितंबर 2012 में जि.क.अ. जींद से जि.क.अ. भिवानी हो गया था, ने पूर्ण कार्यभार नहीं सौंपा, इसलिए वा.प्र.र. उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि वा.प्र.र. को कार्यालय में रखने के लिए जिला कल्याण अधिकारी उत्तरदायी था।

(iii) लाडली सामाजिक सुरक्षा (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)

‘लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता’ योजना के अंतर्गत बुढ़ापा भत्ता के नमूने पर 45 से 60 वर्ष की आयु वाले व्यक्तियों को केवल कन्या/कन्याएं रखने वाले प्रति परिवार को ₹ 500 भत्ता दिया जाना था। स्कीम के अंतर्गत ऐसा प्रत्येक परिवार, जाति, पंथ, प्रजाति तथा धर्म का ध्यान किए बिना जिसकी कुल वार्षिक आय ₹ 1.44 लाख से कम थी (बाद में जून 2011 में ₹ 2 लाख प्रतिवर्ष तक बढ़ाई गई) लाभ प्राप्त करने के लिए योग्य था। योग्य लाभार्थियों की पहचान के लिए जिला कल्याण अधिकारी द्वारा एक कमेटी गठित की जाएगी। नमूना-जांच किए गए जिलों में 2009-14 अवधि के लिए बजट तथा व्यय ₹ 11.29 करोड़ था।

71

जिले का नाम	5 माह से 10 माह	11 माह से 24 माह	25 माह से 32 माह	कुल
करनाल	89	260	0	349
हिसार	118	123	6	247
जींद	318	168	0	486
कुल	525	551	6	1,082

जिला समाज कल्याण अधिकारी (जि.स.क.अ.), करनाल, हिसार तथा जींद में 2011-14 के दौरान 5,153 लाभार्थियों को उचित सत्यापन किए बिना ₹ 10.95 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया। आगे विभाग ने भुगतान जारी करने से पहले लाभार्थियों की पहचान तथा आय के निर्धारित मापदण्ड के अनुसार, सत्यापन नहीं किया था।

जि.स.क.अ., करनाल तथा जींद ने बताया (जून 2014) कि लाडली स्कीम के अंतर्गत विद्यमान लाभार्थियों का सर्वेक्षण करवाया जाएगा। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि लाभार्थी की पहचान लाभार्थियों की पात्रता को स्थापित करने हेतु एक पूर्व शर्त थी।

(iv) कन्या को आत्मरक्षा प्रशिक्षण देने के लिए योग कक्षाएं प्रदान करना तथा मनोरंजन यात्रा (शिक्षा विभाग)

कन्या विद्यार्थियों को शारीरिक तथा मानसिक रूप से दुर्रस्त रखने के लिए 2011-12 से सर्व शिक्षा अभियान तथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (रा.मा.शि.अ.) के अंतर्गत विद्यालयों में योग कक्षाएं प्रदान की जाती है; विद्यालयों में आत्म सुरक्षा प्रशिक्षण भी दिया जाता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर वे अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके। उनके आत्म विश्वास स्तर को बढ़ाने के लिए तथा उनके ज्ञान एवं कौशल बढ़ाने के लिए विद्यालयों द्वारा कन्या विद्यार्थियों को मनोरंजन यात्रा पर ले जाया जाता रहा है। वर्ष 2011-14 के दौरान ₹ 81.76 लाख बजट आबंटन के विरुद्ध ₹ 64.31 लाख का व्यय किया गया।

2011-14 के दौरान 470 विद्यालयों में से 23,500 कन्या विद्यार्थियों अर्थात् प्रत्येक विद्यालय से 50 लड़कियों को आत्मसुरक्षा/योग प्रशिक्षण दिया जाना था तथा उन्हें मनोरंजन यात्रा पर ले जाया जाना था जिसमें से 390 विद्यालयों के 19,500 विद्यार्थियों को ये लाभ दिए गए। इस प्रकार, इस तथ्य के बावजूद कि इन कार्यक्रमों के लिए निधि/बजट उपलब्ध था, 80 विद्यालयों के 4,000⁷² कन्या विद्यार्थियों को इन गतिविधियों/स्कीमों के लाभ प्राप्त करने से वंचित रखा गया।

(v) कन्या शिशु का लिंग अनुपात

उपर्युक्त स्कीमों का मुख्य उद्देश्य कन्या शिशु के लिंग अनुपात में (1,000 लड़कों के विरुद्ध कन्याएं) वृद्धि करना था। इसके विपरीत जींद जिले में, 2009-10 में लिंग अनुपात 861 से 2013-14 में 831 तक घट गया। तथा हिसार जिले में 2009-10 में लिंग अनुपात 883 से 2013-14 874 तक घट गया। केवल करनाल जिले में 2009-10 में लिंग अनुपात 845 से बढ़कर 2013-14 में 881 हो गया जो 2011 की जनगणना के अनुसार 943 के राष्ट्रीय औसत से अभी भी पीछे था।

₹ 2.23 करोड़ से आवेष्टित 1,082 दावेदारों को विवाह शागुन जारी करने में पांच से 32 महीनों की देरी थी इससे स्कीम का मूल उद्देश्य विफल हुआ। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्कीम के अंतर्गत ₹ 5,153 लाभार्थियों को ₹ 10.95 करोड़ उचित सत्यापन किए बिना दिए गए। निधियों की उपलब्धता के बावजूद 80 विद्यालयों के 4,000 कन्या विद्यार्थियों को योग कक्षाएं, आत्म सुरक्षा

⁷²

योग कक्षाएं: 1,500, आत्म सुरक्षा प्रशिक्षण: 2,200 तथा मनोरंजन यात्रा: 300

प्रशिक्षण का लाभ प्राप्त करने से वंचित रखा गया। जोंद तथा हिसार में 2009 - 14 की अवधि के दौरान कन्या शिशु का लिंग अनुपात घट गया था।

उपर्युक्त बिंदु अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग तथा प्रधान सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को भेजे गए थे (अगस्त 2014); उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (जनवरी 2015)।

चण्डीगढ़

दिनांक:

(महुआ पाल)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक:

(शशि कान्त शर्मा)

भारत के नियन्त्रक - महालेखापरीक्षक